खण्ड-260, अंक-6
सोमवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(13 सितम्बर, 1965 ई0)

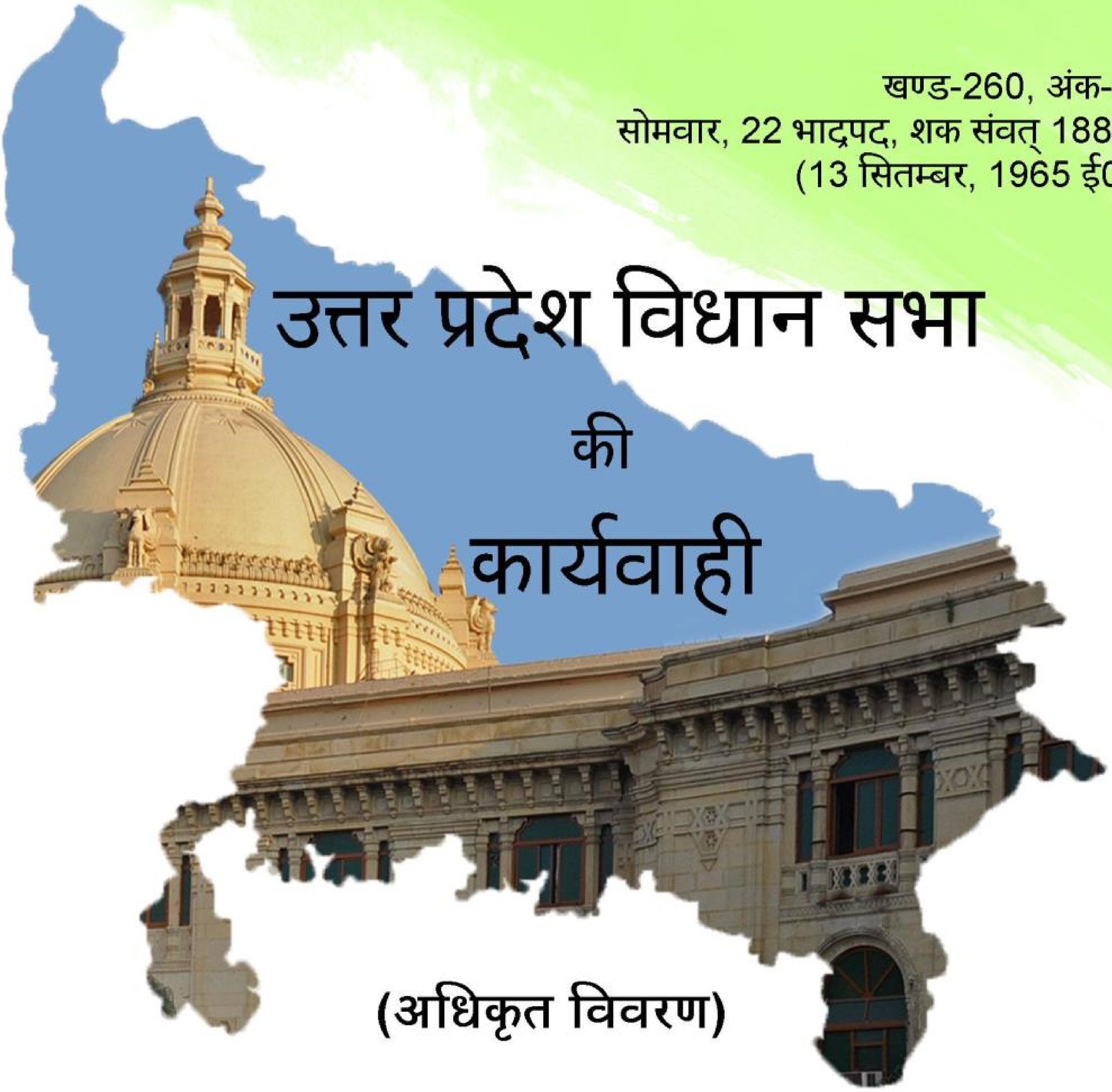

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०३–५०७
प्रश्नोत्तर	५०७–५३२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	५३२–५३३
प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	५३३
कतिपय विषय (जारी)	५३३–५३४
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (प्रस्तुत नहीं किया गया) ..	५३४–५४०
कतिपय विषय	५४०
विधायक, सर्वश्री विजयकुमार तथा देवदत्त मिश्र, द्वारा सुरक्षा कोष में धन देने के संबंध में सूचना	५४१
सदन का कार्यक्रम	५४१
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर विचार—जारी)	५४१–५७२
नवाबजादा सैयद ज़ुल्फिकार अली खां, विधायक, द्वारा सुरक्षा कोष में धन देने के संबंध में सूचना	५७३
आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना	५७३
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ (पारित) ..	५७३–५८५
नत्थियां	५८६–५९९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १३ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशमान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री

गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
दयादत्त श्री
देवेन्द्रसिंह श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेद राम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त माथर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनारायसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य

मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री

शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १३ सितम्बर, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एटा जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव

**१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला परिषद् के अध्यक्ष पद का जो स्थान दिनांक २३ जुलाई, १९६५, को रिक्त हुआ था उस की पूर्ति हेतु चुनाव के लिये जिलाधीश, एटा ने क्या कोई कार्यक्रम राज्य सरकार के पास प्रेषित किया ? यदि हां, तो वह क्या था ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

१—जी हां, कार्यक्रम निम्न प्रकार था ।

(१) नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना ११ सितम्बर, १९६५ (पूर्वान्ह ११ बजे से अपरान्ह ३ बजे तक)

(२) नाम निर्देशन पत्रों की जांच११ सितम्बर, १९६५ (अपरान्ह ४ बजे से)

(३) उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि १४ सितम्बर, १९६५ (पूर्वान्ह १० बजे से अपरान्ह ३ बजे तक)

(४) मतदान, यदि आवश्यक हो—१८ सितम्बर, १९६५ (पूर्वान्ह ९ बजे से अपरान्ह १ बजे तक) ।

**२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि एटा जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव कब होगा ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह चुनाव शीघ्र ही करा दिया जायगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

चुनाव की तारीख, श्रीमन्, जो ११ सितम्बर थी वह तो बीत गयी । मैं जानना चाहता हूं कि अब सरकार किस तारीख तक चुनाव करवा देगी, कोई निश्चित समय क्या सरकार बता सकेगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

इसमें कुछ गलतफहमी हो गयी है । ऐसा हुआ कि एटा जिला परिषद् ने अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास किया और उसके बाद वहां के जिलाधीश ने एक रेफरेन्स किया सरकार को और यह पूछा कि यह वेकेन्सी क्लियर मानी जायेगी या क्या होगा । वह रेफरेन्स हमने ला विभाग को भेज दिया । इसी बीच में एक प्रोग्राम उन्होंने प्रिन्टिंग प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट को भेज दिया और उसकी एक कापी सरकार को भेज दी, डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्शन के पास । २६ तारीख को वह डिप्टी सेक्रेटरी के पास आया । तब यह लिखा गया कि जब रेफरेन्स का जवाब नहीं आया तो बीच में यह डेट कैसे तय कर दी गयी । अब हमने यह लिख कर भेजा है कि यह क्लियर वेकेन्सी है, आप प्रोग्राम भेजें । जैसे ही वह आयेगा हम उसको नोटीफाई कर देंगे ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

किस तारीख तक हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—

जैसे ही उनका प्रोग्राम आयेगा हम नोटीफाई कर देंगे, इसमें ढिल नहीं की जायेगी ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेफरेन्स के लिये सरकार के पास यह कब आया और यह प्रोग्राम कब आया ? क्योंकि मेरी सूचना यह है कि जब प्रोग्राम आया तब उसके बाद जब सरकार का दबाव पड़ा तब रेफ़रेन्स के लिये यह केस भेज दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

इसमें भी कुछ गलतफहमी है । डेट ठीक पढ़ने में नहीं आ रही है, यह शायद ६ या तारीख है जब क्लेरिफिकेशन के लिये हमारे पास आया है । हमने १७ तारीख को यह ला डिपार्टमेन्ट के पास भेज दिया ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैंने यह पूछा था कि प्रोग्राम किस तारीख को वहां से डिस्पैच हुआ और रेफरेन्स किस तारीख को डिस्पेच हुआ, यह बताया जाय।

श्री राममूर्ति—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

इस समय जो पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार सभी प्रकार के चुनाव को स्थगित करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री राममूर्ति—

अच्छा यह होता कि चुनाव न होता। लेकिन इस पर हमने विचार नहीं किया है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश एटा को इस प्रकार के निर्देश भेज दिये गये हैं कि वे तुरन्त दूसरा कार्यक्रम भेज?

श्री राममूर्ति—

यह लिख दिया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जैसा माननीय मंत्री ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्यक्रम भेज देंगे, तो क्या उन्हें इसके लिये जल्दी से निर्देश देंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

विकास क्षेत्र, खजुहा में ग्राम सेवकों का निलम्बन तथा अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी

**३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री को पता है कि जनपद फतेहपुर में विकास खण्ड, खजुहा, के बहुत सारे ग्राम सेवक निलम्बित कर दिये गये तथा कार्यालय के कुछ लिपिक गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये? यदि हां, तो पूरी घटना का विवरण क्या है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह सत्य है कि इस जनपद के विकास क्षेत्र खजुहा में ३ ग्राम सेवक (श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री चन्द्र पाल सिंह सेंगर व श्री कृष्ण दीन सचान) को १७-८-६५ को निलंबित करने के आदेश जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर द्वारा प्रसारित किये गये हैं तथा कृषि अनुभाग द्वारा नियुक्त तकावी अमीन श्री राम नारायण सिंह को ६-१-६५ को एवं श्री राम औतार, स्टोर कीपर एवं कैशियर को दिनांक ३-९-६५ को राजकीय धनराशि के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस जांच कर रही है।

**४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह भी सत्य है कि विकास अधिकारियों की इस अनियमित कार्यवाही से विकास क्षेत्र में सर्वत्र असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये सरकार क्या प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

निलम्बित करने के आदेश क्षेत्रीय विकास अधिकारी, खजुहा, से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रसारित किये गये हैं। कोई असन्तोषजनक वातावरण की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। संबंधित कर्मचारियों पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके संबंध में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही अग्रिम आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे। राजकीय कर्मचारियों द्वारा राजकीय धनराशि के अपहरण होने पर पुलिस को सूचित करना आवश्यकीय था ताकि अपहरण की सही जांच हो सके। इन आदेशों से क्षेत्र में कोई असन्तोषजनक वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ है। स्थिति सामान्य है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन ग्रामसेवकों को निलम्बित किया गया है? उसका कारण क्या है? इसके अतिरिक्त जो रामनारायण, अमीन और रामअवतार, स्टोरकीपर, को जेल भेजा गया है उन पर मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रशासकीय दृष्टि से इन तीनों का ट्रान्सफर पहिले जिले में जिला नियोजन अधिकारी ने किया। उसके बाद डी० डी० सी०, इलाहाबाद, ने इलाहाबाद को ट्रान्सफर किया। लेकिन इन ग्राम सेवकों ने डी० डी० सी० के आर्डर को न मानकर छुट्टी ले ली और बहाना करते रहे कि हम ड्यूटी पर नहीं जायेंगे। इन चार्जेज पर उन्हें निलम्बित किया गया।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस ब्लाक में आठ हजार से अधिक धनराशि का गबन हुआ क्योंकि उस ब्लाक में एक जाति विशेष का आधिपत्य है? बी० डी० ओ० को गबन की जो सूचना मिली वह इन आदमियों से मिली इसलिये उनका स्थानान्तरण किया गया? पहिले क्या आप बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण करके इस पूरी घटना की जांच करायेंगे?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जो इत्तला दी है इसको वे हमें ब्योरेवार दे दें और हमारे विभाग में बात बैठ जाय, उसका सबूत मिल सके तो हम पूरी कार्यवाही करेंगे। तीनों जो बी० एल० डब्ल्यू० हैं उनके लिये यही नहीं है कि उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है, उनको निकाल भी देंगे ताकि छानबीन पूरी हो जाय और इसके अतिरिक्त जिन्होंने गबन किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री रामकिशोर वर्मा—

जिन चार्जेज को ग्राम सेवक पर लगाकर निलम्बित किया गया है वे चार्जेज खुद बी० डी० ओ० पर बनते हैं और उन्होंने लोगों को रसीदें दी हैं और उन्होंने जानबूझ कर अपने को बचाने के लिये ग्राम सेवकों पर अपनी बला डाल दी है। तो क्या सरकार इस बात पर तैयार है कि किसी उच्च अधिकारी द्वारा बी० डी० ओ० के विरुद्ध जो चार्जेज हैं उन पर जांच कराने की कृपा करेगी और ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जा सके जो दोषी हों?

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष जी, यह दोनों पहलू अलग-अलग हैं। जहां तक बी० डी० ओ० के खिलाफ जांच का ताल्लुक है और जहां तक गबन का ताल्लुक है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। उसमें जिसके भी बयान की जरूरत होगी, या जिसकी भी जांच की जरूरत होगी वह पुलिस करेगी। जहां तक ट्रान्सफर के सिलसिले में निलम्बन हुआ है वह एक गलत चीज हुई है। अभी डिपार्टमेंट ने एक जी० ओ० निकाला है कि जहां पर बी० डी० ओ० या उसके नीचे के आदमी

का ट्रान्सफर होता है तो वह छुट्टी लेकर चला जाता है और वह ट्रांसफर अमल में नहीं आने दिया जाता है तो यह कहा गया है कि अगर इस तरह की शिकायतें आयें तो उसका निलम्बन कर दिया जाय।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री जी इन तथ्यों पर विचार करेंगे कि दिनांक १६-८-६४ को १४३१.१४ रुपया स्टेट बैंक, बिन्दकी में जमा करना दिखाया गया जबकि वह रुपया जमा नहीं किया गया और ३१ मार्च, १९६५, को तहसीलदार, फतेहपुर को वहां के बी० डी० ओ० ने पत्र लिखा कि यह रुपया जमा करवा दिया जाय तो इतने दिन तक रुपया रोक रखा गया, इस तथ्य की जांच भी करायेंगे? उस पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है।

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष जी, मैंने अर्ज किया कि जिस डीटेल का जिक्र आप कर रहे हैं वह तो हमारे पास है नहीं। वह तो आप उस ब्लाक के हैं, आपको मालूमात हैं, मैंने तो आश्वासन दिया कि यदि आप यह सब डिटेल हमारे पास दें तो हमको सहूलियत मिलेगी और हम आगे की कार्यवाही कर सकेंगे या आप अगर मुनासिब समझें तो पुलिस को दे दें, पुलिस इन्क्वायरी कर लेगी।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

जो तथ्य सामने आये हैं उनको विचार में रखते हुए क्या वह यह उचित समझते हैं कि बी० डी० ओ० का जब तक एन्क्वायरी या दूसरी कार्यवाही चले तब तक के लिये वहां से ट्रांसफर कर दिया जाय?

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन तथ्यों का जिक्र किया गया है वह तो इस हाउस के फ्लोर पर किया गया है। मैंने अर्ज किया कि मेरे पास उनके बारे में कोई मालूमात नहीं हैं, अगर उन चीजों को हमारे पास लिखकर दिया जाय तो तभी हम देखें कि कोई प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं और फिर एनक्वायरी पुलिस की हो रही है, पुलिस लिखे कि सस्पेंशन जरूरी है तो सस्पेंड किया जा सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जिन व्यक्तियों को जेल भेजा गया उनका एक्सप्लेनेशन पहले ले लिया गया या उनको एक दम निलम्बित करके जेल भेज दिया गया?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, वह उस शिकायत में पकड़े गये और जेल भेज दिये गये। अगर केस बनता है तो रहेंगे नहीं तो नहीं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर जिले से चावल का निर्यात

*१—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के चावल के मिल मालिकों ने कितना चावल नवम्बर, १९६४ से जुलाई, १९६५, तक जिले के बाहर सरकार की खरीद के

अलावा बेचा और कहां कहां भेजा और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चावल नेपाल, तिब्बत तथा चीन चला गया ? क्या सरकार तुरन्त इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी और इस अवैध व्यापार को रोकने की तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

शाहजहांपुर की चावल मिलों ने, जैसा कि संलग्न तालिका से विदित होता है नवम्बर, १९६४ से जुलाई, १९६५ तक जिले के बाहर ७,९२५८.९३ क्वीन्टल भेजा।

सरकार के पास इस चावल के तिब्बत, नेपाल या चीन जाने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। अतः सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

(देखिए नत्थी 'क' आगे ५८६–५८८ पृष्ठ पर)

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी तालिका में दिये गए आंकड़ों को देखते हुए कुल सात महीनों में इतना अधिक चावल वहां से सरहदी इलाकों में भेजा गया है बनिस्बत बड़ी-बड़ी मंडियों के, क्या इससे संतुष्ट हैं कि वहां से चावल बाहर नहीं भेजा गया ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

सरहदी जिलों में चावल की अधिक आवश्यकता होती है और इसलिये खास तौर पर उनको ज्यादा दिया गया है। जहां तक बार्डर से बाहर जाने का ताल्लुक है, तो वहां पर तो सिक्योरिटी फोर्सेज हमारी हैं, वहां से तो बाहर नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने खाद्य नियंत्रक और जिला अधिकारियों को इस बात के लिये सचेत कर दिया है कि बाहर न जाने पावें।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मंत्री जी संकट को देखते हुए सी० आई० डी० द्वारा जांच करावेंगे कि चावल बाहर गया है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाहर नहीं जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि मंत्री जी ने पहाड़ पर इसलिये ज्यादा चावल भिजवा दिया ताकि चीन के मजदूरों को, जो लद्दाख सड़क पर काम कर रहे हैं, आसानी से चावल मिल जाय चूंकि कोट्द्वारा में २६,२४४ और इलाहाबाद में २ क्विंटल गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहाड़ों के ऊपर तो प्राहिबिटेड एरिया है। वहां तो जाने का सवाल ही नहीं है।

श्री कल्पनारायसिंह (जिला गोरखपुर)—

जो फेहरिस्त माननीय प्रश्नकर्ता ने भेजी है क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि उसमें व्यापारियों के नाम और क्वान्टीटी इत्यादि सब सही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब तक यह न बताया जाय कि अमुक बात गलत है उसे सही ही मानना पड़ेगा।

श्री मनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या इस संकट की स्थिति में भी सरकार वास्तविकता पर ध्यान देगी क्योंकि बन्थरा रोड को १,४७० क्विंटल गया जो बलिया जिले के किनारे देवरिया की सरहद पर है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने तो पहाड़ के रास्ते कहा, पूरब के रास्ते नहीं कहा। पूरब के रास्ते कुछ पकड़ा भी गया है। हमने बहुत कड़ी चैकिंग कर रखी है। अगर पूरब के जिलों में जाना बिलकुल रोक दें तो वहां बड़ी कठिनाई होगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी हमसे यह सूचना ग्रहण करेंगे कि पूरब के जिलों में ५ मील की बार्डर पर पहले ही रोक है और कानपुर की आटा मिलों से आटा और पश्चिमी जिलों की चावल मिलों से चावल खुले आम ट्रकों पर आपका बार्डर पार करके नैपाल, चीन, तिब्बत और न जाने कहां कहां जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सूचना मिली थी कि बिहार होकर पूर्वी जिलों से जाता है। उसके लिये हमने कड़ा नियंत्रण कर रखा है। वहां के अफसरों से मैंने स्वयं भी बात की। सी० आई० डी० क्या करेगी इसमें ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को पता है कि चीन में जाली छापे हुए नोट नैपाल की मार्फत काफी संख्या में आकर ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं और उनके बदले रक्सौल के इलाके से चावल, गेहूं, कोलतार इत्यादि बाहर जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमने अखबारों में यह पढ़ा था और कुछ शिकायतें भी आईं। मगर हर डी० एम० ने लिखा कि यह बात बेबुनियाद है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या यह बात मंत्री जी को पता है कि कोटा पूरा करने के बाद बाकी को चावल के मिल मालिक खासी अच्छी प्राफिट पर बेचते हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने के क्या उपाय सरकार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रिलीज्ड माल के लिये हमें यह भी देखना होता है कि बाजार में माल आता रहे। हम और सोचेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कोटद्वारा में २६,२४४ क्विंटल और इलाहाबाद जैसे बड़े शहर में केवल २ क्विंटल गया है तो प्रश्नकर्त्ता की मंशा को देखते हुए कि बाहर जाने की सम्भावना हो सकती है, मंत्री जी को सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जोशीमठ से ऊपर बिलकुल प्राहिबिटेड एरिया है। वहां मिलिटरी रहती है। उधर से निकलने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। कुछ चमोली, गढ़वाल और ऋषिकेश की ओर भी चला जाता है। कुछ बिजनौर में भी चला आता है। अल्मोड़ा जिले में कालीनदी पार करके स्मगलिंग की कुछ सम्भावना हो सकती है। इसलिये पहाड़ के रास्ते से स्मगलिंग का डर नहीं है। अगर डर बाहर जाने का है तो बिहार होकर है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

विधायकों को कोयले का कोटा

*१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री विधान मंडल के ऐसे सदस्यों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि जिनको खाद्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोटा अथवा परमिट दिया गया है तथा यह भी बतायेंगे कि कोटा कब से कितना तथा किस वस्तु का दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८९–५९१ पर ।)

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, जो यह सूची दी गयी है वह केवल कोयला और कोल डिपो की सूची है । इसके देखने पर मालूम होता है कि इसमें सब कांग्रेस वाले हैं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोटा या परमिट देने का आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें केवल कोयले का इसलिये दिया है कि सीमेंट का कोटा फैक्ट्रीज देती हैं । इसके लिये जो जिले में फार्म होते हैं उनके भरे जाने पर डिस्ट्रिक्ट वाले उनको देते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उपाध्यक्ष महोदय को कितना कोयला दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सन् ५४ से अप्रैल, ६४ तक ७३.७५ वैगन कोयला दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो लोग विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य हैं, उनको सदस्य रहने तक कोई कोटा या लाइसेंस न दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह उनके विधान सभा के सदस्य होने के पहले के हैं । लाइसेंसिंग आर्डर में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वे विधान सभा के सदस्य हो जायं तो उनको हटा दिया जाय । वे लोग अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय उपनेता सदन विधान मंडल के सदस्यों से यह निवेदन करेंगे कि जब तक वे विधान मंडल के सदस्य हैं, उनके हाथ में शक्ति है, इस प्रकार के लाइसेंस लेने से जनता में उनकी बदनामी होती है, इसलिये वे उनको छोड़ देने के लिये बाध्य करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

श्री रामसुन्दर पांडेय के सजेशन पर विचार करेंगे ।

श्री उग्रसेन—

जो ७३ वैगन कोयला दिया गया है उससे कितनी ईंटें बनायी गयीं और इससे उनको कितना मुनाफा हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन लोगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जो दूसरों के नाम से लाइसेंस लेकर स्वयं लाभ उठाते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जब दूसरों के नाम है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या मंत्री जी सी०आई०डी० से जांच करायेंगे कि ऐसे कौन-कौन माननीय सदस्य हैं जिन्होंने दूसरों के नाम से लाइसेंस ले रखे हैं और स्वयं उसका लाभ उठाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक आप नाम नहीं बतायेंगे तब तक कैसे मालूम होगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी उन तमाम माननीय सदस्यों के नामों को पढ़ कर सुनायेंगे जिन्होंने लाइसेंस या कोटा लिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

हरदोई जिले में श्री मोहनलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा, को ईंट के भट्टे का लाइसेंस कोयला नियंत्रण आदेश, १९४५ लागू होने के बाद दिया गया । मुरादाबाद में श्री राम गुलाम, एम० एल० सी०, को कोल डिपो १९५५-५६ में दिया गया और श्री जगदीश प्रसाद, एम० एल० ए०, को कोल डिपो १९५३-५४ में दिया गया । इटावा में श्री होती लाल अग्रवाल, एम० एल० ए०, को एक ईंट भट्टे का लाइसेंस १९५८ में दिया गया । बुलन्दशहर में श्री जसराम सिंह, एम० एल० ए०, को एक लाइसेंस भट्टे का सन् ६१ में दिया गया । रामपुर में श्री कल्याण राय, एम० एल० ए०, को भट्टे का लाइसेंस दिया गया । शाहजहांपुर में श्री राम मूर्ति अंचल, एम० एल० ए०, अपने निर्वाचन से पहले से ईंटों के भट्टे का काम कर रहे हैं । मैनपुरी के श्री बलवीर सिंह, एम० एल० ए०, को ५-१०-६३ को भट्टे का लाइसेंस दिया गया । श्री बृजेश्वर सहाय, एम० एल० ए०, को भट्टे का लाइसेंस दिया गया । मुजफ्फरनगर में श्री मदन मोहन, एम० एल० सी०, को एक भट्टे का लाइसेंस १९४८ में दिया गया ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने विधायकों के नाम लिये गये यह सब कांग्रेसी हैं और क्या दूसरे दलों के विधायकों ने भी इस प्रकार के लाइसेंस मांगे थे ? यदि हां, तो उनको न देने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह काम दल के आधार पर नहीं होता, इसलिये मुझे नहीं मालूम ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं जानना चाहता हूं कि श्री रामसूरत सिंह, सदस्य, विधान सभा के पास जो डिपो ओल्ड कौंसिलर्स रेजीडेंस के साथ में है उनका नाम इस सूची में क्यों नहीं है और उनको कब से दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुझे इस की कोई सूचना नहीं है। वह लिखकर दें तो पता लगा लेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे जिनको यह लाइसेंस और इस तरह के कोटे दिये गये उनका आधार क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये कुछ नियम हैं, जैसे वह उस उद्योग में पहले से रहे हों, इनटेग्रिटी ठीक हो, पहले से उस काम को करते हों; ऐसे नियम हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि जिनको आपने यह लाइसेंस और परमिट दिये उनको देने का आधार क्या था और क्या और लोगों की भी दरख्वास्तें थीं ? और यदि थीं, तो उनको क्यों नहीं दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह सब जिलाधीश देते हैं, फार्म भरवाया जाता है ; वह नियम देखकर अपने डिसक्रिशन से देते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

यह सूची जो प्रस्तुत की गई है वह किस सन् तक है, यह सन् ६३ तक की है या सन् ६५ से पहले तक की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह ६५ तक की है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्री मोहनलाल वर्मा सन् ४५ में विधायक नहीं थे और उनका पुश्तैनी रोजगार भट्टे और कंट्रोल का है और वह आज भी चल रहा है, तो क्या जिनका पुश्तैनी रोजगार है उनको भी वह पाबन्द करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने पहले ही कह दिया है कि लाइसेंसिंग आर्डर में कोई ऐसा कायदा नहीं है कि उसके अनुसार हम किसी का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, जिनका पुश्तैनी काम रहा है और वे इस काम को करते रहे हैं, अगर वे ही छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें।

श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार जिन लोगों को कोटा परमिट दिया गया, वे सदस्य के रूप में इस विधान सभा की डिबेट में भाग नहीं ले सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के पास कोटा या परमिट है क्या वे आफिस आफ प्रोफिट होल्ड करते हैं अथवा नहीं ? श्रीमन्, इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, ऐसे व्यक्ति सदन के मेम्बर हो ही नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, यह बिलकुल रिप्रिजेन्टेशन है। इस सूची में आप भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

अभी माननीय काशीनाथ जी ने आपको लक्ष्य करके कहा है। कृपया इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें कि क्या वह आपको कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट द्वारा किसानों से जमीन-प्राप्ति

*२--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिन ग्रामों की जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद, ने एक्वायर किया है उन किसानों को नयी जमीन बरेली तथा पीलीभीत इत्यादि जिलों में जो कृषि के लायक सरकार द्वारा बनाई गई है, वह क्यों नहीं दे दी जाती ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

जिन ग्रामों की जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद ने एक्वायर की है उनके किसानों के पास से ऐसा कोई आवेदन-पत्र जिलाधीश, मेरठ अथवा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद के कार्यालयों में नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बरेली या पीलीभीत जिलों में कृषि योग्य बनाई गई जमीन की मांग की हो।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के आसपास के किसानों की हालत को देखते हुये सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो नयी जमीन तोड़ी जा रही है उसमें से सबसे पहले वहां के किसानों को दी जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रश्नकर्ता का आशय बरेली और पीलीभीत से है। मैं निवेदन कर दूं कि वहां के लिये किसी आवेदन-कर्ता ने कोई आवेदन-पत्र नहीं दिये। इसलिये विचार नहीं किया गया। यदि वे आवेदन-पत्र देंगे तो विचार किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्तमायर--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरेली और नैनीताल के इलाके में कितनी ऐसी जमीन है जो खाली पड़ी हुयी है और प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर दी जा सकती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

पीलीभीत और बरेली से प्रश्न संबंधित है, नैनीताल से नहीं। इसलिये सूचना चाहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब काश्तकार, जिनकी जमीन ली जाती है, वह अपने जिले में ही जब यह सोचते हैं कि यहीं जमीन मिल जाय तो जब आपके पास जमीन पीलीभीत और बरेली में कोलोनाइजेशन की है उस पर विचार करके स्वयं उनको लिखने की प्रथा डालेंगे कि हम आपको जमीन देने के लिये तैयार हैं और इच्छा हो तो आवेदन-पत्र दीजिये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

गाजियाबाद के जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गयी है प्रश्न उससे संबंधित था। जहां तक पीलीभीत और बरेली का प्रश्न है, वह जमीन कृषि के लिये बनायी गयी और बहुत से लोगों को दी गयी लेकिन गाजियाबाद के किसानों ने किसी प्रकार का किसी अधिकारी को कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कभी गाजियाबाद वालों को कहा गया कि तुमको जमीन दूसरी जगह मिलेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कई बार इस प्रकार का सदन में उत्तर दिया जा चुका है कि प्रदेश के अन्य जिलों में जहां कि कोलोनाइजेशन स्कीम द्वारा इस प्रकार की भूमि विकसित की जायगी यदि इस प्रकार के भूमिहीन आवेदन-पत्र देंगे और दूसरे जिले में बसने की इच्छा करेंगे तो उन पर विचार किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि ऐसी कोई सूचना है कि कहां कहां कितनी जमीन है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

भूपालसिंह, पशु चिकित्सक, हल्दौर का तबादला रोकना

*३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूपाल सिंह, मवेशी डाक्टर, हल्दौर, जिला बिजनौर, का तबादला सन् १९६४ में हुआ था, तो क्या वह तबादला किसी की शिकायत पर हुआ था या समय पूरा होने पर हुआ था ?

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

श्री भूपाल सिंह, पशु चिकित्सक, हल्दौर, जिला बिजनौर, का तबादला सन् १९६४ में नहीं हुआ था। जनवरी सन् १९६५ में श्री सिंह के तबादले के आदेश उप विकास आयुक्त, बरेली, द्वारा जारी किये गये थे परन्तु बाद को उक्त आदेश प्रशासकीय कारणों से रद्द कर दिये गये।

श्री श्रीराम—

जैसा कि कहा जाता है कि शासन के ऊपर नौकरशाही हावी हो रही है, वह सही मालूम होता है। उप मंत्री जी के द्वारा मैंने और बहुत से किसानों की शिकायतों के आने पर कि वह पशुओं का इलाज करने नहीं जाते हैं और रिश्वत लेते हैं और मेरे यह लिखने पर भी यहां के उप-मंत्री की आज्ञाओं को भी आयुक्त ने टाल दिया और उनके तबादले को रद्द किया है। क्या मंत्री जी उसको फिर वहां से तबदील करने आदेश जारी करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। वहां पर जो जिला पशुधन अधिकारी थे उनको और भूपाल सिंह का कुछ आपस में मतभेद था और एक दूसरे डाक्टर भी थे उनसे भी कुछ मतभेद था। उस मतभेद के कारण यह संभावना की गयी कि उनका यह ट्रांसफर कराये हैं। वैसे उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। इसलिये जब उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी तो उनको खामखाह समय से पहले ट्रांसफर करना ठीक नहीं मालूम हुआ। इसलिये वह बाद को रद्द कर दिया गया।

श्री श्रीराम—

क्या सरकार के पास बलदिया गांव से प्रार्थना-पत्र आये हैं कि वहां के किसानों की ५००, ५०० रु० की कई भैंस मर गयीं और वह बुलाने पर भी वहां नहीं गये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि संबंधित डाक्टर और जिला पशुधन अधिकारी तथा एक और दूसरे डाक्टर से कुछ मतभेद था। तो मैं जानना चाहता हूं कि मतभेद की सूचना किससे सरकार को प्राप्त हुई और किन बातों को लेकर मतभेद था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

तत्कालीन कृषि मंत्री जब वहां दौरे पर गये थे तो उन्हें इस बात का पता लगा और उन्होंने उसकी जांच कराई। जांच करने पर यह मालूम हुआ कि जिला पशुधन अधिकारी तथा डाक्टरों के बीच में मतभेद चल रहा है, वैसे डाक्टरों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। जिला पशुधन अधिकारी निलम्बित थे जिसकी वजह से यह संभावना प्रतीत हुई कि वहां इन डाक्टरों के खिलाफ शिकायत की गयी है। इसलिये बाद को ट्रान्सफर का आदेश रद्द कर दिया गया।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

जिन भूपाल सिंह के खिलाफ शिकायत आई है वह उस जिले में कितने दिन से काम कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

जो यह शिकायत की गयी थी तो उस पर जांच की कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

श्री मैनेजरसिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। मूल प्रश्न में यह पूछा गया था कि उनका ट्रान्सफर शिकायत आने पर किया गया था या अवधि बीत जाने के कारण किया गया था। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस बात के लिये सूचना की आवश्यकता होगी। मेरा निवेदन यह है कि जब मूल प्रश्न में ही यह प्रश्न उठाया गया तो इसकी सूचना उन्हें होनी चाहिये थी।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उनकी अवधि पूरी नहीं हुई थी। तीन वर्ष कम से कम एक जिले में रहना चाहिये। उससे पहले ही ट्रान्सफर का आदेश हो गया था और वह आदेश शिकायत उनके खिलाफ आने के कारण हुआ था।

मथुरा में श्री जी० डी० भार्गव द्वारा किशोरी रमण इन्टर कालेज से सीमेन्ट लेना

*४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी० डी० भार्गव, मथुरा, ने किशोरीरमण इन्टर कालेज से सौ बोरी सीमेंट सन् १९६५ के किसी महीने में खरीदा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्री जी० डी० भार्गव ने किशोरी रमण इन्टर कालेज से ९२ बोरी सीमेन्ट जनवरी, १९६५ में ऋण पर लिया ।

*५—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि संस्था के नाम से इस सीमेंट को लेकर ब्लैक किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं । जांच से पता चला है कि सीमेंट का ब्लैक नहीं किया गया वरन् ऋण पर दिया गया ।

*६—श्री लखीसिंह—

क्या इस कालेज के प्रधान आचार्य ने स्वीकार भी किया है कि मैनेजर साहब की आज्ञा से दिया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां । इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने बतलाया है कि प्रधानाचार्य ने इस सीमेन्ट का हस्तान्तरण श्री जी० डी० भार्गव के दबाव पर किया जो विद्यालय की कार्यकारिणी के प्रभावशाली सदस्य हैं ।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जांच उन्होंने किसके द्वारा कराई और कब कराई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

डी० एस० ओ० ने जांच की ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि श्री भार्गव ने, जो कार्यकारिणी के प्रभावशाली सदस्य हैं, ९२ बोरी सीमेंट की उधार ले ली थीं तो उस अधिकारी के विरुद्ध जिसने यह सीमेंट की बोरी दीं और श्री भार्गव के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या सरकार बतायेगी कि यह जो सीमेंट दिया गया यह किस नियम के अन्तर्गत दिया गया और किस अधिकारी के द्वारा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अलग डिपार्टमेन्ट्स का अलग कोटा होता है । एजूकेशन के कोटे से यह माल दिया गया था उस संस्था को और डी० एस० ओ० ने वहां जो जिला निरीक्षक स्कूलों के हैं उनसे मालूम किया जिन्होंने यह इत्तिला दी है । और वह उसकी जांच कर रहे हैं । अब वह बतायें वह इसमें क्या कर रहे हैं । उन्होंने यह बताया कि ऋण देना कानूनी जुर्म नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या मंत्री जी फिर से जांच करायेंगे कि सीमेन्ट या कोई भी नियंत्रित वस्तु जिस काम के लिये दी जाती है वह बिना सप्लाई आफिसर की आज्ञा के या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा के नहीं दे सकते हैं यानी अपनी मंजूरी से नहीं दे सकते हैं तो उसने यह अपनी मंजूरी से क्यों दी ? क्या यह जुर्म नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, यही बात तो मैंने कही कि जिला निरीक्षक देख रहे हैं। यदि नियम के विरुद्ध कोई बात होगी तो वे कार्यवाही करेंगे। हमारे यहां से कार्यवाही न होकर एजूकेशन विभाग से कार्यवाही होने की बात है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह सीमेन्ट २३-७-६५ को तीन बजे वृन्दावन सदर दफ्तर चुंगी पर पकड़ा गया था और उसके ऊपर रेती भरी हुई थी और धोखा देकर ६० पैसे की महसूल की रसीद कटाई और दुबारा पकड़ी गई तो ३६० रुपये देकर रसीद ३९२/८७ दस रुपये महसूल की ली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य सही कह रहे होंगे। इसलिये यदि वे लिखकर देंगे तो मैं एजूकेशन विभाग को भेज दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इस प्रकार की शिकायतों के बाहुल्य को देखकर केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की थी कि वह सीमेन्ट पर से कंट्रोल हटाना चाहती है तो मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले में क्या अंतिम निर्णय लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, अभी केन्द्रीय सरकार से कोई आदेश नहीं पहुंचा है जब पहुंचेगा तो विचार होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सीमेन्ट की शिकायत है जिसकी आप जांच कर रहे हैं वह किस वक्त दी गई और कौन डी० एस० ओ० था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन जो कुछ किया गया वह जिला निरीक्षक के आदेश से किया होगा।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी को शिकायत मिली है कि भार्गव साहब इस स्कूल की मार्फत सीमेन्ट लिया करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि यह सीमेन्ट पकड़ा गया और ३६० रुपये देकर छूटा दुबारा इसकी जांच करायेंगे ? यह ब्लैक में बेचा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा कि आपकी सूचना सही हो सकती है। इसलिये आप ब्यौरेवार लिखकर दे दीजिये, हम इंक्वायरी करा लेंगे।

कोपरगंज रेलवे माल गोदाम, कानपुर में पकड़ी गई टीन

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के टाउन शार्शनिग अधिकारी तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने छापा मार कर दिनांक ८ जुलाई, १९६५ को रेलवे कोपरगंज के माल गोदाम में टीन से लदा एक बैगन लाखों रुपये की कीमत का पकड़ा है, जो कानपुर से पाकिस्तान भेजा रहा था? यदि हां, तो यह चादरें कहां की थीं तथा इसको भेजने के संबंध में कितने आदमी पकड़े गये?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी हां, यह सत्य है कि दिनांक ७-७-१९६५ को सर्किल आफिसर कानपुर ने रेलवे के कोपरगंज के माल गोदाम पर छापा मार कर टीन से लदा हुआ एक बैगन (जिसमें ८९ क्वेन्टल ७५ किलोग्राम टीन की चादरें थीं) पकड़ा। यह टीन की चादरें कानपुर से नरोदा (अहमदाबाद) के लिये बुक की गई थीं। ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि यह टीन की चादरें पाकिस्तान भेजी जा रही थीं। यह नहीं कहा जा सकता कि यह टीन की चादरें कहां की थीं और इस संबंध में किसी भी आदमी को नहीं पकड़ा जा सका।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

मेरी सूचना है कि लगभग एक लाख रुपये की टीन थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कितने की टीन थी और इसकी जांच अब तक हुई या नहीं, और जांच किसने की और अभी तक आदमी क्यों नहीं पकड़े गये?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि जितनी कीमत का माल था। लेकिन गवर्नमेन्ट रेलवे पुलिस में केस नम्बर ई० एन० २६५ ई० सी० ऐक्ट की धारा ३/७ और डी० आई० आर० के सेक्शन १२५ के अन्तर्गत फाइल हो गया है और मेरी सूचना है कि जी० आर० पी० ने इन्क्वायरी चालू कर दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे कंसाइनमेन्ट को देख कर कि किसके यहां भेजा गया और किसको भेजा था, इन दोनों आदमियों को गिरफ्तार करके या उनसे क्यों नहीं मुकम्मल जांच की गयी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भेजने वाले का पता नहीं लेकिन जिसको भेजा गया उसका नाम एस० के० अवस्थी है। लेकिन वह फरार हो गया था।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसने मामले को और काम्प्लीकेटेड कर दिया। इसमें भेजने वाला क्लर्क शामिल है। अगर आदमी फर्जी है तो रेलवे क्लर्क की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गयी?

श्री उग्रसेन—

मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले जी० आर० पी० पुलिस को किस व्यक्ति ने सूचना दी कि इस किस्म का माल यहां है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

दहगवां ब्लाक को सीमेन्ट

*८—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां के ग्राम दहगवां में वर्ष १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में कुल कितनी सीमेन्ट दी गई तथा उसमें से सर्वश्री गनेसी लाल, बांके लाल, अशर्फीलाल, गिरेन्द्र पाल, दृगपाल तथा श्री असर्फी लाल के सुपुत्र को कितनी सीमेन्ट बोरी दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९२ पर)

श्री माथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

आप हमेशा टालने की कोशिश करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

टालने की कोई कोशिश नहीं है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह ब्लाक स्तरों से सूचना मंगानी थी इसलिये विलम्ब हुआ । आगे आप को पूरी-पूरी सूचना दी जायगी ।

[१३ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बुलन्दशहर जिले को टीन व सीमेन्ट

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में १ जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६५ तक कुल कितना सीमेन्ट और टीन भेजा गया ?

*२—क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में जिलाधीश ने अपने हुक्म से कितना सीमेन्ट बांटा और बी० डी० ओ०, तहसीलदार इत्यादि अन्य अधिकारियों के द्वारा कितना बांटा गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

काली जगदीशपुर की सस्ते अनाज की दुकान के विरुद्ध शिकायत

*३—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९६५ में बस्ती जिले के विकास खण्ड नायनगर के पंचायती सेंटर अदालत खिरिया के ग्राम सभाओं के प्रधानों ने जिलाधीश बस्ती के पास इस आशय का आवेदन-पत्र दिया है कि उनसे संबंधित ग्राम सभाओं के गल्ले की सरकारी दुकान काली जगदीशपुर जो कि उनके यहां से दो मील की दूरी पर है, के नाम एलाट है, किन्तु दुकानदार उनके यहां से सात मील की दूरी पर

नालनगर नामक स्थान में सस्ते गल्ले का वितरण करता है जिससे उनके ग्राम सभाओं की जनता को बड़ी ही तकलीफ तथा हकतलफी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जिलाधीश, बस्ती के यहां इस आशय का कोई शिकायती पत्र नहीं मिला।

*४—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायती आवेदन पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गेंदादेवी—

पंचायत अदालत देवरिया के प्रधान श्री तेजबहादर सिंह, श्री काशी राय वगैरह ने ७ फरवरी, १९६५ को जिलाधीश बस्ती से मिलकर नायनगर में चलने वाली सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान के विरुद्ध आवेदन-पत्र दिया है। यह मेरी सूचना मान कर माननीय खाद्य मंत्री जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश से ही यह पूछा गया था और उन्होंने कहा कि हमारे यहां ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्रीमती गेंदादेवी—

यदि मैं लिखकर दूं तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

हां, जांच तो करवायेंगे।

*५-७—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

[स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत अर्जित भूमि का मुआवजा

*८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ के जिन काश्तकारों की जमीन १९६२ में गाजियाबाद महायोजना (मास्टर प्लान) के लिये अधिगृहित (एक्वायर) की गई थी, उन सभी काश्तकारों को मुआविजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो अब तक न देने का क्या कारण है तथा मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मास्टर प्लान के लिये भूमि अर्जित नहीं की जाती।

नोट—तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मास्टर प्लान के अनुसार गाजियाबाद क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये सन् १९६२ में जिन काश्तकारों की भूमि अर्जित (एक्वायर) की गई थी, उनको मुआवजा दिया जा चुका है।

काश्तकारों को दिये गये मुआवजे की दरों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नयी 'घ' आगे पृष्ठ ५९३ पर)

टाउन एरिया कमेटी, रुद्रपुर के विरुद्ध शिकायत

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की रुद्रपुर टाउन एरिया कमेटी की गलत कार्यवाहियों के खिलाफ उस कमेटी के कुछ सदस्यों ने जिलाधीश देवरिया, स्वायत्त शासन मंत्री, उत्तर प्रदेश, कमिश्नर गोरखपुर को दिनांक ३ अप्रैल, १९६५, १२ अप्रैल, १९६५ तथा ८ मई, १९६५ को दिया था और उस पर श्री एम० पी० जैन, परगना हाकिम देवरिया ने जांच कर अपनी रपट दे दी है ? यदि हां, तो उसकी हिन्दी प्रतिलिपि तथा दरख्वास्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये बताया जाय कि कौन सी कार्यवाही अमल में लाई गई ? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

टाउन एरिया कमेटी रुद्रपुर (देवरिया) के विरुद्ध गलत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उसके सदस्यों द्वारा की गई कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । कुछ सदस्यों ने चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी के विरुद्ध शिकायत की थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट देवरिया आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । अतएव प्रश्न में पूछी गई शिकायत और जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[हटा दिया गया ।]

बांदा की जलकल योजना के लिये ऋण

*११—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका को जल कल योजना हेतु सरकार से कितना रुपया ऋण तथा अनुदान स्वीकृत हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बांदा नगर की जल-कल योजना, जिसके अन्तर्गत पानी मिलने का साधन केन नदी है, उसके लिये बांदा नगरपालिका को १२,७६,००० रुपये का ऋण शासन ने दिया है । उक्त योजना के लिये शासन ने कोई अनुदान नगरपालिका को स्वीकृत नहीं किया है ।

इसके अतिरिक्त जुलाई, १९६५ में बांदा प्रोटेक्शन जल वितरण के लिये १,२०,००० रुपये का ऋण शासन ने नगरपालिका को स्वीकृत किया है ।

*१२—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार को जानकारी है कि बांदा नगर का वाटरवर्क्स प्रायः प्रति माह खराब हो जाया करता है ? कभी-कभी एक-एक सप्ताह तक नागरिकों को पानी नहीं मिल पाता है ? ऐसी दशा में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वाटर वर्क्स की असफलता का दायित्व किस पर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बांदा वाटर वर्क्स जिन-जिन तिथियों पर बन्द रहा उसका सविस्तार विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है । इस सूची से यह ज्ञात होगा कि अधिकतर बाढ़ आने के कारण पानी की सप्लाई बन्द थी जिसके लिये किसी का दायित्व नहीं है । जलकल योजना को सुचारु रूप से रख-रखाव की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं की ही होती है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५९४ पर ।)

गाजीपुर जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*१३—श्री राजनारायसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत सादात मनिहारी तथा जखनिया विकास खंडों में से प्रत्येक में कितने अदालत पंचायतों के सेंटर हैं जिनमें सस्ते गल्ले की दुकानें हैं और किन सेन्टरों पर नहीं है और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५९५ पर)

*१४—श्री राजनारायसिंह—

क्या उक्त विकास खंडों की कितनी दुकानें कैंसिल हुई हैं और क्यों और कितने दुकानदारों ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया है ? क्या उनकी जमानत की धनराशि लौटा दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों और ये जमानतें कब जमा हुई थीं तथा कब तक वापस कर दी जायेंगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

३ दूकानें गम्भीर त्रुटियों के कारण कैंसिल कर दी गई तथा ४ दूकानदारों ने त्यागपत्र दिया ।

दो दूकानदारों की जमानत वापस कर दी गई है, दो को जब्त कर ली गई है, तथा तीन दूकानदारों ने जमानत वापिस करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक नहीं दिया है । प्रार्थना-पत्र आने पर जमानत वापस कर दी जायेगी ।

केन्द्र से गेहूं की मांग तथा कृषि उपज वस्तुओं का मूल्य निर्धारण

*१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री दिनांक ८ मार्च,१९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ एवं ३५ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं की कितनी मांग पर सरकार द्वारा १,७५,००० टन की मांग केन्द्रीय सरकार से की गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गत वर्ष १९६४ में हमारी रबी फसल का उत्पादन कम रहा जिसके कारण गेहूं का मार्केटेबिल सरप्लस केवल ६८ हजार टन के लगभग था । हमें शहरी क्षेत्रों के लिये प्रति व्यक्ति प्रति माह ८ किलो की दर से १ करोड़ व्यक्तियों के लिये लगभग ८० हजार टन गेहूं तथा देहाती क्षेत्र के भूमिहीन व निर्धन कृषक जनता और श्रमिकों के लिये उस समय चल रही ८ हजार सस्ते गल्ले की दुकानों के हेतु ४ क्विंटल प्रति दुकान प्रति दिन के हिसाब से लगभग ९६ हजार टन प्रतिमाह गेहूं की आवश्यकता प्रतीत हुई । इसी आधार पर १,७५,००० टन प्रतिमाह की मांग प्रस्तुत की गई थी ।

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चावल एवं मोटे अन्न की कीमत तय करने का आधार सरकार द्वारा क्या क्या माना गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रदेश में पिछले ३ सालों के औसत मूल्य और अन्य प्रदेशों के प्रचलित मूल्यों को आधार माना गया है ।

*१७--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारखाने के सामानों की एवं गल्ले की कीमतों में बिना संतुलन किये गल्ले का भाव नहीं बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार सूचना उनके द्वारा भारत सरकार को चालू वर्ष में कब-कब दी गई है और उनका उत्तर क्या प्राप्त हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कृषि मूल्य आयोग के उपयोग के लिये विचार प्रकट करते हुए राज्य सरकार ने यह व्यक्त किया था कि कृषि उपज वस्तुओं के मूल्य उस समय तक सफलता-पूर्वक नियंत्रित नहीं किये जा सकते जब तक कृषि यंत्रों और अन्य उपभोग की वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रित न की जायं । यह सूचना ३० जनवरी, १९६५ को दी गई थी उनका कोई उत्तर तो नहीं आया है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने १९६५-६६ खरीफ फसल के धान व मोटे अनाजों का न्यूनतम भाव निर्धारित कर दिया है ।

उन्नाव जिला परिषद् को सीमेन्ट

*१८--श्री श्रीदत्त मिश्र--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला परिषद् को १९६४-६५ में और १९६५-६६ में ३० जून, १९६५ तक कितनी सीमेंट दी गयी और उसका वितरण किसको कितना किस निर्माण-कार्य के लिये किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१८१५ बोरे । वितरण सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५९६-५९८ पर)

*१९--श्री राजेन्द्रसिंह--

[स्थानान्तरित किया गया ।]

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर के हेड क्लर्क के स्थानान्तरण की मांग

*२०--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कूल से प्रिन्सिपल व हेड क्लर्क का निवास स्थान (गांव) केवल एक मील की दूरी के अन्तर्गत आते हैं तो क्या इनके स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)--

राजकीय कृषि विद्यालय बुलन्दशहर, के प्रधानाचार्य और हेडक्लर्क के निवास स्थान (गांव) विद्यालय क्रमशः ६ मील और एक मील की दूरी पर स्थित है । कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसा नियम नहीं है कि वे अपने जिले में नियुक्त न किये जायं । अतएव उक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में केवल इस कारण से विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२१—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रामचरण शाह—

क्या यह भी सही है कि हेड क्लर्क का फार्म और सरकारी फार्म दोनों मिले हुये हैं और दोनों फार्मों में एक ही लेबर काम करते हैं ? यदि हां, तो हेड क्लर्क के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गेंदासिंह—

कृषि विद्यालय फार्म का एक टुकड़ा विद्यालय के हेडक्लर्क के खेतों से मिला हुआ है। यह सही नहीं है कि विद्यालय के फार्म और हेडक्लर्क के खेतों पर एक ही लेबर काम करती है। अतः एक हेडक्लर्क के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*२२—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रामचरण शाह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हेडक्लर्क का तबादला दो मास के अन्दर करने का आश्वासन दिया था तो फिर अब तक तबादला न करने का क्या कारण है ?

श्री गेंदासिंह—

उक्त आश्वासन से सम्बन्धित कोई कागजात सुलभ नहीं है ।

उपभोक्ता भण्डार, देवरिया के विरुद्ध शिकायतें

*२३—श्री उग्रसेन तथा श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, देवरिया की कितनी चोरबाजारी सम्बन्धित शिकायतें अब तक सरकार जिलाधीश, जिलापूर्ति अधिकारी अथवा सहायक निबन्धक सहकारी समितियों को प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री उक्त भंडार की नियन्त्रित वस्तु सम्बन्धी व्यापार के विषय में खुफिया जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सर्वश्री चन्द्रबली सिंह व लखी सिंह तथा कुछ अन्य सदस्यों के दिनांक १८-८-६५ का एक संयुक्त शिकायती पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ । जिलाधीश देवरिया द्वारा जांच कराने पर कोई ऐसी अनियमितता नहीं पाई गई जिसके लिये केन्द्रीय उपभोक्ता भन्डार देवरिया के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से मिट्टी के तेल की चोरी

*२४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या यह सत्य है कि अगस्त, १९६५ के द्वितीय सप्ताह में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से एक टैंक मिट्टी का तेल चोरी हो गया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से अगस्त, ६५ के द्वितीय सप्ताह में एक टैंक मिट्टी के तेल की चोरी की सूचना सरकार के पास नहीं है । ३० जुलाई, ६५ को इस प्रकार की चोरी की सूचना है जिसका विवरण तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५९९ पर ।)

*२५—२७—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

[स्थगित किये गये ।]

*२८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[स्थगित किया गया]

*२९—३१—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[स्थगित किये गये]

जलपूर्ति अधिकारी

*३२—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कौन कौन से जिलों में जिलापूर्ति अधिकारी ऐसे हैं जिनको उस जिले में रहते हुये तीन साल या उससे अधिक समय हो गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बिजनौर और बस्ती ।

*३३—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री यशपालसिंह वर्मा—

क्या ऐसा कोई सरकारी आदेश है कि कोई भी सरकारी गजटेड आफिसर एक जिले में ३ साल से अधिक न रहे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, सरकारी आदेश है कि साधारणतः कोई भी गजटेड आफिसर को एक जिले में में ३ साल से अधिक नहीं रखा जाना चाहिये ।

*३४-३५—श्री रियासत हुसैन—

[स्थानान्तरित किये गये ।]

खीरी उपनिवेशन योजनान्तर्गत विकास शुल्क

*३६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपनिवेशन योजना क्षेत्र संपूर्ण नगर जिला खीरी क बसे हुये काश्तकारों से आजकल जो विकास शुल्क लिया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य ह तथा नवीन विकास योजना उस क्षेत्र के लिये सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गेंदासिंह—

जिस क्षेत्र में खीरी उपनिवेशन योजना चाल की गई वह बंजर तथा अविकसित था । सरकार द्वारा इसको ट्रैक्टर से तोड़ कर खेती योग्य बनाया गया । वहां सड़कें तथा नलकूप भी बनाये गये तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध की गईं । इस पर जो धन व्यय हुआ उसका कुछ अंश केवल शिक्षित उद्योगहीनों से विकास शुल्क के रूप में लिया जाता है । कोई नवीन विकास योजना उस क्षेत्र के लिये सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*३७-३९—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[स्थगित किये गये ।]

*४०-४१—श्री रामकिशोर वर्मा—

[स्थगित किये गये ।]

आटे का भाव

*४२—श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्ट्रोल की दुकानों में गेहूं और गेहूं का आटा कितने पैसे प्रति किलो बिकता है ? प्रान्त भर में सरकार कितने मिलों से गेहूं पिसाकर आटा कन्ट्रोल की दुकानों में भेजती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैदानी जिलों में सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण किया जाने वाला विदेशी गेहूं ५२ पैसे प्रति किलो बिकता है। पहाड़ी जिलों में ऐसे गेहूं का दाम सम्बद्ध जिलाधीशों द्वारा ढुलाई भाड़ा को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में हर स्थान पर यह दाम एक नहीं होता। ऐसे स्थानों पर जहां मिलें स्थित हैं होल मील आटा तथा रिजल्टेन्ट आटा का दाम प्रति किलो क्रमशः ५६ पैसे तथा ५४ पैसे है। अन्य जिलों में आटे का दाम सम्बद्ध जिलाधीशों द्वारा ढुलाई भाड़ा तथा दूकानदारों के लाभ को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार गेहूं देकर आटा नहीं पिसवाती है, परन्तु प्रदेश भर में २९ आटा मिलें ऐसी हैं जिन्हें भारत सरकार से विदेशी गेहूं का कोटा मिलता है और उससे बना हुआ आटा इत्यादि राज्य सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा बांटने के लिये ले लेती है।

बस्ती जिले में जड़हन का बीज

*४३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले के सदर तथा नौगढ़ व अन्य तहसीलों के ११० गांवों में जड़हन के बीज के स्थान पर भदई बीज इस वर्ष दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

बस्ती जिले के सदर तथा नौगढ़ व अन्य तहसीलों के किसी भी गांव में जड़हन के बीज के स्थान पर भदई बीज नहीं दिया गया है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बिहार निवासी तस्कर व्यापारी रतिराम की गिरफ्तारी

*४४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार का ध्यान वाराणसी से निकलने वाले दैनिक "आज" के १८ अगस्त, १९६५ के अंक के प्रथम पृष्ठ पर निकले इस समाचार की तरफ गया है कि मुगलसराय-वाराणसी का एक गल्ला व्यापारी श्री रतीराम, गल्ले के तस्कर व्यापार में पकड़ा गया है ? और यह बिहार सरकार के वारंट पर हुआ है और इसका व्यापार चीन तथा पाकिस्तान से होता रहा है और इसके पहले इसके दो लड़के भी तस्कर व्यापार में पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। श्री रतिराम बिहार सरकार के वारंट पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की सहायता से १७-८-६५ को मुगलसराय में गिरफ्तार किये गये हैं यह बिहार के निवासी हैं। इनके विरुद्ध बिहार में मुकदमा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रतिराम के दो लड़के कुछ माह पहले बिहार पुलिस द्वारा पकड़े गये थे। उनके मामले की जांच भी बिहार पुलिस कर रही है।

नीचीबाग वाराणसी में दुकानों का आवंटन

*४५—श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री नगरपालिका वाराणसी द्वारा नीचीबाग मुहल्ले में बाजार के लिये जो दूकानें तैयार कराई गई हैं उनका किराया निर्धारण करने के संबंध में उक्त महापालिका कार्यकारिणी का जो प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिये लगभग दो वर्ष पूर्व आया है उसके संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिये विभाग को कब प्राप्त हुआ ?

(ख) उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कोई निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) इस संबंध का प्रस्ताव मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी से ३० जनवरी, १९६४ को प्राप्त हुआ था। जिसमें यह बताया गया था कि कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव अधिनियम के प्रतिकूल है तथा उसके अनुसार कार्य करने में महापालिका को करीब १ लाख के आर्थिक हानि पहुंचेगी।

(ख) जी हां। जो अंतिम निर्णय अब लिया गया है वह यह है कि कार्यकारणी समिति द्वारा पारित संकल्पों के अनुसार जिन दूकानों का आवंटन ०.५५ पैसे प्रतिवर्ग फीट,मासिक से कम किराये पर नहीं किया गया है वह कायम रहेगा परन्तु जिन ५ पुराने किरायेदारों जिनको कार्यकारिणी समिति ने ४० प्रतिशत की छूट देना स्वीकार किया है उनका आवंटन नहीं माना जायगा जब तक वे किरायेदार ०.५५ पैसे प्रति वर्ग फीट प्रतिमास किराया देने को तैयार न हो जावें।

कानपुर जिला जेल में पी० ए० सी०

*४६—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या कारागार मंत्री, कृपया बतायेंगे कि क्या कानपुर जिला जेल के हवालाती कैदियों ने दिनांक १९ व २०, २१ अगस्त, ६५ को भूख हड़ताल की ? यदि हां, तो उसके कारण क्या थे और सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि जेल में अशान्ति के कारण पी० ए० सी० की व्यवस्था है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। कुछ दिनों के लिये पी० ए० सी० बुलाई गई थी।

अतारांकित प्रश्न

कृषि फार्म बारा की भूमि

१—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत कस्बा बारा में सरकार द्वारा एक कृषि फार्म खोला गया है ? यदि हां, तो क्या उसके संबंध में बतायेंगे कि फार्म की जमीन किस से कब और कितनी कीमत पर खरीदी गई थी ? और फार्म में कितनी इमारतें बनाई गई हैं उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है ?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। मिलेट्री कैंपिंग ग्राउन्ड की भूमि राजस्व विभाग से जनवरी सन् १९५८ में ४४३०७ रु० में खरीदी गई थी। फार्म पर कुल ८ इमारतें बनाई गई हैं जिन पर २०३६५ रु० खर्चा हुआ है।

२—श्री नत्था राम रावत—

क्या यह सही है कि उपरोक्त फार्म में निरन्तर इतना अधिक रुपया लागत खर्च से कम पैदा होने पर भी अब तक कोई उचित कार्यवाही सुधार करने की नहीं की गई?

श्री गेंदासिंह—

फार्म की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयत्न निरन्तर जारी है।

मऊनाथ भंजन में सस्ते अनाज की दुकानों के विरुद्ध शिकायत

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ के नागरिकों द्वारा दिनांक २९ मार्च, १९६५ का लिखित कोई रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र उनके पास आया है जिसमें ३९ दुकानदारों द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के गल्ले चोरबाजारी से बेचने के आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस प्रकार का कोई शिकायती पत्र मेरे पास नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना आयी है। इस वक्त चूंकि एमरजेंसी का वक्त है, मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें यहां सदन में नहीं होनी चाहिये, जिससे देश का अहित होने की संभावना हो। इस तरह की सूचना से कोई भी लाभ नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा मैंने इस सूचना को अनिश्चित मानकर स्वीकार नहीं किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, किसकी सूचना है यह तो बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री चन्द्रबली सिंह की सूचना है।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, दो में से एक बात कहिये। या तो यह कहिये कि देश के हित में यह नहीं है किन्तु निश्चित सूचना है या यह कहिये कि सूचना अनिश्चित है इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता। दोनों बातें एक साथ ठीक नहीं हैं। मेरी सूचना निश्चित है।

श्रीमन्, बुलन्दशहर के जिलाधीश श्री शमशाद अहमद के खिलाफ....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये मेरी अपील यह है कि ऐसे प्रश्न जिनसे कि देश का अहित हो सकता है, नहीं करने चाहिये। यह बिलकुल गलत बात है इस वक्त वैसे भी यह अनिश्चित बात है, इसमें कोई निश्चित बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी बात ठीक है कि इस समय पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये। लेकिन जब यह सूचना अखबारों में निकल गयी तो यह सही है या गलत है इसका उत्तर तो सरकार की ओर से होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रश्न पूंछकर भी जाना जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

देखिये सुचेता जी बैठी हुई हैं, आप उत्तर दिलवा दीजिये। यह तो जिलाधीश का कर्तव्य था कि वह अखबारों में बयान न देते लेकिन जब जिलाधीश ने बयान दे दिया है तो उसका परिमार्जन होना चाहिये कि यह गलत है या सही है, सही है तो कहां तक सही है। जो प्रश्न माननीय सदस्य चन्द्रबली सिंह ने उठाया है, इसको आप भले ही कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत न लें, दफा ५२ में न लें, किन्तु इस पर मुख्य मंत्री महोदय से बयान अवश्य दिला दीजिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मेरे पास कागज भेजवा दीजियेगा यदि कोई जवाब देने वाली बात होगी तो जवाब दे दिया जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लेकिन बनारसीदास जी से पूछकर जवाब न दीजियेगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नहीं, आपसे पूछकर। (हंसी)

प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास कई सूचनायें आयी हैं, उनमें से २ बाढ़ के बारे में हैं। आज नहीं, एक आध दिन में जब वक्तव्य होने वाला है, तो उसमें इस पर भी वक्तव्य हो जायगा। बाकी मैंने माननीय मंत्रियों के पास भेज दिये हैं उचित कार्यवाही के लिये। और कुछ ऐसे हैं जिन पर प्रश्न हो सकते हैं।

आईटम नं० ६ आज नहीं होगा।

कतिपय विषय

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरी सूचना का आपने क्या किया। कानपुर में अभी अभी ६ तारीख को एक फौजी की स्त्री के बच्चा पैदा हुआ था, किन्तु ऐसी नाजुक स्थिति में उस स्त्री को जबकि उसका आदमी देश रक्षा में लगा हुआ है, नगर के एस० पी० ने जबरदस्ती घर से निकलवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बातें मंत्रिगण से कर ली जायं, ऐसी अफवाहें आज कल चल रही हैं जिनके रखने से कोई लाभ नहीं होता, उनके बारे में निश्चित कर लिया जाय तब दिया जाय।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

नियम ५२ के बारे में माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बहुत सी अफवाहें आजकल चल रही है, उनके बारे में निश्चित मत हो जाय तभी लाया जाय क्योंकि इस तरह से नुकसान होगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

हम तो निश्चित समझते हैं तभी लाते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां कहा कि मेरठ में सौ छाताधारी उतरे हैं बाद में उसका खंडन किया तो जब इनके पास इतना स्टाफ है और वह गलत खबरें देती हैं तो हम भी जो खबरें रखते हैं वह देते हैं और आपका फर्ज है कि आप उनको माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री के पास भेजें । हम सब सदस्य सदन में बराबर हैं । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने गलत खबर दी तो क्या उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ? वह गलत खबर देंगी तो आप उनको सुनेंगे और हमको सुनेंगे भी नहीं । जिसके पास पूरी फौज है जब उनको गलत खबर मिल सकती है तो आपको और सरकार को भी हमको धन्यवाद देना चाहिये कि हम पता लगा कर इतनी सूचनायें इकट्ठी करते हैं और राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत हो कर करते हैं और उसी भावना से लाते है...

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी अपील यह है कि आप उस चीज को अच्छी तरह से जांच कर लें और माननीय मंत्रियों से बातचीत कर लें तब हाउस में आयें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री के खिलाफ गलत खबर देने के आरोप में डी० आई० आर० के दफा ३५ के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

एक हफ्ता हो गया, माननीय मंत्री ने अभी तक मेरे नियम ५२ पर वक्तव्य नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह जी, जरा सुनिये । आप बैठिये ।

श्री लखीसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि बयान अभी तक नहीं हुआ है उसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कल या परसों देंगे । उनके पास जब तक इन्फार्मेशन नहीं आयेगी तब तक कैसे देंगे ?

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके सम्मुख माननीय अध्यक्ष जी के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है । यह संकटकालीन परिस्थिति है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में यह प्रार्थना करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि अच्छा हो उसे वापस ले लिया जाय और सदन की अनुज्ञा के लिये न रखा जाय। इसके पहले कि मैं अपने साथियों से इसके लिये पुनः आग्रह करूं मैं एक बात कह देना आवश्यक समझता हूं। मान्यवर, मेरा संसदीय जीवन बहुत थोड़ा है लेकिन जो मैंने पढ़ा था और जो मेरा थोड़ा सा अनुभव है हाल की कार्यवाही से उसमें स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास जी टंडन का स्मरण आता है जिन्होंने इस कुर्सी का बहुत ऊंचा स्तर बनाया था। यह कुर्सी बड़े महत्व की है। यह कुर्सी जो प्रजातन्त्र का रथ है उसकी चालक है। इस कुर्सी ने विरोधी दल की सदा रक्षा की है। जब एक पक्ष और दूसरे पक्ष में विवाद खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी और स्थलों में जहां न्याय का पद होता है वहां सभी जगह यही नियम है, उसी प्रकार आपकी कुर्सी भी अल्पमत की ओर ही देखती है। इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए हम इतना कहने से अपने को रोक नहीं पाते हैं कि जिस स्तर की हमने आशा की थी उस स्तर तक यह कुर्सी पहुंच ही नहीं पायी, बल्कि उससे बहुत दूर रही। विरोधी दल की तरफ से जब ऐसे सवाल आते हैं तो उस पर विचार होना चाहिए और अध्यक्ष के प्रति जब ऐसे सवाल आते हैं तब उस पर अवश्य विचार होना चाहिए। और अपना कर्तव्य निबाहना चाहिए। मैं सच कहता हूं कि विरोधी दल, जो अल्पमत में है, आंख उठाकर अपनी रक्षा के लिए उनकी ही ओर देखता है। उनको ही अपना रक्षक समझता है। इस परिस्थिति में मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उनको उस स्तर से उठना चाहिए। विरोधी दल की अगर कोई शंका है वह दूर होनी चाहिए और भविष्य में इन बातों पर विचार करेंगे ऐसी मुझे आशा है। संकटकालीन परिस्थिति है इसमें वातावरण अच्छा होना चाहिए मेरी यह फिर प्रार्थना है कि कोई शंका हो तो उसको दूर होने का प्रयत्न होना चाहिए। जिससे सदन में भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो कि हम इन बातों पर विचार करें। यह कहते हुए मैं अपने साथियों से पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इन बातों पर विचार करते हुए वे अपने प्रस्ताव को अनुज्ञा के लिए प्रेस न करें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन विचारों को माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किया है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं लेकिन मैं इस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो गलती पिछले १८ साल से सरकार करती रही है वह तो क्षम्य है लेकिन इस संकटकालीन स्थिति में यदि वह गलती करेगी तो उससे देश और प्रदेश को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान चर्चिल के उस बयान की ओर खींचना चाहता हूं जो कि उन्होंने लड़ाई के दौरान में हाउस आफ कामन्स में दिया था। उस समय विरोधी दल ने जितनी भी कड़ी से कड़ी आलोचना हो सकती थी सरकार की लड़ाई सम्बन्धी नीति की वह उसने की थी। यहां पर मैं ऐसी हवा देख रहा हूं कि कोई बात सरकार के विरुद्ध न कहो। मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के सदस्यों के अन्दर भी दिल और दिमाग है और वे उतने ही देशभक्त हैं जितने कि कोई और सदन का सदस्य हो सकता है। अभी जो मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया तो उसका यही कारण था कि यदि इस प्रकार की कोई गलती होती रही तो उससे देश और प्रदेश को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सरकार अगर यह समझती है कि विधान सभा के अध्यक्ष रहना चाहिए और विधान सभा का कार्य नहीं चल सकता है तो हमारे अविश्वास का प्रस्ताव लाए बिना ही आपके अन्दर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उनको हटाकर दूसरे स्पीकर को बैठाएं। आप अगर यह समझते हैं कि किसी मन्त्री के रहते प्रशासन में गड़बड़ी फैलती है तो बगैर हमारे अविश्वास के प्रस्ताव के उस मन्त्री को हटा देना चाहिए। आज संकटकालीन स्थिति की यह मांग है कि जनता सन्तुष्ट रहे। इन बातों की ओर मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं सहमत हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विचार नेता विरोधीदल ने इस सदन में उपस्थित किए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। इस संकटकालीन स्थिति की यह मांग है कि इस समय सभी मतभेद भुला दिए जायं। जो अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध रखा गया है वह वापस होना चाहिए परन्तु एक बात जरूर है कि इससे पूर्व और आज भी यह अविश्वास का प्रस्ताव उनके विरुद्ध आया है। हम यह समझते हैं कि उनके खिलाफ विरोधी दल के और उधर के भी काफी सदस्य ऐसे हैं जो इस मत के हैं कि उनको हटा देना चाहिए। माननीय कमलापति जी को भी उनकी रूलिंग के विरुद्ध सदन का त्याग करना पड़ा है। हमारा निवेदन है कि इस समय तो अध्यक्ष के विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव वापस होना चाहिए लेकिन जब संकटकालीन स्थिति समाप्त हो जाय तो मुख्य मन्त्री जी को इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और उनको स्वयं इस पर निर्णय करना चाहिए कि उनको क्या करना है। यह समय उनके बदलने का नहीं है। इसलिए जो अविश्वास का प्रस्ताव उनके विरुद्ध आया है उसको वापस ले लिया जाय मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद जी ने जो सुझाव रखे हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु इतना मैं भी कह देना आवश्यक समझता हूं कि हम और हमारे दल के लोग, जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय इस सदन का कार्य चलाते रहे हैं, उससे सन्तुष्ट नहीं रहे हैं। जिस स्तर की निष्पक्षता उनको दिखानी चाहिए थी वह वे दिखा नहीं सके हैं। परन्तु जैसा हमने तमाम छोटी-मोटी बातों को भुला देने का निर्णय किया है उसी भावना के अन्तर्गत मैं भी इस प्रस्ताव के वापस लेने के पक्ष में हूं। हम आशा करते हैं कि अब से अध्यक्ष महोदय पूर्ण रूप से निष्पक्षता पूर्वक सदन की कार्यवाही चलायेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव अभी विरोधी दल के नेता श्री त्रिपाठी जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यूं तो अध्यक्ष महोदय के लिए अविश्वास के प्रस्ताव के लिए जो आधार प्रस्तुत किए गए हैं उनको मैं अक्षरशः सही समझता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि पिछले साढ़े तीन, पौने चार सालों के बीच में जिस प्रकार उन्होंने कार्यवाही का संचालन किया है, मुझे उससे घोर असन्तोष रहा है और मैं इस परिणाम पर पहुंच चुका हूं कि इस सदन की कार्यवाही चलाने के लिए वह बिलकुल ही क्षम्य (शायद समर्थ) नहीं हैं। अब जब कि इतने लोग उनके विरुद्ध दो बार अविश्वास का प्रस्ताव दिए और सरकारी पार्टी के....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय झारखण्डेराय जी....

श्री झारखण्डेराय—

अब आप फिर घबरा गए। मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। जब कि सरकारी पार्टी की ओर से भी लगभग १२५ सदस्य असन्तुष्ट हैं और कांग्रेस पार्टी के माननीय कमलापति त्रिपाठी ऐसे लोग भी उनके विरुद्ध वाक आउट कर सकते हैं तो आज नैतिकता का तकाजा यह है कि वह स्वयं ही अपने पद से हट जाते। आज जब देश में संकट है, तो ऐसी स्थिति में यह अच्छा ही होगा कि प्रस्ताव वापस ले लिया जाय और मैं इस अभूतपूर्व संकट को देखते हुए इसे वापस लेने की बात को ठीक ही समझता हूं, लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी से आशा करूंगा कि यह संकट लम्बा है और अधिक लम्बा हो सकता है इसलिए वे कुछ ऐसे कदम उठावें जिसमें सदन की कार्यवाही और उनका प्रशासन भी ठीक से चल सके और जनता तथा हम लोगों में जो असन्तोष है वह मिटे। इसलिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेक्निकल, कानूनी, फार्मल बात को छोड़ दीजिए, वे माननीय वर्मा जी को सलाह दे सकती हैं कि वे अपने पद से छुट्टी ले लें और जैसा गृह मन्त्री जी के लिए हमने बार-बार कहा है, उनको भी वे इस तरह की सलाह दे सकती हैं और हम लोगों के तथा जनता के असन्तोष का निवारण कर सकती हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं भी दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं वरना मैं अपने कागज-वागज लेकर बाहर चला जाऊंगा । मैं भी सदन का सदस्य हूं और इसलिए मेरी भावनाएं व्यक्त हो जाने दीजिए।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

नेताओं की तरफ से बात हो जाना ठीक है। हमारे पास भी डेढ़ दर्जन नेता हैं। अगर आप नीचे उतरें तो हमको भी मौका दीजिएगा।

(व्यवधान)

एक-एक आदमी अपनी बात कहता है और दो-दो बातें साथ में जोड़ देता है । इसमें कोई प्रेस नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर शान्ति के वातावरण में भी मिश्र जी खड़े होते हैं तो दिल डर जाता है। सब के हृदय की बात थी इसी लिए प्रस्ताव लाया गया। अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो कह लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री उग्रसेन से) आप कह लीजिए।

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूं तो इस विषय पर कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं इस सदन के हर सदस्य तथा मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से कि जब तक माननीय मदन मोहन वर्मा अध्यक्ष विधान सभा की कुर्सी पर हैं न यहां जनतन्त्र बन सकता है और न संसदीय परम्परा ही यहां कायम हो सकती है और न राष्ट्र का विकास हो सकता है। यह आप समझ लीजिए कि मदन मोहन वर्मा जी हम को फिकवा देते हैं, निकलवा देते हैं और उसके लिए प्रस्ताव मुख्य मन्त्री जी करते हैं, या वह प्रस्ताव हुकुमसिंह जी करते हैं। अगर सरकार प्रस्ताव न करे तो माननीय अध्यक्ष हमको केवल एक दिन के लिए ही निकाल सकते हैं। हमने मेज को पढ़ा उस में लिखा है कि अध्यक्ष कौन हो सकता है। लिखा है उसमें स्पष्ट शब्दों में कि जो किसी भी क्षण बादशाह के बुलाने पर सरकार बनाने की क्षमता रखता हो वही स्पीकर होने के योग्य है। [× × ×] हम चाहते थे कि अविश्वास के प्रस्ताव पर आज बहस हो जाय। मैं तो इन भावनाओं से कहता हूं कि मदनमोहन वर्मा के इस कुर्सी पर रहते हुए इस प्रदेश और सदन का कल्याण हो ही नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो ये बातें कही हैं वह रेकार्ड में से निकाल दी जायंगी।

श्री भवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता विरोधी दल ने जो संकटकालीन स्थिति को देखते हुए अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध प्रस्तुत प्रस्ताव को वापस लिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। किन्तु

[× × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

मैं यह उचित नहीं समझता कि जब हम इतने उदार हैं और अपने हृदय से यह महसूस करते हैं कि आज संकटकालीन स्थिति है उसको देखते हुए यह कदम उठाया। हमारा बहुत बड़ा मतभेद या अध्यक्ष महोदय से और इस प्रदेश के प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को उनके कारण बहुत हानि हुई है। उन्होंने हमारे भूतपूर्व अध्यक्षों द्वारा प्रतिपादित मान्यताओं और परम्पराओं को भी ठेस पहुंचाई है, लेकिन अधिक कहना मैं उचित नहीं समझता। मैं नहीं चाहता कि अध्यक्ष के व्यक्तिगत आचरण पर कोई बात कही जाय। इसलिए प्रजातन्त्र की मान्यताओं का आदर करते हुए अपने दल की ओर से मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा वापसी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, जिस तरीके से इसका विदड्राअल आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह उचित नहीं समझता कि जब हमने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है तो हम और कोई टिप्पणी करें। या तो फिर आज बहस ही करते खुल करके वरना अब अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए विरोधी दल की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं कि इसे वापस लिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे लगभग १३–१४ साल से इस सदन में सेवा करने का मौका मिला है। श्रीमन्, हमने उस कुर्सी पर नफीसुल हसन साहब को देखा, खेर साहब को देखा और तीसरे माननीय मदनमोहन वर्मा को देखा....

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए रामसुन्दर जी....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, कहिए तो मैं बैठ जाऊं। हम चाहें तो इस प्रस्ताव पर ४ दिन बहस करा सकते हैं। आप इस कुर्सी पर बैठते हैं तो हम अनुज्ञा लेने के लिए खड़े हुए थे....

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी प्रार्थना यह है कि जब आप इतनी उदारता दिखला रहे हैं....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम अपनी उदारता अपनी अक्ल से दिखला रहे हैं या आपकी अक्ल से?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं अगर विनति करूं तो कृपया आप इन्टरप्ट न करें। आज जो कोई भी कुछ बोलना चाहें, बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छी बात है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उन्होंने हुक्म दिया तो आप शान्त हो गए। हम हजार बार कहें तो आप नहीं सुन सकते।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप मुख्य मन्त्री के आदेशानुसार इस सदन को चलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, किसी के हुक्म से नहीं चलता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो मैं यह कह रहा था कि सब पुराने अध्यक्षों की व्यवस्थाओं को देखते हुए हमारी तरफ से किसी ने यह कोशिश नहीं की कि उस पद से हटाने के लिए कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। लेकिन बदकिस्मती है कि माननीय मदनमोहन वर्मा के खिलाफ ऐसा करने का अवसर मिला। जिस दल से हम चुनकर आए हैं वह दल और उसका अनुशासन और कर्तव्य यह मजबूर करता है कि अगर कोई माननीय सदस्य सदन की परिपाटी और उसकी गरिमा के खिलाफ कोई खराब काम करे तो अपने कर्तव्यों के मुताबिक उसे सदन से हटाने का या उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं माननीय नेता विरोधी दल और अपने और साथियों का बहुत आभारी हूं कि उसी से प्रेरित होकर उन्होंने मुझे भी यह करने के लिए कहा। एक बात मैं और निवेदन करदूं कि बहुत से माननीय सदस्यों की यह भावना हो सकती है कि हम सब लोग किसी मजबूरी में आकर या किसी दबाव में आकर ऐसा करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विरोधी दल एक मत से और दिल से चाहता है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर आज विवाद न हो। वैसे हम लोग तैयार होकर बैठे हैं, अगर सरकार के लोग चाहें विवाद करना तो इस पर विवाद किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने देश के संकट को देखते हुए माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। लेकिन मेरे दिल में जो दुख है उसे मैं कह देना चाहता हूं। आज माननीय सुचेता कृपालानी को भी किसी नियम के अन्दर यह अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वे सदन के १०० सदस्यों को किसी कमेटी में नामजद कर दें। यह अधिकार केवल माननीय अध्यक्ष को ही मिला हुआ है कि वे उनको कमेटी में भेज दें लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी उस अधिकार का बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि मैं माननीया सुचेता जी को सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि माननीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ था और उसके बाद सब दलों ने उनका अभिवादन किया था और उनकी प्रशंसा की थी और उस अध्यक्ष के खिलाफ जब पद से हटाने का प्रस्ताव आवे और उसकी शिकायत की जाय, तो यह मानी हुई बात है कि लोगों के दिलों में बात चुभी हुई है और उनके कर्तव्यों के खिलाफ लोगों के दिलों में भावनाएं बैठी हुई हैं।

एक उदाहरण मैं दे दूं कि आज तक की यह परिपाटी है और माननीय बनारसी दास जी को भी इसकी जानकारी है कि कमेटीज में नामजद करने के लिए उनके दल की तरफ से जिन सदस्यों के नाम जाते हैं माननीय अध्यक्ष के पास, मेरा विश्वास है कि शायद वे सब पूरे होते हैं। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि इस साल विरोधी दल की ओर से जब कुछ सदस्यों के नाम कमेटीज के लिए नामजद करने के लिए भेजे गए तो उनसे कह दिया गया था कि आप हमारे दल के इन्हीं लोगों को इस साल नामजद करें, लेकिन श्रीमन्, अध्यक्ष जी की इधर बैठने वाले तथा उधर बैठने वाले कुछ माननीय सदस्यों से अलग से दोस्ती है और इस दोस्ती के आधार पर वे अपनी कमेटीज में उन लोगों को नामजद करते हैं। नतीजा यह होता है कि सही माने में लोकतन्त्र और जमहूरियत की जो परम्परा है वह टूटती है। इस साल मैंने भी अपने दल के कुछ लोगों के नाम लिख कर भेजे और वैसे तो मैं उनके पास नहीं जाता लेकिन इस साल उनके पास गया और उनसे निवेदन किया कि आप विरोधी दल के लोगों को संगठित व अनुशासनबद्ध करने के लिए विरोधी दल की तरफ से भेजी हुई सूची को स्वीकार करें। अध्यक्ष जी ने कहा कि इसकी मैं कोशिश करूंगा कि उसे ही स्वीकार कर लूं लेकिन अगर बदलूंगा तो आपको राय के लिए बुला लूंगा, लेकिन मुझे तकलीफ है कि माननीय अध्यक्ष ने बुलाया नहीं और हमारी सूची के विपरीत और लोगों को कमेटी

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

में नामजद कर दिया। इस प्रकार के और भी बहुत से काम उन्होंने किए हैं, जिनके मैं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। माननीय चतुर्भुज शर्मा का ही सवाल था, उनके विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय जयराम वर्मा खड़े हुए तो उसे उन्होंने रूल आउट कर दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अनेकों बार उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन होता है, सदन का अपमान होता है, सदस्यों का अपमान होता है और उनके अधिकार छीने जाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों की राय और इच्छा माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा देंगे और उनसे निवेदन कर देंगे कि वे अपने में तब्दीली करें तभी इस सदन का और इस प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मेरा निवेदन यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेते समय और कुछ नहीं कहना चाहिए।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे तो कुछ विशेष नहीं कहना है। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा दूसरे नेताओं ने जो यह प्रस्ताव वापस लिया उसके लिए मैं आभारी हूं। बहुत अच्छा होता यदि इस समय कोई और बात न कही गयी होती, लेकिन लोगों के मन में कुछ उद्गार थे, उन्होंने कहा, और उससे इस अवसर की डिगनिटी कुछ घटायी है। मुझे कुछ उसके बारे में शिकायत नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं कि देश की विकट परिस्थिति को समझ कर आप सब ने ऐसा वातावरण बनाने की कृपा की है। इससे हम सब लोग एक होकर देश की लड़ाई में सहयोग दे सकेंगे।

कतिपय विषय (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

नियम ५२ के प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह दूसरे दिन लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने के लिए सदन की आपने अनुज्ञा नहीं ली?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो पेश ही नहीं किया गया, उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

हमारे प्रस्ताव पर बयान कब होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

वह कल या परसों हो जायेगा। (व्यवधान)

मैं यह सूचना दे रहा था कि कल १० बजे ब्लड बैंक की ओर से उनकी एक इकाई यहां पर हमारे सचिवालय में ब्लड लेने के लिए आयेगी। जो माननीय सदस्य ब्लड देने के लिए तैयार हों वे अपना नाम कृपया दफ्तर में लिखा दें ताकि उससे सहूलियत हो।

विधायक, सर्व श्री विजयकुमार तथा देवदत्त मिश्र द्वारा सुरक्षा कोष में धन देने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक दूसरी सूचना यह है कि माननीय विजयकुमार त्रिपाठी ने यह सूचित किया है कि वे अपना सम्पूर्ण वेतन उस समय तक सुरक्षा कोष में देते रहेंगे जब तक कि यह संकटकालीन स्थिति बनी रहेगी।

माननीय देवदत्त मिश्र ने भी यह सूचना दी है कि वे अपने सितम्बर मास का पूरा वेतन तथा उसके बाद ३५ रुपया प्रतिमास सुरक्षा कोष में बराबर जब तक यह परिस्थिति है देते रहेंगे।

सदन का कार्य-क्रम

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, आज का कार्यक्रम तो सदन के सामने एजेन्डे पर है। माननीय सदस्यों की यह इच्छा थी कि अब सदन स्थगित किया जाय। इसलिए आज के बाद यह सदन स्थगित हो जायगा और फिर सोमवार, दिनांक २०-९-६५ को बैठेगा। इस बीच माननीय सदस्यों को अपने यहां जाने का अवसर मिल जायगा। आज के बाद सोमवार को बैठेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बाहर जाना चाहें तो शान्ति से जायं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह था कि आप एक हफ्ते के लिये यह कार्य-क्रम बन्द कर रहे हैं। इसे कम से कम पन्द्रह दिन के लिये कराईये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब जो हो गया सो हो गया। मैंने माननीय वन मंत्री को बुला लिया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

आज के लिये कुछ चुनाव होने वाले ये तीन कमेटियों के लिये, उनका कार्य-क्रम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कोई चुनाव नहीं होगा।

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५*

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में पहले दिन निश्चित हो चुका है कि जो पहिले के छपे हुए अंग्रेजी के विधेयक हैं अगर उनमें कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाय, उनका ट्रान्सलेशन भी मिलना चाहिये। जिन खंडों में संशोधन प्रस्तुत किया गया है उनका अनुवाद नहीं किया गया है। इस कारण हम लोगों को बड़ी दिक्कत है कि मंत्री जी क्या संशोधन चाहते हैं।

---

*२७ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही में छपी है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विधेयक हिन्दी में है इसलिये कोई दूसरी आपत्ति नहीं खड़ी होती ।

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि वे मेरी बात को सुनने की कृपा करें । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्डियन फारेस्ट. . . . . .

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

शान्ति रखिये, बहुत शोर हो रहा है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

हम लोग चाहते थे कि सात दिन में क्या होगा । आने जाने में ही सारा समय लग जायेगा। इसलिये कम से कम पन्द्रह दिन के लिये हाउस बन्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अनाउन्समेंट हो गया वह हो गया । आप बात कर लीजिये कक्ष में जाकर के ।

श्री चरणसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, १९२७ में एक इन्डियन फारेस्ट एक्ट हमारे मुल्क में बना था और. . . . . .

श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । एक माननीय सदस्य पीठ कर के खड़े हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

(संबंधित सदस्य से) आप पीठ फेर खड़े मत हों । आप कृपया बाहर चले जायं ।

(माननीय सदस्य बाहर चले गये ।)

श्री चरणसिंह—

हमारे यहां १९२७ से पहिले १८७८ में भी फारेस्ट के सिलसिले एक अधिनियम तैयार हुआ और १८७८ से पहिले हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रायः सभी मुल्कों में वन को सम्पत्ति नहीं समझा जाता था । वन माने जंगल जहां कोई नियम या अधिनियम लागू नहीं होता था । जिसकी तबीयत आती थी, उसका इस्तेमाल करता था । अपने इस्तेमाल के लिये लकड़ी वगैरह भी काटी जाती थी । लेकिन जैसे धीरे-धीरे आबादी बढ़ी और अपने-अपने देश के विकास की ओर लोगों का ध्यान गया तो लोगों में यह बात रोशन होती चली गई । उनको यह बात धीरे-धीरे महसूस होने लगी कि वन भी एक सम्पत्ति है और इस सम्पत्ति की अगर अच्छी प्रकार रक्षा नहीं की जायगी तो देश के विकास में कठिनाई आयेगी । लिहाजा दुनियां के सभी देशों में आज वन का अच्छी प्रकार प्रबन्ध करने के लिये कानून बने हुए हैं । हमारे यहां अंग्रेजों ने बनाया १८७८ और ८० के आस-पास, उसके बाद १९२७ में बना । अब वन के जहां तक क्षेत्रफल का ताल्लुक है, हमारी एक वन नीति गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से घोषित हुई थी सन् १९५४ में और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सारे देश में और प्रत्येक प्रदेश में जितना क्षेत्रफल है उसका एक तिहाई अगर वृक्षों के और वनों के नीचे हो तो वहां की आर्थिक व्यवस्था सन्तुलित समझी जायगी, बैलेंस्ड इकोनामी के लिए आवश्यक यह है कि एक तिहाई जमीन में वन हों । मैदान के कम से कम २० प्रतिशत रकबे में जंगल हों या बागात हों और पहाड़ के ६० फीसदी रकबे में वन होने चाहिये । औसतन कम से कम ३३ प्रतिशत होना चाहिये। आज हमारे देश में बजाय ३३ प्रतिशत के वन का रकबा है केवल २३ प्रतिशत है और

वो ही प्रदेश अपने देश में ऐसे हैं, मध्य प्रदेश और केरल जहां, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय काशीनाथ जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि शायद जो मैं बात कह रहा हूं यह भी जनहित की ही है और जनहित की शायद वह भी बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस वक्त यह कहने का अधिकार रखता हूं कि उनका कान मेरी ओर होना चाहिये, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि केवल दो प्रदेश अपने देश में ऐसे हैं जहां जितना रकबा वन का होना चाहिये उतना है या उससे भी ज्यादा है । एक तो केरल है । ३३ प्रतिशत जमीन वहां वन के नीचे है और दूसरा मध्य प्रदेश है, ४८ प्रतिशत जमीन वहां वन के नीचे है । अब पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां वन का क्षेत्रफल देश में सबसे कम है, मुझे ठीक तो याद नहीं, शायद ११ प्रतिशत है । दूसरे नम्बर पर हमारा प्रदेश आता है जहां कि रकबा वन का पंजाब को छोड़कर देश में सबसे कम है—१५ या साढ़े १५ प्रतिशत । उपाध्यक्ष महोदय, लिहाजा हमारे लिये और ज्यादा लाजिमी हो जाता है कि हम अपने वनों की यथाशक्ति रक्षा और अच्छा प्रबन्ध करें ।

वनों के सम्बन्ध में आम तौर पर लोगों का खयाल यह है कि यह गैर जरूरी जायदाद है । कोई बहुत उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है । हमारे जिस आदमी को भी भूमि की जरूरत है कृषि करने के लिये, अगर वन उसके जिले के आस पास है तो उसका ध्यान वन की तरफ जाता है । भूमिहीन लोग हमारे यहां बहुत हैं और जिनके पास अनएकौनामिक होल्डिंग है सवा छः एकड़ से कम, उनकी तादाद ८०—८५ फीसदी है, इस तरह सभी के पास जमीन कम है । फिर इसके बाद हमारे यहां सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके पास भी जमीन बहुत कम है । उनको भी जमीन देकर हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, उनका ध्यान भी रह रहकर इधर ही जाता है और हमारे यहां देश की आजादी की जंग में भी बहुत काफी लोगों ने हिस्सा लिया, वह भी बहुत गरीब हैं, सारी उमर गरीबी में काटी, तो उनका और उनके साथियों का ध्यान भी वनों की तरफ जाता है कि काश यह दरख्त कट जाते और यह जमीन हमको मिल जाती तो हमारी आर्थिक समस्या हल हो जाती । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गवर्नमेंट को अपने जनहित के कार्यों के लिये जमीन की जरूरत होती है । जैसे कि रिजरवायर बनाना है, डेरी बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, आर्मी के लिये बेरेक्स बनाना है, हजारों ऐसी जरूरतें हैं । मैं उनको नाजायज बिलकुल नहीं समझता, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब इन सब चीजों के लिये जरूरत होती है तो हमारा ध्यान वनों की ओर जाता है । इस प्रकार से वन विभाग के दफ्तर में एक न एक मांग बराबर ही आया करती है । और कुछ नहीं तो कई ब्लाक्स की बिल्डिंग बनाने के लिये ही जमीन की मांग आयी है । इस प्रकार सन् ४७ से जनहित के कार्यों के लिये १९० वर्गमील यानी १,२१,००० एकड़ जमीन ली जा चुकी है । इसलिये मैंने अपने साथियों से कहा और इसके बारे में एक लंबा नोट भी लिखा कि एक बार यह तय हो जाय कि वन रहेंगे भी या नहीं । एक बात और रह गयी कि जब हमारे किसान से किसी काम के लिये जमीन ली जाती है, जब उस जमीन की किसी काम के लिये गवर्नमेंट को आवश्यकता होती है तो उनको मुआवजा तो दिया ही जाता है, उसके साथ-साथ उनको रिहैबीलिटेट करने के लिये जमीन देने का सवाल भी आता है । झांसी में हमारी काफी बड़ी छावनी है । उसके फाइरिंग रेंज को बढ़ाने के लिये जमीन की आवश्यकता हुई तो कहा गया कि उसके बदले में फारेस्ट विभाग की जमीन किसानों को दी जाय । क्योंकि जमीन गवर्नमेंट के फारेस्ट डिपार्टमेंट की है, किसी विशेष आदमी की नहीं है । सोचा यह जाता है कि पेड़ काट दिये जायें, फसल होने लगे तो गरीब लोगों की समस्या हल हो जाय । इस तरह से जमीन दिये जाने का दबाव चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट, फारेस्ट सेक्रेटरी और फारेस्ट मिनिस्टर पर बराबर पड़ता ही रहता है । इसलिये हर फारेस्ट मिनिस्टर जो अपनी ड्यूटी करना चाहता है, उसको मना करनी पड़ती है कि और वह रूखा कहा जाता है । मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों की इमदाद चाहता हूं कि वनों की रक्षा करने की जो गवर्नमेंट की नीति है, उस नीति को अच्छी प्रकार से संपादन करने के लिये यह आवश्यक है कि माननीय सदन के सदस्य वनों की आवश्यकता को समझें । अगर वे उनकी आवश्यकताओं को नहीं समझते तो वनों की महत्ता ही समाप्त हो जायगी ।

[श्री चरणसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैं एक तरह से ज्यादती कर रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, मेरा खयाल यह नहीं है कि वह विचार करते हैं तो इस नतीजे पर नहीं पहुंचते लेकिन जब हलके में दबाव पड़ता है तो क्या करें, उन्हें कहना ही पड़ता है, लेकिन विचार करने के बाद वह भी इसी नतीजे पर आवेंगे, मैं उनकी कठिनाई समझता हूं लेकिन अगर वन सम्पदा को कायम रखना है तो इन प्रेशर्स को रेजिस्ट करना होगा, हर प्रेशर पर सरेंडर करने से वन सम्पदा की रक्षा न हो सकेगी । जब हमारी २०० मुरब्बा मील जमीन वन सम्पदा की कम हो गई तो हमने विचार किया कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वनों का रकबा बढ़ सके, इस तरफ भी हमें कोशिश करना चाहिये । अगर सरकार न भी चाहे और वन विभाग न भी चाहे तब भी कुछ जरूरी चीजें हैं जिन के लिये हमें वन देने ही पड़ते हैं जैसे आरमी आपरेशन्स के लिये देने पड़ते हैं । जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ती जाती है डिमान्डस फार एकानामिक डेवलपमेंट आर बिकमिंग मोर ऐन्ड मोर इम्पेरेटिव यानी आर्थिक विकास की मांग भी वैसे-वैसे तेज होती जाती है. . . .

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

यह २०० स्कवायर मील जंगल क्यों काटे गये ?

श्री चरणसिंह—

दूसरे विभागों के जनहित के जो काम होते हैं उनके लिये वन विभाग से भूमि मांगी जाती है और उनको दी गई है, तमाम विभाग मांगते हैं और वन विभाग देता है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है । जहां सूबे के रकबे में इस तरह से कमी हुई वहां वह दो तरह से बढ़ा भी । एक तो १७०० स्क्वायर माइल रकबा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पास था । वह क्लास वन रिजर्व फारेस्ट कुमायूं का था जिसका प्रबन्ध कलक्टर और कमिश्नर वगैरह करते थे । उसके पुराने इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, वह मामला तय भी हो चुका है । मैं तो माननीय सदस्यों की इत्तिला के लिये बताना चाहता हूं कि सन् ११ में वह पहले रिजर्व फारेस्ट डिक्लेयर हुआ । वहां के लोगों को कुछ शिकायतें और तकलीफें हुईं, एक एजीटेशन हुआ और सन् २१ में १७५० वर्गमील भूमि रिजर्व वन डिक्लेयर की गई और माल विभाग के सुपुर्द कर दी गई । जनता की सुविधा के लिये माल विभाग के पास न तो पैसा था, न कोई प्रैक्टिकल नालेज थी और न किसी खास आरगेनाइजेशन का कोई इन्टरेस्ट वनों की रक्षा का था और इसका फल यह हुआ कि हमारे वन बरबाद हुये लेकिन अब ४० साल बाद यह आवाज उठी जनप्रतिनिधियों की ओर से कि वह क्षेत्र फारेस्ट डिपार्टमेंट को रिलीज कर दिया जाय । उस वक्त वहां एक विलसन नाम का चीफ कनजरवेटर आफ फारेस्ट्स था, उसने लिखा था कि आज कुमायूं की जनता अपनी आने वाली नस्लों का हित नहीं देखती, यह ठीक है कि आज उन की तात्कालिक तकलीफें हैं लेकिन वह समय आयेगा जब यहां की जनता फिर वन विभाग से कहेगी कि वनों की रक्षा आप कीजिये । वह समय अब आया और जो एनलाइटेन्ड पबलिक ओपीनीयन थी या जो हमारे नुमाइन्दे थे उन्होंने आवाज उठाई कि यह वन नष्ट हो रहे हैं । और अब यह फारेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने पास ले लिये हैं । उसके बाद फारेस्ट पंचायतें कायम कर दी गयी हैं और जितना उनसे बचा वह हमने करीब-करीब १८ या २० परसेन्ट पंचायतों को दे दिया है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के पास बचा वह हमने फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के इन्तजाम में ले लिया है । श्रीमन्, अभी-अभी जून, १९६५ में मैं रानीखेत गया था । वहां पर स्वायल कन्जरवेशन का काम हो रहा था तो जब हम रानीखेत से भुवाली की तरफ चले तो रास्ते में आधी दूर पर गर्म पानी पड़ता है । तो गरम पानी तक मैंने बेयर रौक्स देखे, नन्गी पर्वत माला देखी । गरम पानी तक कोरी चट्टानें हैं, प्रेजिंग होता रहता है । वहां पर अनरैस्ट्रिकटेड और अनरैग्युलेटेड एरिया है । बिना किसी बाधा के जब चराई होती रहती है तो उन्हीं के जानवरों के लिये भी वहां पर घास नहीं रह जाती है । करोड़ों रुपया लगाकर जो रामगंगा का रिजरवायर बन रहा है उसका जो कैचमेंट एरिया है अगर उसका सिल्टिंग हो जाय और जमीन कट-कट कर नदी में आजाय तो वह रिजरवायर भर जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, भाखरा बांध जो २ १/२ अरब रुपये से बनाया गया है उसमें यह शिकायत हो गयी है कि स्वायल कन्जर्वेशन न होने के कारण जिस क्षेत्र से पानी आता था, उसमें जमीन की रक्षा न होने के कारण जमीन कटने लगी। अब वहां के इंन्जीनियरों और पंजाब की गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गयी कि २०-३० साल में ही इसमें सिल्ट हो जायगी, लिहाजा अब प्लानिंग कमीशन की तरफ से भी कोशिश है कि जिस क्षेत्र से रिजर्वायर में पानी आता है यानी जो उसका कैचमेंट एरिया है, उसमें वहां पर भूमि रक्षण के लिये बहुत से मेजर्स लिये जायें। लिहाजा हमारी सरकार द्वारा, जिस इलाके से उस बांध में पानी आता है, वहां सवायल कन्जरवेशन की स्कीमें चलाई जा रही हैं। तो उसमें खर्चा करना पड़ता है, उन किसानों को मुआविजा देना पड़ता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी खेती की रक्षा हो जायगी, तुम्हारी आमदनी ज्यादा हो जायगी और जहां पर तुम्हारा लाभ होगा वहां पर देश का भी लाभ होगा। जमीन भी कटने से बच जायगी और यह बांध भी बच जायगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कुएं बना लीजिये, ट्यूबवेल बना लीजिये लेकिन अगर उनकी संख्या अधिक होगी तो उनमें पानी नहीं आयेगा। मद्रास में शुरू में कुएं ज्यादा बन गये। उन कुओं में पानी ही आना बन्द हो गया क्योंकि नीचे का जो रिजरवायर है, पानी का वह एग्जास्ट हो गया था। नीचे जो रिजर्वायर हमारी भूमि में है, वह तभी रहेगा जब हमारे फारेस्ट रहेंगे। जितने हमारे पेड़ होंगे, उतना ही अधिक पानी हमारे कुओं और ट्यूबवेलों में आयेगा। जमीन में रिचार्ज नहीं होता है। लिहाजा कौम की जिन्दगी हमारे दरख्तों पर मुनहसर है। लिहाजा सारे उत्तर प्रदेश की जिन्दगी को रखने के लिये जहां-जहां से हमारी बड़ी-बड़ी नदियां निकलती हैं, उनके कैचमेंट एरिया में दरख्त हों। जनहित का यही तकाजा है कि हमारे पहाड़ों में दरख्त हों और नीचे भी दरख्त हों। पहाड़ में रहने वालों का भी हित इसी में निहित है कि वहां पर दरख्त हों। उनका भी उससे लाभ है। तो वह एरिया अब हमने ले लिया है, वन विभाग उसका इंतजाम कर रहा है। सूबे का जितना क्षेत्रफल वन का है वह नहीं बढ़ा, लेकिन वन विभाग के पास यह साढ़े १५ परसेंट एरिया अब आ गया है, जो पहले नहीं था। दूसरे जमींदारी खत्म होने के बाद जो जमींदारों के अपने वन थे वह सरकार को मिल गये, लेकिन उनकी बहुत कटाई की गयी। फिर भी कुछ वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। रोबड़ २०० मुरब्बा मील तक लगभग कट गया। हमने यह सोचा कि किस तरह से पोजिटिवली यह रकबा बढ़े। तो एक समस्या थी चम्बल और जमुना की रेवीन्स की. १५, १६ साल से उसका हल समझ में नहीं आ रहा था। हल यों नहीं समझ में आता था न मालूम कैसे कागज में लिखा गया कि ३५ लाख एकड़ में रेवीन्स हैं हमारे सूबे में, १५ लाख एकड़ मध्य प्रदेश का है, १० लाख एकड़ राजस्थान में है। इस तरह से यह ६० लाख एकड़ का रकबा माना जाता था और यह फिगर्स केन्द्रीय सरकार की थीं। हमने कहा कि ३५ लाख एकड़ रकबा इटावा और हमारे आगरे जिले का नहीं होगा, मैनपुरी में बहुत थोड़े रेवीन्स हैं, कुछ हमीरपुर और जालौन में हैं। जो ४, ५ लाख एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। फिगर्स देखी गयीं तो ३ लाख ८० हजार एकड़ रकबा निकला। तो जो यह कहा जाता था कि ७०० रु० फी एकड़ रेवीन्स के रिक्लेमेशन में लगेगा उस हिसाब से अरबों रुपया बैठता था जो हमारे मीन्स के बाहर था। और हमने अपने आपको रीकनसाइल कर लिया था कि न इतना रुपया होगा और न रेवीन्स रिक्लेम होंगे। लेकिन अब जब उनका ऐक्चुअल रकबा कम है तो यह हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सीमा के अन्दर है। चूंकि इत्तफाक से दोनों डिपार्टमेंन्ट मेरे पास थे हमने इस प्रौबलम को दो हिस्सों में कर दिया, आधा ऐग्रीकल्चर विभाग को दे दिया और आधा वन विभाग को। जो जमीन रेवीन्स से मिली हुई है और कटती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से १५ साल पहले आगरे जिले के होलीपुरा गांव के एक अफसर हैं जो कलेक्टर हैं वह मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि जिन खेतों में पहले खेती होती थी आज वहां रेवीन्स हो गये हैं। तो हमने यह कहा कि जो जमीन अभी नहीं कटी, जिस पर काश्त हो सकती है, लेकिन दो साल में कृषि के क्षेत्र से निकल जायगी उस जमीन को तो हमने कृषि विभाग को दे

[श्री चरणसिंह]

दिया कि वहां स्वायल कंजरवेशन का काम वह करें और जो ऐक्चुअली रेवीन बन चुकी उसको वन विभाग ने ले लिया। १९५४ में गिरि गोवर्धन बिलकुल पत्थर था, १४०० एकड़ का उसका रकबा है, इसलिये १९५४ में यह तय किया कि इसका प्लान्टेशन हो। तो जहां पहले परिक्रमा करते समय पीने को पानी तक नहीं मिला करता था, अब मैं सब लोगों को दावत देता हूं कि वहां जायं और देखें कि बहुत अच्छे पेड़ वहां हो गये। उसी मीटिंग में यह तय किया गया कि अछनेरा के जो रेवीन्स हैं वह वन विभाग को दे दिये जायं और वह उनको दे दिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मार्च, १९६२ में मथुरा में जाने वाला था। अछनेरे के पास जब गाड़ी आई तो डी० एफ० ओ० ने गाड़ी रोक ली। कहा कि सुबह का वक्त हो गया है। यहां जरा सा देख लीजिये, गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। मैंने देखा कि १८०० एकड़ में जहां पहले घास तक नहीं थी वहां चारों तरफ का एरिया लहलहा रहा था और खर्चा आया पौने दो सौ रुपये फी एकड़ और उससे आमदनी भी होती है। गांव वालों से पूछा कि उनको बुरा तो नहीं लगा तो मालूम हुआ कि वे खुश हैं। उनके कुछ खेत आ रहे थे तो मैंने कहा कि यह खेत ले लो और बदले में जमीन दे दो। उसी को देख कर यह बात खटकी कि यह रेवीन्स का मामला क्यों हल नहीं हो सकता ? १५ साल की स्कीम पांच, पांच साल के फेज को ले कर बन गयी है हमीरपुर के रेवीन्स को रिक्लेम करने के लिये और वहां फारेस्ट लगाने के लिये। ऐसी मेरी ख्वाहिश है हालांकि डेमोक्रेसी में ख्वाहिश से काम चलता नहीं है, आगे आने वाली सरकार के हाथ में कैसे बांध सकता हूं ? मैंने फाइल में लिख दिया है कि जब फारेस्ट लगाया जाय और जब कोई गवर्नमेंट आये तो १०, २० साल तक उसे चाहिये कि यहां के दरख्त न काटे, क्योंकि दरख्त काटे और फिर रेवीन्स शुरू हुए। इस तरह वह एरिया ३, ४ लाख एकड़ का फारेस्ट में बढ़ जायगा और इस प्रकार फारेस्ट के मैनेजमेंट में यह एरिया लिया है। जो बाहर से लोग आये हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया के या अन्य प्रदेशों के, वे आमतौर पर हमारे प्रदेश के फारेस्ट डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट से संतुष्ट हैं। मैं दुनिया में किसी मैनेजमेंट से संतुष्ट नहीं हुआ। बहुत गुंजायश रहती है सुधार के लिये और हर डिपार्टमेंट में वह रहेगी लेकिन आम तौर पर जो डिपार्टमेंट का काम चल रहा है वह ठीक चल रहा है।

अभी कुछ कठिनाइयां आई थीं फारेस्ट डिपार्टमेंट के सामने और उन्हीं को हल करने के लिये मैंने आपके सामने यह विधेयक रखा है। वे कठिनाइयां ४, ५ थीं। अभी तक जो धारा ४ है इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट किसी भी लैंड को जिसमें फारेस्ट हो या जो वेस्ट लैंड हो उसको सुरक्षित घोषित कर सकती है रिजर्व फारेस्ट के लिये। अब जिन लोगों के अधिकार में वह जमीन है, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या जो रियायतें उनको दे दी गयी थीं वे आ कर कहते हैं कि हमारा अधिकार है, इसे सुरक्षित किया जाय और यह अधिकार ऐसा है जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता जैसे रास्ते का, पानी का, लकड़ी का या चराई का, तो उसके लिये उनको मौका दिया जाता है और एक फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर सरकार की तरफ से नियुक्त कर दिया जाता है जो कि डिप्टी कलेक्टर, रेवेन्यु डिपार्टमेंन्ट का होता है। डिप्टी कलेक्टर जुडीशियल आफिसर होता है। जो सिटीजन कहते हैं और आफिसर्स कहते हैं उसकी सुनवाई का काम होता है। उनके खिलाफ कमिश्नर के यहां अपील होती है और फिर यहां गवर्नमेंट में रिवीजन होता है। जब रिजर्व फारेस्ट डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद धारा २६ आती है। इसमें यह होगा कि जब रिजर्व फारेस्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर जो लकड़ी काटेगा, चराई करेगा यानी अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसका प्रासीक्यूशन हो सकता है। यह मोटा सा कानून है।

उपाध्यक्ष महोदय, २६ अगस्त, १९६० में कमिश्नर, वाराणसी का एक फैसला हुआ। जो जमीन जमींदारी एबालीशन के बाद गवर्नमेंट को मिली उसमें कंजरवेटर आफ फारेस्ट ने कहा कि इसको रिजर्व फारेस्ट डिक्लेयर कर दें। तो एक सज्जन आये और उन्होंने कहा कि यह न तो फारेस्ट लैंड है और न बंजर ही है। इसमें तो मैं खेती कर रहा हूं। वह जमीन वेस्ट लैंड थी

लेकिन उसने कब्जा करके उसमें हल चला दिया। लिहाजा वह कल्टीवेटेड लैंड है। जिस रोज नोटीफिकेशन हुआ उस रोज वह फारेस्ट लैंड तथा वेस्ट लैंड की परिभाषा में नहीं आती थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर ने इसको नहीं माना और वह अपील में गया और कमिश्नर ने फैसला कर दिया कि वाकई यह वेस्ट लैंड नहीं है। लिहाजा अब मैं यह संशोधन लेकर आया हूं। वह यह है कि जो जमीन गवर्नमेंट की है अगर गवर्नमेंट भी उसमें काश्त कर ले और कर लेती है। ठेंगा के जरिये काश्त होती है और जिन्होंने इसमें मुकदमें लड़े होंगे उनको याद होगा कि वे टेनेंसी ऐक्ट में अपवाद प्राप्त करते थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से जहां प्लान्टेशन नहीं कर सकते हैं और प्लान्टेशन की पहले कोई पालिसी भी नहीं थी, नेचुरल रिजनरेशन फारेस्ट का होता था और प्रकृति द्वारा होता था। अब हम प्लान्टेशन कर रहे हैं। ऐसी जमीन को फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लीज पर दिया जा सकता है। ऐसी जमीनें हैं और उन पर १०/२० साल से काश्त हो रही है। लेकिन ऐसी जमीन में जो हमने लीज पर दे रखी है उसे डिक्लेयर करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस रूलिंग के हिसाब से अब वह कल्टी-वेटेड लैंड हो गई। ला डिपार्टमेंट ने भी कहा कि यह अजमेंट सही है। इसलिये अब यह अमेंडमेंट है। इसका उद्देश्य है कि वह भूमि जो किसी की जोत में या खाते में शामिल न हो और आबादी में शामिल न हो उसमें गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्व फारेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। इसमें न किसी का नुक्सान है और न किसी को कोई तकलीफ ही है।

दूसरा अमेंडमेंट यह है कि मैंने यह कहा कि कमिनश्नर के यहां जो अपील होती थी उसका अब तक गवर्नमेंट के यहां रिवीजन होता रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने "अब तक" शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन हाई कोर्ट में एक मामला गया और उसमें फैसला हुआ १२ मई, १९६१ को। नीचे से फैसला एक नागरिक के खिलाफ गवर्नमेंट से हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन २२ में अपील नहीं हो सकती। अपील केवल यह हो सकती है कि जो प्रबन्ध आगे के लिये फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर या कमिश्नर ने किया है कि आगे पानी इधर से निकलेगा, रास्ता इधर से जायगा, तुम्हारे जानवर चरेंगे इसके लिये इतना क्षेत्र सुरक्षित कर दिया है, लोगों के अधिकारों के एक्सरसाइज के सिलसिले में जो फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर या कमिश्नर ने अपील में फैसला कर दिया उसके अरेंजमेंट्स, अदलाबदली, के सिलसिले में केवल अपील हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह कहा। लेकिन यह कि यह अधिकार इस व्यक्ति का है या नहीं इसकी अपील नहीं हो सकती। लेकिन अब यह बराबर हुआ। गवर्नमेंट अब तक एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट आफराइट तय करती रहे। हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा अधिकार नहीं। उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत से मामले मेरे सामने भी आये। फारेस्ट ऐक्ट पर मुझे मास्टरी हासिल नहीं है लेकिन मुझे यह लग रहा था कि फारेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की एजेन्सी है, गवर्नमेंट खुद फरीक और खुद ही जज हो जाय यह सही नहीं है। हमने फिर एग्जामिन करवाया। तो ला डिपार्टमेंट ने कहा कि बात सही है। जो अपील सुप्रीमकोर्ट को है, बेकार है। लेकिन अब गौर से और देखा गया तो जैसे शब्द हैं, उसमें वाकई गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं। लेकिन अमल होता रहा। लिहाजा वह अमेंडमेंट से साफ करने जा रहे हैं। सेक्शन २० या कौन सा है उसके अन्तर्गत जो प्रबन्ध कमिश्नर करते हैं उसके संबंध में होगा और पांच साल तक उसको रिवाइज कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति का अधिकार है या नहीं इसकी कमिश्नर और गवर्नमेंट में अपील नहीं होगी। अब हम उसको साफ कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट नाजायज बात करती थी। कमिश्नर निहायत ईमानदारी से काम करता है और गवर्नमेंट कभी उसमें इन्टरफियर नहीं करती है, विरोधी दल माने या न माने। लेकिन आम भावना है जनता में और जन सेवकों में कि कमिश्नर के यहां उतनी आब्जेक्टिविटी से शायद काम नहीं होता जैसा कि जज या मुंसिफ के यहां होता है। हम उस सेंटीमेंट की कद्र करने के लिये यह कर रहे हैं कि जो अपील अब होगी वह कमिश्नर के यहां नहीं होगी बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी। जो सैकड़ों केसेज १९६१ से हाईकोर्ट के फैसले के बाद से हमारे यहां, गवर्नमेंट के यहां इकट्ठा हैं, उन सब को तय करने के लिये ट्रांजीशनल मेजर के तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं जिसमें उन लोगों को बात

[श्री बरगसिंह]

सही लगेगी उसको वैसे ही मान लेंगे और जिसमें हमको शक होगा, उसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देंगे जहां के रहने वाले वे नागरिक होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरा अमेंडमेंट है वह यह है कि जो रियासतें हमारे यहां थी, जैसे बनारस, टिहरी, रामपुर, ज्यादातर हमारा टिहरी से ही वास्ता है और यों तीनों ही से वास्ता है, वहां पर टिहरी में जो फारेस्ट था, उसके बारे में टिहरी स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून सन् १९४० में पास किया, जिसका नाम था टिहरी गढ़वाल स्टेट फारेस्ट ऐक्ट, १९४०। और महाराजा साहब ने उस कानून को नाफिस किया ४ अक्तूबर, सन् ४० से, उसमें एक दफा थी, २७–ए, जिसे मैं अंग्रेजी में सुनाये देता हूं, बाद में हिन्दी में भी बता दूंगा।

"All forests which were demarcated prior to the introduction of this Act shall be deemed to be Reserved Forests, with such concessions as His Highness may be pleased to grant."

"सारे वन जो कि इस कानून के इन्ट्रोडक्शन से पहले डिमारकेटेड यानी जिनकी हदबन्दी हो चुकी थी, वह सब रिजर्व्ड फारेस्ट समझे जायेंगे और ऐसी रियायतों के मातहत जो कि महाराजा साहब मंजूर करेंगे।" इस तरह से रिजर्व्ड फारेस्ट, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट लागू कर दिया गया और २७–ए में यह लिख दिया गया कि वह रिजर्व समझे जायेंगे। टेहरी गढ़वाल फारेस्ट ऐक्ट, १९४० के मातहत कोई अलग से नोटीफिकेशन इत्यादि नहीं लागू किया गया इन एरियाज को रिजर्व्ड फारेस्ट बनाने के लिये। जब फिर टिहरी राज्य का विलीनीकरण हुआ, और राज्यों का भी विलीनीकरण हुआ तो स्टेट के सिलसिले में यू० पी० सरकार ने टिहरी–गढ़वाल अप्लीकेशन आफ लाज आर्डर, १९४९ पास किया जो कि ३० नवम्बर, १९४९ के प्रोविन्शियल गजेट, एक्सट्रा-आर्डिनरी में प्रकाशित हुआ। इसके द्वारा उक्त स्टेट के सारे पुराने लाज रिपील हो गये और यू० पी० के फारेस्ट जिन लाज के अन्दर गवर्न होते थे वह उन पर भी लागू हो गया, उस सारे क्षेत्र में जो टिहरी गढ़वाल स्टेट में आता था। साथ ही साथ एक सेविंग वाई लाज रखा गया, जिसे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा मुझे, जिसकी हमारे पास हिन्दी नहीं है, वह यह है—

> "6 (3)—Subject to the provisions of sub-paragraphs (1) and (2), anything done or any action taken including any appointment or delegation made, notification, order, instruction or direction issued, rule, regulation, forms, bye-law or scheme framed, certificate, patent permit or licence granted or registration effected, under such corresponding laws shall—"

इसका मोटा सा मतलब यह है कि यहां तो अमेंडमेंट लागू कर दिया गया, लेकिन यह कर दिया गया कि इन कानूनों के मुताबिक जो भी कानूनी कार्यवाही अब तक हो चुकी है, जो भी विज्ञप्तियां आदि जारी हो चुकी हैं वह वैध समझी जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी ओर अभी मैंने माननीय मित्रों का ध्यान आकर्षित किया जो रिजर्व्ड फारेस्ट डिक्लेयर किये गये थे, टेहरी में उनके सिलसिले में कोई नोटीफिकेशन या आदेश लागू नहीं हुआ। वह तो जो कानून था टेहरी सूबे का उसकी दफा २७ में लिया गया था और कहा गया कि वह रिजर्व फारेस्ट होंगे। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में एक केस हुआ। बंजू नामक एक आदमी का हमारे आफिसरान ने प्राजीक्यूशन कर दिया और नीचे की कोर्ट से सजा हो गयी। हाई कोर्ट में जब वह पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि वह रिजर्व्ड फारेस्ट नहीं था क्योंकि उसके लिये कोई नोटीफिकेशन नहीं हुआ था। जो आर्डर सन् १९४९ में तैयार हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि पुराना कानून मंसूख, नया कानून नाफिज लेकिन नये कानून के मातहत जो कार्यवाही उससे पहले हो चुकी है वह जायज समझी जायगी। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के अन्दर विज्ञप्ति नहीं हुई। अगर टेहरी सूबे के कानून के अन्दर विज्ञप्ति कर देते तो ठीक था और उस कानून के जरिये यह फारेस्ट रिजर्व हुआ इसलिये रिजर्व्ड नहीं हुआ। खैर, वह कानूनी

बात थी। यह बात ५ साल से पड़ी हुई थी, समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाय। अगर रिजरवेशन की कार्यवाही की जाय तो १०, १५ साल लग जायं और बड़ा खर्च हो और ऐसा नहीं करते हैं तो योंही मामला पड़ा रहता है और दरख्त कटते रहते हैं। तो हमने ऐडवोकेट जनरल साहब से राय मांगी। उड़ीसा में इस तरह के फारेस्ट्स हैं। वहां पर एक अमेंडिंग ऐक्ट है। तो एडवोकेट जनरल से बहुत दिनों तक बातें चलती रहीं। कभी उनको मौका नहीं मिला और कभी हमें नहीं मिला लेकिन अन्त में यही तय हुआ कि जैसा उड़ीसा में अमेंडमेंट हुआ इंडियन फारेस्ट ऐक्ट का वैसे ही यहां भी होना चाहिये। खंड ९ में यह सब उन्हीं मामलों से सम्बन्ध रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ों का महत्व उनके लिये जो पहाड़ों पर रहते हैं वह बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो वहां वन सेवक हैं टेहरी गढ़वाल के लिये उनको यह चिन्ता थी और उन्होंने कहा कि बात तो आप ठीक कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन करेंगे तो देर लगेगी लेकिन लोगों के जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत भी होनी है, बात उनकी भी सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई अनुचित बात नहीं कर रहे हैं। हमारे दोस्तों की एक मीटिंग हुई क्योंकि वह पहाड़ों के रहने वालों की दिलचस्पी थी, उनकी पार्टी मीटिंग हुई और उन्होंने कुछ बातें उठाई और यह कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। बात ठीक है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज देंगे अगरचे हमें जल्दी थी लेकिन बात सत्य थी। जो दो, तीन बातें उन्होंने हमें बताई उसके बारे में हमने अपने कानूनी सलाहकारों से मशविरा किया। और मेरा खयाल है कि हमारे नियमों का जो आब्जेक्टिव है वह उसमें पूरी तरह से मोट हो जाता है। वह हम कौंसिल में ले गये थे। वहां अमेंडमेंट्स अपनी और अपने मित्रों की तरफ से पेश करके मंजूर करवायें और उन संशोधनों के बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसमें रीकंसीलियेशन पब्लिक इंटरेस्ट का और वहां के लोगों का भी हो जाता है। हमने जो बिल पेश किया उसमें पहले यह शर्त नहीं थी कि उक्त दिनांक से पूर्व किसी व्यक्ति के पास में रहते हुये रक्षित वन समझे जायंगे और पहले शर्त यह थी कि जिस रोज से विज्ञप्तीकरण हुआ है, उक्त दिनांक से रक्षित वन समझे जायंगे। वे किसी प्रकार के वन हों, दूसरों के हों या स्टेट के। उक्त दिनांक से बराबर रक्षित वन समझे जायेंगे। अब हमने यह लफ्ज रख दिये हैं कि "यदि कोई अधिकार या रियायत किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रवृत्त हो।"

दूसरी बात मेरे दोस्तों ने यह बतलाई कि रिजर्वेशन हुआ नहीं। अगर कहीं पर हुआ है तो नाममात्र को हुआ है। आपका कहना ठीक हो सकता है और केवल आपकी अथारिटी पर मैं यह मान रहा हूं कि जिस तरह से राइट्स और कन्सेशन का वर्णन होना चाहिये, वह नहीं है। उसका समाधान इस तरह से किया है कि इसमें एक स्पष्टीकरण हमने जोड़ दिया है "इस उपधारा में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा रियायत के विद्यमान होने अथवा उसके प्रकार अथवा सीमा के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाने पर उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के उपरान्त, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, होगा, जो अन्तिम होगा"। अगर कोई ऐसी कठिनाई आ जाय कि जिसमें यह सवाल आ जाय कि उसके राइट पर कोई आघात है तो उसमें गवर्नमेंट तय करेगी। रिजर्वेशन की प्रोसीडिंग जिस तफसील के साथ होती है वह नहीं हो सकेगी लेकिन फिर भी गवर्नमेंट देखेगी और इन्क्वायरी करेगी। लोग अपने आप इन्टरेस्टेड होंगे। पहाड़ वाले लोग या जिनके वन हैं उन सब की यह गवर्नमेंट है तो यहां से उसका फैसला होगा जो अन्तिम होगा।

तीसरा यह किया है कि रास्ते और पानी के सिलसिले में जो प्रबन्ध है वह ५ साल के लिये रिवीजन की लिमिटेशन है। हम उसको ३ साल के लिये रख रहे हैं। हमारे दोस्तों ने कहा कि ३ नहीं इसके स्थान पर ५ ही होना चाहिये तो उसको ५ ही किया जा रहा है।

चौथी बात हमारे दोस्तों ने उठाई रिजर्वेशन एरिया के बारे में। रिजर्वेशन एरिया का डिमार्केशन जैसे स्टेट गवर्नमेंट के फारेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर करते रहे हैं वह बिलकुल गांव की सीमा तक पहुंच गये हैं। इससे लोगों को तकलीफ होती है। अब वह एरिया गांव से बिलकुल

[श्री चरणसिंह]

एक्सक्लूड कर दिया है । उसके लिये रिजर्वेशन प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है । हमारे कानूनी सलाहकारों ने बतलाया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दफा २७ में यह अधिकार दिया है । दफा २७ पेज २२६ पर इस प्रकार है :

> "Section 27. The State Government may by notification in the local official gazette, direct that, from a date fixed by such notification, any forest or any portion thereof, reserved under this Act, shall cease to be a reserved forest."

तो कहने का मतलब यह है कि जो डिमारकेटेड एरिया होगा राज्य सरकार के जमाने में वह एरिया ऐसा होगा और अगर वहां के लोगों को तकलीफ है तो उस एरिया को एक्सक्लूड करने के लिये किसी प्रकार की प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट जहां चाहेगी और जितने एरिया को चाहेगी, छोड़ सकती है । तो मैंने अपने मित्रों से यही कहा कि अगर लोगों को तकलीफ है कहीं तो मुझे बतलाया जाय । मैं अफसरों को भेज दूंगा और जहां तक होगा लोगों की इच्छा पूरी की जायगी ।

(इस समय १ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए ।)

अधिष्ठाता महोदय, इस में यह भी था कि प्रोटेक्टेड फारेस्ट में हम चराई और कटाई बंद करा सकते हैं । ऐसी हमारे यहां फाइल चल रही है । जब शुरूआत में विधान परिषद् में बिल पेश हुआ तो उस में यह दफा नहीं थी । कुछ पहाड़ के दोस्तों ने कहा कि इसमें सिविल फारेस्ट भी आ जायेंगे । उनकी लिस्ट इस में दे रखी है । तो मैंने उन से कहा था कि इस से हमारा वास्ता नहीं है । इरादा तो यह था कि नहर या सड़कों के किनारे जो दरख्त लगाये जाते हैं, उनको लगाते तो हम हैं, लेकिन उनको जानवर चर जाते हैं और उन को हम रोक नहीं पाते । पेड़ खराब हो जाते हैं और सारा रुपया बेकार हो जाता है । जैसे रिजर्व फारेस्ट में चराई वगैरह के रेगुलेशन के लिये विभाग के पास अधिकार हैं वैसे अधिकार इन के लिये नहीं हैं । तो मेरा मंशा था कि उस जगह को भी हम प्रोटेक्टेड फारेस्ट की तरह ही कर दें कि इस जगह से इस जगह तक चराई नहीं होगी ताकि पेड़ पनप सकें । लेकिन पहाड़ के लोगों की राय थी कि इससे सब गड़बड़ हो जायगा । फिर मैंने अपने कानूनी सलाहकारों से बात की और उन्होंने कहा कि बात ठीक है । इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है । जो कानून में अख्तियार मौजूद हैं उन से यह काम पूरा हो सकता है और हम चराई आदि रोक सकते हैं । इसलिये हमने उस धारा को निकाल दिया ।

यह मैंने इसलिये अर्ज किया कि हमारे जो मित्र टेहरी के या उत्तर काशी के हैं उन को बात साफ हो जाय । अब हमारे कुछ मित्र कह सकते हैं कि आपने वायदा किया था कि आप इसे जवाइंट सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं ले गये । मैंने वायदा जरूर किया था लेकिन वह सब मित्रों के सामने बात नहीं हो पायी थी कुछ लोग उठकर चले गये थे । तो मुझे अन्देशा था कि शायद पहाड़ के उन क्षेत्रों के रहने वाले मित्र आग्रह करेंगे कि इसे सिलेक्ट कमेटी में दीजिये और मैं समझता था कि उनमें श्री किशन सिंह, त्रेपनसिंह, बहिनजी होंगी, लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा तो उनके नाम थे जिनका पहाड़ से कम वास्ता है ।

चौथी बात जो काबिल जिक्र है वह यह है कि गरीब आदमी, विधवा, नाबालिग लोगों की जो जमीन होती है उस पर घर के लोग कब्जा कर लेते हैं । इंडियन क्रिमिनल कोड की धारा ४४८ के मातहत अगर सजा भी हुई तो ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होता है, कब्जा नहीं छोड़ते । एक हफ्ते की सजा भी हुई तो भी कब्जा नहीं मिलता । तो हमने सन ६१ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह अमेंडमेंट करा दिया कि राइट इनडिस्प्यूट हो जाय किसी डिक्री में और उसपर कोई आदमी कब्जा न छोड़े तो पुलिस के जरिये उस नाबालिग को कब्जा दिलाया जाय । उसी तरह का अमेंडमेंट हम इसमें ला रहे हैं कि फारेस्ट की जमीन पर जो लोग कब्जा कर लेते हैं और इंडियन

फारेस्ट ऐक्ट के मातहत प्रासीक्यूशन हुआ, जुर्माना हो गया, सजा हो गयी लेकिन कब्जा नहीं हो रहा है । कब्जे के लिये दीवानी में केस दायर कीजिये, तो जब मालिक हो—गवर्नमेंट या कस्टोडियन जैसे कि गांव पंचायत होती है लैंड की तो उसी तरह का दावा वह करे और उसमें बड़ा खर्चा होगा और यह जैसी कि मनुष्य की कमजोरी है पूरा इंटरेस्ट आमतौर पर आफिसर्स को नहीं होता तो जुर्माना और सजा के साथ ही मैजिस्ट्रेट यह आर्डर कर दे कि उसका कब्जा फारेस्ट डिपार्टमेंट को दिलाया जाय ।

आज के कानून के अधीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को यह अधिकार रहा है कि फारेस्ट के इलाके से जो फारेस्ट की संपत्ति ले जाय तो कायदे में उसको कुछ ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है,जो कि रवन्ना कहलाता है । तो हमारी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी है उसके सामने मामला आया । तब कंजरवेटर्स को गवर्नमेंट ने अधिकार दे दिया था कि तुम ट्रांजिट फी ले सकते हो । कंजरवेटर आफ फारेस्ट एक तरह से सब हेड हैं इस डिपार्टमेंट के । जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में एक डिप्टी डाइरेक्टर होता है लेकिन उसे उतना पूरा अधिकार नहीं होता लेकिन इसको हमने किन्हीं परपजेज के लिये पूरा अधिकार दे रखा है । इनको बीस-बीस दिनों तक बाहर रहना पड़ता है । अगर किसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट दो महीने में आती है तो इस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ६ महीने में आती है, लिहाजा कानून के अनुसार बहुत से अख्तियारात कंजरवेटर को हासिल हैं जिसके लिये उसे चीफ कंजरवेटर को रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती । गवर्नमेंट ने सर्किल कंजरवेटर को यह अधिकार दे दिया है कि ट्रांजिट फीस लगा सकता है । डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ने कहा कि लेजिस्लेचर ने गवर्नमेंट को यह अख्तियार दिया था लेकिन उसके खिलाफ काम किया गया है । उसका कहना है कि जिसको पावर डेलिगेट किया जाता है, उसको वह सब डेलिगेट नहीं कर सकता । इसीलिये शिष्टाचार का नियम है कि उधार ली हुई चीज किसी दूसरे को उधार न दी जाय । लिहाजा अब हम वह पावर ले रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कंजरवेटर को भी अपनी पावर डेलिगेट कर सकती है । उनके खिलाफ दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है । कानून के अनुसार हम इसे कर रहे हैं । श्रीमन्, मैं माफ किया जाऊं कि इस छोटे से विधेयक पर मैंने आपका इतना समय लिया ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो पुराने केसेज फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर द्वारा तय हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा तय हो चुके हैं और स्टेट गवर्नमेन्ट के यहां अपील में पड़े हुए हैं, क्या उन सब पर यह लागू होगा ?

श्री चरणसिंह—

मैंने तो अर्ज किया कि आज सैकड़ों अपीलें जेरे तजवीज हैं और गवर्नमेन्ट के पास रुकी हुई हैं । हमने जो तय किया था उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की । सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करना चाहिये था । कानून सही है और हाईकोर्ट का फैसला भी सही है लिहाजा अब हम यह कर रहे हैं कि उन अपीलों को तय करने के लिये एक ट्रिब्यूनल बनाया जाय । जिला जज के पास हम सब केसेज भेज देंगे जहां का फारेस्ट था । अगर सेटिलमेंट आफिसर ने कोई खिलाफ फैसला किया है और केस से हम समझते हैं कि यह गवर्नमेन्ट की जमीन नहीं है और यह फैसला गलत है तथा यह किसी व्यक्ति या नागरिक की है, तो उस जमीन को हम रिलीज कर देंगे । जो दूसरे केसेज होंगे उनको हम जजों के पास भेज देंगे ।

श्री भगवान सहाय—

इस वक्त जो गवर्नमेन्ट के यहां अपीलें रुकी पड़ी हैं, उन सब को आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज देंगे ?

श्री चरणसिंह—

उन सब में फैसला करवेंगे नागरिक के हक में या उन्हें छोड़ ही देंगे । अपने हक में फैसला नहीं करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों को और कोई शंका होगी तो उन्हें बोलने का बाद में मौका मिलेगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, हम अपने वन मंत्री के बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इतने विस्तार-पूर्वक. . . . . .

*श्री अधिष्ठाता—

आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा । अभी आप बैठ जायं ।

*श्री रक्षपालसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक मास में प्रस्तुत कर दे ।

श्रीमन्, यह विधेयक माननीय वन मंत्री जी द्वारा यहां पर प्रस्तुत हुआ और उसके लाये जाने के जो कारण थे उनके बारे में भी माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तारपूर्वक बतलाया कि किन-किन कारणों से इस विधेयक में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी और श्रीमन्, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जो संशोधन किए जा रहे हैं इनमें कुछ बहुत ही आवश्यक हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं । हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो संशोधन किया गया है वह बहुत उचित संशोधन है । उसके अलावा और कोई चारा नहीं था । संवैधानिक अचड़नों को दूर करने के लिये और इसको रेगुलेराइज करने के लिये इन संशोधनों को दूर करना आवश्यक हो गया था ।

इन में एक संशोधन विभाग के कुछ अधिकार बढ़ाने के बारे में किया गया है । उसमें मुझे आपत्ति है । एक किसान जो काफी समय से किसी भूमि पर खेती कर रहा है, वह उसको जोतता है, उसमें खेती करता है, वह भूमि यदि ऐसी है कि जिसे सरकार ने वन क्षेत्र के लिये सुरक्षित घोषित कर दी है तो सरकार उसको ले लेगी । मैं इस बात से तो सहमत हूं कि वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए । किन्तु ऐसी भूमि पर जिसे सरकार ने सुरक्षित घोषित कर दिया है, यदि उस पर खेती होती है और उसे लिया जाता है तो प्रदेश के अन्दर एक समस्या खड़ी हो जायगी । यहां पर मिर्जापुर में थारुओं की समस्या है, झांसी जिले में भी कई इस तरह की समस्यायें हैं, और जगह भी हैं, सरकार को उन पर विचार करना होगा । आज प्रदेश में अन्न का संकट है । यह हो सकता है कि आगे चल कर बाहर से मिलने वाला अन्न भी बन्द हो जाय । ऐसी स्थिति में धारा ४ में जो संशोधन आप करने जा रहे हैं वह उचित न होगा । किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भूमि को तोड़ कर उसे खेती योग्य बनाया है, अगर उसे छीन लिया जायगा तो उसकी जीविका का प्रश्न उपस्थित हो जायगा । हमारे प्रदेश में ऐसे काफी लोग हैं जो भूमिहीन हैं । इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि कोई ऐसी समस्या खड़ी न हो जाय जिससे कि उनकी जीविका चलना मुश्किल हो जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चरणसिंह—

माननीय सदस्य क्या युक्ति दे रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया, जरा स्पष्ट कर दें फिर से।

श्री रक्षपालसिंह—

मेरा कहना यह है कि हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद जो संशोधन आपने उसके अनुसार इसमें किए हैं वे तो ठीक हैं। परन्तु जो ऐसी भूमि है जिसका कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि लोग खेती करते थे, सरकारी जमीन थी और खेती होती थी, ऐसी भूमि को लेने का प्रश्न आया तो कह दिया गया कि यह जंगल है, इसमें खेती होती है। ऐसी भूमि जब तक सरकार की योजना न बनी हो, उसमें लाकर जंगल बनाने की बात हो जाय, ऐसी भूमि जिसमें कृषि होती हो, आजकल के संकट काल में, साथ-साथ जिलों में वर्ग विशेष—भूमि हीन, आदिवासी के जीवन चलाने वाली बात हो, ऐसे सब अधिकार उन्हें देने की बात है। वैसे तो जंगल के विभाग पर अधिकार प्राप्त होगा परन्तु इस पर एक विशेष वर्ग के प्रभावित होने का और वहां से उसके बेदखल होने की स्थिति पैदा हो सकती है और साथ ही हमारे यहां पर एक स्थिति यह भी है कि जो जमीन जोतेगा उसकी जमीन होगी, उसके भी यह खिलाफ है। टिहरी-गढ़वाल और अन्य राज्यों के बारे में बात कही गयी। वहां पर क्या कानून थे और वहां पर किसका कब्जा है और क्या वह प्रारम्भ से ही रक्षित वन समझा जायेगा? एक भूमि ऐसी हो सकती है जिस में बीस साल से कब्जा हो। परन्तु हमारे प्रदेश में एक कानून बना जिसके अनुसार साल के अन्दर दूसरे काश्तकार की भूमि समझी जायगी, प्रदेश के अन्दर एक लॉ है। उसके अन्तर्गत लोगों को अधिकार प्राप्त है। अगर वन माना था तो वह सुरक्षित वन समझा जाएगा। इस पर एक आपत्ति वाली बात यह हो सकती है कि एक प्रकार के वर्ग के लोगों को जो वास्तव में भूमि पर खेती करते रहे हैं उनको सुविधा होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है अगर न हो तो सरकार कम से कम निश्चित रूप से योजना बना कर उसे कार्यान्वित कराये और तब तक पट्टे के रूप में ही निश्चित रूप से रखने का अधिकार होना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जंगल जो वेस्ट लैंड से भिन्न भूमि है उसको प्राप्त करने का और खेती करने वाली भूमि हो उसको जंगल की योजना मान लें, ठीक है मन्त्री जी ने जो बात कही कि आज कटाव को रोकना है उनकी यह बात ठीक है। जंगल की स्कीम आज उन क्षेत्रों में लागू करने की कोई आपत्ति नहीं। यमुना रिहन्द नदी में जो कटाव पैदा होता है वहां पर भी सरकार थोड़े से एरिया में चलाती है, अगर ज्यादा में चलाने लगे तो कोई आपत्ति नहीं। इस धारा के अन्तर्गत कृषि योग्य जो भूमि है उसको लेकर जो सारे अधिकार समाप्त करने की बात है वह मैं ठीक नहीं समझता जब तक जंगल लगाने की बात उसमें न हो। मैं तो यह कहूंगा कि जंगल लगाने के लिए खेती के अतिरिक्त भूमि का कब्जा तो अच्छा होगा क्योंकि जातिविशेष और खेती के उत्पादन की समस्या के साथ उसको विचारना चाहिए। न विचार करने पर उन जाति विशेष पर प्रभाव पड़ेगा और कई लोग इस तरह से बेकार हो जावेंगे। इसमें एक बात कही गई अपील के बारे में। मेरी तो समझ में नहीं आया। यह जो धारा ९ के अन्तर्गत जोड़ा गया है इसको मैं नहीं समझ सका। मन्त्री जी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ९—की उपधारा (५) में जो रक्खा गया है कि "व्यक्ति को सिद्ध दोष करने का प्राधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा।" इस अवसर पर यह संशोधन आवश्यक था ही परन्तु उसके आधार पर जो कृषि योग्य भूमि लेने वाली बात है उसको मैं बहुत आपत्तिजनक समझता हूं। इस समय मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां तक वनों के संरक्षण का प्रश्न है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, वह होना चाहिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ने जो टैक्स लगाने की बात कही थी उसका भी जो अधिकार प्राप्त किया गया है वह भी संविधान के अन्तर्गत ही है। उसके बिना जो कुछ होता था वह गलत होता था और उसको ठीक करने के लिए प्राविधान इसमें किया गया है। पहाड़ों में जब वह कमेटी गयी थी तो कुछ, स्थान देखने का हमको मौका मिला। एक विशेष बात हमारे देखने में आयी कि जिस ओर सूरज की धूप

[श्री रक्षपालसिंह]

पड़ती है, उस ओर तो जंगल बिल्कुल ही नहीं है। पहाड़ की चोटी के एक साइड में तो वृक्ष और जंगल है, दूसरी साइड में नहीं है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि दोनों तरफ जंगल हो सकें। कमेटी ने यह भी वहां बैठक करते हुए सोचा कि इन जंगलों में रबर इत्यादि के पेड़ भी लगाए जायं जैसा कि बी० बी० सरन ने विधान सभा में भी कहा और उन्होंने तो पेड़ लगाकर दिखाए भी। तो यह व्यवस्था हो सके तो आमदनी का एक जरिया हो सकता है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने भी किया मथुरा और हमीरपुर आदि में जमुना के कटाव के क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से ही इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए और वहां के कटाव को रोकने तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने का जो प्रयास चल रहा है वह सराहनीय है।

इसके बाद मैं इस तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस अपने प्रदेश के अन्दर आम, महुवा और जामुन यह तीन प्रकार के पेड़ ऐसे हैं कि जो हमारे खाने की समस्या को भी हल करते हैं। तो जहां यह चिलबल वगैरह के बिल्कुल निरुपयोगी पेड़ लगाए जाते हैं उनके स्थान पर नहरों और सड़कों की पटरियों पर फलदार वृक्षों के लगाने की व्यवस्था हो तो इससे हमारी खाने की समस्या को हल करने में भी मदद मिलेगी।

एक बात का और मैं उल्लेख कर दूं कि अपने प्रदेश के अन्दर एक प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट भी लागू है, उसके अन्दर निश्चित रूप से खामियां हैं जिनके कारण बहुत से पेड़ और छोटे-छोटे बाग लगातार कटते चले जा रहे हैं। हमारे मैदानी क्षेत्र में आम और महुआ के पेड़ों का बड़ी तेजी के साथ ह्रास हो रहा है। इसको रोकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चाहे प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में संशोधन करके हो, चाहे इसमें व्यवस्था हो, लेकिन उसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। मैदानी इलाकों में इन पेड़ों की शक्ति को नष्ट होने से रोकना चाहिए क्योंकि उसके क्षीण होने से हमारी खाद्य समस्या पर भी प्रभाव पड़ता है। इन बातों की ओर भी मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मान्यवर, हम अपने वन मन्त्री के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इस ऐक्ट का संशोधन सदन के सामने पेश किया है। जंगलों की उपयोगिता की ओर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया है। मैं अपने सदस्य भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कभी उन्होंने विचार किया कि पहाड़ों में वर्षा क्यों ज्यादा होती है और प्लेन्स में क्यों कम वर्षा होती है? राजस्थान में बारिश इतनी कम क्यों होती है और मध्य प्रदेश में अधिक क्यों होती है? इसका एक मात्र कारण यह है कि वृक्ष हमारे इन्द्र महाराज का स्वागत करते हैं और पेड़ों के कारण वर्षा ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि पेड़ों और जंगलों की रक्षा करना मानव जाति के लिए बड़ा जरूरी है। मानव जाति ने जंगलों को नष्ट किया है। हमारे एबोरीजिन्स जैसे नागा इत्यादि हैं, वे सब से पहले पेड़ काटते हैं, जंगलों को जलाते हैं। आज उन्होंने यहां खेती की, फिर दूसरी जगह चले गए। इस तरह से मनुष्य जंगल का शत्रु हो गया गोकि वह बिना जंगलों के रह नहीं सकता है। ब्रिटिश राज्य की एक सब से बड़ी देन यह है कि फारेस्ट ऐक्ट बनाकर जंगलों की रक्षा सन् १८७८ से शुरू की। एक समय था जबकि लखनऊ में भी गैंडे और शेरों का शिकार होता था। दिल्ली से अकबर और अन्य बादशाह यहां शिकार के लिए आते थे। उन जंगलों को हमने नष्ट कर दिया। १८७८ के ऐक्ट के मुताबिक जंगलों की रक्षा की गई। खासकर पहाड़ों और तराई के इलाकों में उनकी रक्षा की गई। जब हमारे पहाड़ के लोगों के हकों पर आघात होने लगा तो एक संशोधन हुआ जिसमें क्लास एक फारेस्ट बनाए गए। १९२० से जंगलों की ओर मेरा ध्यान रहा है और उनकी रक्षा के लिए मैंने प्रयत्न किया है और सरकार की सहायता की है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जंगलात का विभाजन नहीं होना चाहिए। सब जंगलात गवर्नमेंट के होने

चाहिए। पंचायत फारेस्ट और सिविल फारेस्ट सबको सरकार अपने संरक्षण में ले ले और उनकी उन्नति करे। प्लान्टेशन भी करे। हां, गांव के नजदीक के जंगलों में लोगों को राइट्स दिए जावें, जैसे कि पहाड़ में हमारा हक है घास काटने का, लकड़ी लाने का और टिम्बर यानी मकानों के लिए लकड़ी लाने का, चुगान का। पहले गांव की आबादी के मुताबिक यह हक दिए गए थे। लेकिन अब हमारे गांवों की आबादी १० गुना बढ़ गई है। इन हकों को भी बढ़ाने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो जंगलों की रक्षा कीजिए और उन पर जो जनता के हक हैं, जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, वे दीजिए।

पहाड़ के लोगों को तो पानी भी जंगल से मिलता है। ज्यादातर पानी के वे सोते वनों में हैं। अगर लोगों को वहां से पानी लाने का हक नहीं मिला तो यह उनके हकों पर आघात है। हमारे यहां स्लेट से मकान छाए जाते हैं। वह भी राइट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रेजिन्ग राइट्स का सवाल है। खासतौर से भोटिया लोग जो हमारी सीमाओं पर रहते थे, अब वे तिब्बत में नहीं जा सकते हैं। वे भेड़ पालकर ऊन का उत्पादन करते हैं। उनको ग्रेजिंग के हक इस ऐक्ट में या रूल्स में मिलने चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा बैठ जायं। कोरम पूरा कराया जाय।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मैं कह रहा था कि एक नया प्रश्न जो जंगलात विभाग के सामने पैदा हो गया है, और जो चीन के आक्रमण के पहले नहीं था, वह भोटिया जाति का जो पहले तिब्बत से तिजारत करते थे और जैसाकि आपने सुना होगा, बाराहोती तक जाकर अपनी भेड़ों को चुगाते थे। अब वे वहां नहीं जा सकते हैं और इनको तराई-भावर में अपनी भेड़ें लानी होती हैं। एक तो उनको चुगान का राइट होना चाहिए। दूसरे, जंगलों में ऐसे स्थान नियत करने होंगे जहां वे जाड़ों के ४, ५ महीनों में रह सकें। मैंने पहले भी एक बार सदन में कहा था कि भोटिया लोग जब एक बार कोटद्वार से चिला की ओर जा रहे थे तो रास्ते में चलते-चलते उनकी भेड़ें सरकारी जंगलों में चुगने के लिए चली गयीं। जंगलात के अहलकारों ने उन भेड़ों को पकड़ कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पौन्ड में बन्द कर दिया। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि उनको सजा दे सकते। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने उनसे ७९० रु० जुर्माना लेकर, बिना किसी कानून-कायदे के, भेड़ों को छोड़ा। अगर उन्होंने नुकसान किया था तो जंगलात का किया था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नहीं किया था, लेकिन उनके पास इतना पैसा कहां कि सिविल कोर्ट में जावें? मैं इसका क्लेम गवर्नमेंट के वन विभाग को नहीं देता हूं, लेकिन संशोधन करने की जरूरत हुई, यह मैं बतला रहा हूं। २५ मेमने मर गये जिससे भोटियों का बहुत नुकसान हुआ।

उन लोगों में कहां इतनी शक्ति है कि वे दीवानी अदालत जा सकें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि एक ओर तो जंगल लगाए जा रहे हैं और दूसरी ओर उनको वीरान किया जा रहा है। हम ही तो जंगलों के शत्रु हैं। अपने लिए लकड़ी लेने के लिए पेड़ों को काटते हैं। एक आदमी अगर एक पेड़ काटता है तो दूसरा दो काटता है। इस तरह से जंगल बरबाद होते जा रहे हैं। इस मामले में सरकार भी कम नहीं है। सरकार भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पेड़ कटवा रही है। क्या सरकार ने उतने पेड़ लगवाए हैं जितने कि कटे हैं और उन लगे हुए पेड़ों में कितने पेड़ जिन्दा रहे? इसके अलावा सरकार बड़े-बड़े सागर और डैम भी बनवा रही है। पीलीभीत में कई लाख साल के पेड़ इसीलिए कटवा दिए गए। साल का पेड़ कितने वर्षों में जाकर होता है। इस प्रकार से सरकार भी वनों की शत्रु है।

[श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर]

इस कानून से एक बात बहुत अच्छी होने जा रही है कि अभी तक टेहरी इलाके में न राज्य के कानून ही लागू थे और न सरकारी कानून ही लागू थे, अब टेहरी के इलाके के लोग भी इसी कानून के मातहत आ जायेंगे। जैसा कि मन्त्री जी ने अभी बताया, १९० वर्ग मील जमीन हमारी आबादी में आ गयी है। इस प्रकार से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितनी आमदनी जंगलों से होती है क्या उतनी अन्न से हो जाती है? पहाड़ों में हमको जंगल काट कर खेती करने के अधिकार थे। लेकिन हमने देखा कि उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मेरी राय में अनाज पैदा करने के लिए जंगल काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जंगलों से देश की सम्पत्ति भी बढ़ती है, आबहवा अच्छी रहती है, पानी ज्यादा बरसता है और बाढ़ भी कम आती है। इसलिए जंगलों की रक्षा बहुत आवश्यक है।

अगर हम चाहते हैं कि खेती में अनाज ज्यादा पैदा हो तो शुगरकेन के क्षेत्र को हमें घटाना होगा और दूसरे प्रकार के साधन भी अपनाने होंगे। जंगलों को काट कर अनाज के क्षेत्र को बढ़ाने की बात नहीं सोचनी चाहिए।

पहाड़ों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि फारेस्ट में लोगों के हकों को कायम रखा जाय लेकिन उसका प्रबन्ध और इन्तजाम सरकार के हाथ में रहे। हम देखते हैं कि हमारे यहां पंचायतों के पास जंगल हैं जिनको पंचायत जंगलों के नाम से पुकारा जाता है। पंचायत के लोग एक पेड़ जो १५०–२०० रुपए का होता है उस को अपने दोस्तों को १० रुपए में दे देते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो सिविल फारेस्ट्स हैं उन पर भी सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए और बिना जंगलात महकमे की इजाजत के किसी पंचायत को किसी को पेड़ बेचने या कटवाने की इजाजत न दी जाय। जो कीमत मिले वह बाद में पंचायतों को दी जा सकती है और पंचायतों को जिस कीमत पर चाहे बेचने की इजाजत न दी जाय। पंचायतों के पास और सिविल फारेस्ट्स वालों के पास इतना स्टाफ नहीं है जो वनों की रक्षा कर सकें, उन की उन्नति कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि सब वन, वन विभाग के अधीन हों ताकि उनकी उन्नति और रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं हृदय से इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि इसके द्वारा जनता की भलाई होगी और वनों की उन्नति के अलावा इस के द्वारा जनता को भी अधिक हकूक प्राप्त होंगे, वर्षा अधिक मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, पानी मिलेगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जंगलों का सवाल जो आया है जिस का नाम मन्त्री जी ने वन रखा है जमींदारी अबालिशन से पहले हम भी उसके एक टुकड़े के मालिक थे। हमारे पिता, बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से यह वन लगाए थे, उन को पाला पोसा था और उन्होंने इतने खैर के दरख्त लगाए कि आज वन विभाग की १ करोड़ की वह सम्पत्ति खड़ी है। मैं वन मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दरख्त जो हमारे दादा ने लगाए थे जो अब ८० वर्ष के हैं उन्होंने उन का लाभ नहीं उठाया और लाखों रुपए का लाभ दूसरे उठा रहे हैं काश वह जंगल आज हम पर होते, हम उन का लाभ उठाते। वैसे तो रोज संशोधन आते हैं और १७ साल में इतने संशोधन हो चुके हैं कि जिनको देखकर हमें डर लगता है। गरीबों को जंगल से लकड़ी और घास मिलना चाहिए। आज उस इलाके के लोग घास के लिए तरसते हैं। मन्त्री जी उन गरीबों पर रहम खाकर, उन की हालत को देखकर कम से कम खोरी और हल के जांघे की लकड़ी लेने की इजाजत दें। वह सूखे हुए पेड़ों से लकड़ी थोड़ी लेकर हल बना सकें। हम तो खैर मांगें जा रहे हैं न सुबह देखते हैं न शाम, लेकिन हमारी तसल्ली नहीं होती। हम आजाद तो हैं, यही क्या कम है। मैंने कल ही एक तस्वीर देखी है। हटारी पिक्चर। उसमें मैंने देखा है कि जो जंगल अफ्रीका में हैं उनसे जानवरों को पकड़ कर उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन हम अपने जंगलों से इन

जानवरों का सफाया कर रहे हैं। इन जंगलों की हिफाजत करना पहली चीज है। मैंने माननीय मन्त्री जी के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। अब मैं उनसे चन्द सवालात करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से जमींदारी एबालिशन में जमींदारों को कम्पेन्सेशन दिया था क्या उसी तरह से उन जंगलों के मालिकों को जिनसे सरकार ने जंगल लिए हैं, मुआविजा देगी? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने दरख्त हमारी सरकार ने लगाए हैं? क्या उनका कोई अन्दाजा है? आज हमारे जंगल हर जगह काटे जा रहे हैं। वहां पर आज जहां घने जंगल थे एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता है। जानवरों को मारने के लिए इतनी चोरी होती है कि कुछ कहा नहीं जाता है। हालांकि प्रिजर्वेशन आफ वाइल्ड लाइफ हमारी सरकार कहती है लेकिन मैं यह कहता हूं कि प्रिजर्वेशन के स्थान पर वहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मामला यह है कि जमींदारी एबालिशन के बाद जो हमारे जंगल हैं, जिनके ऊपर अब हमारी सरकार की नजर है कि वे भी हमारे पास न रह जायं। जो हमारे जंगल थे उनमें हमने शेर पाल रखे थे और जहां चाहते थे उनको छोड़ देते थे। अब हमारे बच्चे पूछेंगे कि जब तो आपने शेर पाल रखे थे और अब हमें गीदड़ भी देखने दुश्वार हो गए हैं।

अब अन्त में मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। वह इस प्रकार है—

अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है,
जिसने डाली बुरी नजर डाली,
जवानी आदमी की मुरिदे इल्जाम होती है,
निगाहे नेक भी इस उम्र में बदनाम होती हैं।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय, पीठासीन हुए।)

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल व उत्तर काशी)—

श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि जो हम लोगों ने माननीय मन्त्री जी को सुझाव दिए थे, उन्होंने उनमें से कुछ को मान लिया है। लेकिन कुछ को उन्होंने नहीं माना है। मुझे माननीय आर्य जी क्षमा करेंगे लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह बेहतर होगा कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। इसकी वजह है। पहले टेहरी गढ़वाल जिले में जो जंगल थे और जो अब दो जिलों में बंटे हुए हैं, एक बार्डर जिला हो गया और दूसरा टेहरी गढ़वाल है, इन दोनों जिलों के जंगलों की ६१ परसेन्ट जमीन जंगलों के अधीन है। उत्तर काशी जिले में ७० फीसदी जमीन जंगलों के अधीन है और टेहरी में भी ६० परसेन्ट जमीन जंगलों के अन्डर है। मुझे याद है १९२९ में महाराजा साहब ने डिमार्केशन प्रोसीडिंस शुरू की थीं और वहां पर जंगलों का सेटिलमेंट हुआ था। वहां के लोगों के कुछ हक हकूक या उनको जो रियायतें दी हुई थीं उनको कम करने के लिए डिमार्केशन और सेटिलमेंट किया गया। उसमें रक्षित जंगलों की बाउन्डरी कहीं बिल्कुल मकानों के पीछे तक ले आए थे। इस पर वहां बड़ा भारी उपद्रव हुआ जिसके कारण तिलवाड़ी कांड हुआ जिसमें फौज ने कितने ही आदमियों को गोली से मारा था। बुरी तरह से लोगों को दबाया गया। यह क्रान्ति इसलिए ही हुई थी कि जो चरान, चुगान, लकड़ी लेने, सिंचाई के लिए पानी लेने के जो हक हकूक थे उनको कम किया गया था। इसीलिए फिर से आन्दोलन हुआ और जबरदस्ती २५, ३० हजार की भीड़ टेहरी शहर में शासन को उलटने आ गयी थी, हमारे माननीय सदस्य त्रेपनसिंह जी भी उसके नेता थे। उसके बाद अन्तरिम मिनिस्ट्री हुई, और आज वह रियासत प्रदेश में विलीन है। लेकिन जिन चीजों के लिए हम लड़ते रहे वही शिकायत हमारी आज भी बदस्तूर है और सरकार उन्हीं हक हकूकों को कायम रखना चाहती है जो सेटिलमेंट के कारण महाराजा ने कम कर दिए थे। वन मन्त्री जी ने यह कहा है कि इस बिल में एक संशोधन कर दिया है कि जो भी अधिकार या रियायत वहां के लोगों को जंगलों में मिलते थे वह कायम रहेंगे, इसके लिए हम उनके आभारी हैं? लेकिन साथ में मन्त्री जी ने यह भी जोड़ दिया कि जो अधिकार या रियायत लोगों को

[श्री कृष्णसिंह]

भी उसको सरकार तय करेगी। एक रियायत के बारे में एक केस सरकार के पास आया था जिसको हल होने में ५ साल यहां पर लगे। अब आप समझ सकते हैं। चरान, चुगान आदि की जो रियायतें रिजर्व फारेस्ट में या उसमें जो हमारे हकूक हैं उनको अगर जंगलात विभाग आज न माने तो ५ साल तक हम क्या करेंगे ? इसलिए मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था बदली जाय। सरकार के पास मामला न आवे बल्कि कोई ऐसी मशीनरी हो, ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि फौरन जो लोगों के हक हकूक हैं वे तय हो जायं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। हमारे वन मन्त्री जी ने कहा कि यह बात भी जरूरी है कि वहां के लोगों की यह बड़ी शिकायत है कि डिमार्केशन जो महाराजा के शासन में किया था, उसमें बाउन्डरी रिजर्व फारेस्ट्स की मकानों तक ले आए थे उन्होंने कहा कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में एक दफा ऐसी है जिसमें यह हो सकता है कि ५ साल के अन्दर जो कुछ भी इस तरह की दिक्कतें हैं वे दूर कर सकते हैं। मैं एक बात जरूर बतलाना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सी आबादी व मकानात ऐसे होंगे जिनके पीछे आगे नजदीक रिजर्व फारेस्ट होगा। रिजर्व फारेस्ट जब नजदीक आ गए हैं तो उनके केसेज सरकार के सामने आयेंगे क्या आप समझते हैं कि सरकार इन सब प्रश्नों को ५ साल में हल कर सकेगी और क्या इतना समय वन मन्त्री को मिलेगा कि इस समस्या को हल करने के लिए, यह नामुमकिन है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय जो वहां पर डिमार्केशन दुरुस्ती जल्दी से जल्दी हो जावे। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह एक समस्या बन जायगी क्योंकि इससे असन्तोष बढ़ेगा। सीमान्त जिले में जंगलों के बीच में हमारे सब गांव हैं। हमारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न इन जंगलों पर निर्भर है। कोई दिक्कत होती है और असन्तोष बढ़ता है तो सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी। वन मन्त्री जी ने कहा कि १९४९ में वहां के कानून खत्म कर दिए गए और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट वहां पर लागू समझा गया। १९४८ में जब वहां आन्दोलन हुआ उस वक्त वहां पर बहुत से लोगों ने जंगलों को काट कर खेती कर ली थी। १९४९ में विलीनीकरण के बाद उनका क्या होगा, किस तरह वह समस्या हल होगी ? जब पहले के कानून समाप्त कर दिए गए और इंडियन फारेस्ट ऐक्ट हाई कोर्ट के रूलिंग से रिजर्व फारेस्ट रहा ही नहीं तो नतीजा यह हुआ कि आज तक वे जमीनें कल्टीवेशन में चलती आ रही हैं। उस खेती में वहां छोटे-बड़े गाडन लग गए हैं। अगर उनको खत्म कर किया गया तो क्या उससे देश का नुकसान नहीं होगा ? जो इतना खर्च किया गया वह सब वेस्ट नहीं होगा ? इसलिए यह भी समस्या है जो सिलेक्ट कमेटी के सामने आ जानी चाहिए और हल होनी चाहिए।

जहां तक लकड़ी, पानी तथा चुगान, चराई का सवाल है टेहरी गढ़वाल में वह कायदे नहीं हैं जो कुमायूं में हैं। हमारे यहां रिजर्व फारेस्ट में चुगान, चराई, पानी तथा लकड़ी के हमको पूरे हक थे लेकिन आज जब पानी के लिए इरीगेशन डिपार्टमेंट नहर निकालने की बात करता है तो जंगलात विभाग उसमें अड़चन डालता है और वह कैनाल नहीं बन पाती है। अगर विभागों में आपस में ही कोआर्डिनेशन नहीं है तो वहां की जनता को तो सहयोग न मिलने पर परेशानी होगी। इसलिए मशीनरी तय करने की ऐसी होनी चाहिए जिससे जो हमारे हक हैं या हमको रियायतें हैं वे फौरन तय हो जायं।

जैसा कि प्रेम सिंह जी ने कहा कि जमींदारी जंगल ऐसे थे जिसमें काफी जंगली जानवर होते थे लेकिन अब वे जानवर दिखाई नहीं देते हैं। मेरे संरक्षण में भी देहरादून में बहुत से जंगल थे। ४, ५ लाख के पेड़ हम बेचते थे। उनको जमींदारी एबालिशन के बाद सरकार ने ले लिया। उनमें पहले बहुत जानवर थे, वहां लोग जानवरों का शिकार खेलने आते थे लेकिन आज वहां एक भी जानवर नहीं है। एक नीति की बात है। वहां खाई का इलाका उत्तर काशी जिले का हिस्सा है, वहां मैं टूर कर रहा था। वहां के एक ग्राम में मुझे जाना पड़ा। बारिश हो रही थी। जिस मकान में मैं था उसमें पानी भीतर आने लगा तो दूसरे मकान में गया वहां भी पानी भीतर आने लगा तो तीसरे में गया वहां भी पानी आने लगा। इस पर मैंने लोगों से पूछा,

इस तरह से मकान क्यों कर रखे हैं इनको लकड़ी से या टीन से ठीक तरह क्यों नहीं कवर करते हो ? मेरी यह मूर्खता थी क्योंकि कोरुगेटेड शीट्स वहां पहुंचने में कितनी मंहगी हो जायगी, वहां स्लेट उपलब्ध नहीं होता और पत्थरों की भी बहुत कमी है और लकड़ी के ही मकान बनते हैं बहुत से मकान उन लोगों के सड़ गये, हैं लेकिन उनको मकान बनाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती है। वैसे वहां पर देवदार के बहुत से पेड़ हैं लेकिन उनको लकड़ी मिलती नहीं है। महाराज साहब ने नियम बना दिया था कि इतने क्यूबिक फीट लकड़ी ग्राम सभा को दी जायगी। लेकिन आबादी बढ़ती चली गई और मकान भी बढ़ते चले गये लेकिन लकड़ी पर्याप्तमात्रा में मिलती नहीं है। अब प्रश्न यह है कि इस बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए मकानों के लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये। जंगलों के विषय में सरकार की नीति क्या है ? जंगलों से इतनी आमदनी होती है तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जंगल कमर्शियल परपज के लिये हैं या जनता के वेलफेयर के लिये हैं ? जब इंडियन फारेस्ट ऐक्ट बना तब यह आश्वासन दिया गया था कि पहले जनता के वेलफेर का ध्यान रखा जायेगा इसके बाद कमर्शियल परपज के लिये लकड़ी बेची जायगी। लेकिन इस समय क्या होता है ? पहले कमर्शियल परपज के लिये लकड़ी मार्क कर दी जाती है फिर जो थोड़ी लकड़ी सिल्वीकल्चर के हिसाब से बचती है उसके लिये आप कह देते हैं कि सारी लकड़ी कैसे दे सकते हैं ? अगर इतनी सारी लकड़ी गांव वालों की जरूरत के लिये देंगे तो जंगल ही खत्म हो जायेंगे। मैं कहता हूं कि जंगल कभी खत्म नहीं होंगे। कमर्शियल परपज के लिये लकड़ी कम रखिये और वहां के रहने वालों की जरूरियात को पूरी कीजिये। वहां मकान सीमेन्ट से नहीं बन सकते हैं और टीन से नहीं ढके जा सकते हैं क्योंकि इन चीजों को पहुंचाने में यह चीजें कितनी मंहगी पड़ेगी इसलिये जरूरी है कि उनकी जरूरत के लिहाज से पेड़ रखे जायं इसके बाद जो बचें वह कमर्शियल परपज के लिये रखे जायं। पहले जब फारेस्ट ऐक्ट बना था उस समय मिस्टर होप कौंसिल के मेम्बर थे और सर जौन हेवेट ने यह कहा था कि यहां के लोगों के जरूरी मकान ठीक बनने के और अन्य जरूरियात के लिये यह व्यवस्था जरूरी होनी चाहिये क्योंकि दूसरी तरह से इनकी सहायता नहीं की जा सकती है।

एक बात और है और वह यह है कि जो जाड लोग हैं वे वहां पर भेड़ बकरी रखते हैं। जब वे जाड़े में नीचे आने लगते हैं तो उनको चराने के लिये कोई स्थान नहीं मिलता है। जमींदारी एबोलिशन के बाद जो जंगल सरकार को मिले हैं उनमें टैक्स जमींदार लिया करते थे वही टैक्स इनसे लिया जाता है। इसको कम करने के लिये सरकार से हमारी प्रार्थना है। अगर चराने को जगह इनको नहीं मिलेगी तो इनका व्यापार नहीं चल सकता है। स्वयं फारेस्ट इन्टेरिम मिनिस्टरी के समय में १९४९ में वन विभाग को दिये गये थे। वन विभाग ने उनका इन्तजाम किया और इन्तजाम में खर्चा होता था वह काट कर आमदनी ग्राम सभा को मिलती थी ——लेकिन विलीनीकरण के बाद नहीं मालूम कि स्वयं वन की आमदनी का रुपया कहां पड़ा है। वह ग्राम सभाओं को अभी तक नहीं मिला। वहां एक खास रियायत यह है कि कुछ लकड़ी फ्री ग्रान्ट में मिलती है और कन्सेसनल रेट पर लकड़ी दी जाती है। जो लकड़ी कन्सेशनलरेट से दी जाती है उसमें कमी हो रही है क्योंकि वन विभाग कहता है कि हमारे जंगलों में कमी हो जायगी। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, हर एक गांव वाला चोरी-चोरी पेड़ काटता है। अगर उनको जरूरत के मुताबिक लकड़ी मिल जाय तो पेड़ों का काटना बन्द हो जाय। इससे वन विभाग का फायदा होगा। जैसा कि पंत जी ने १९३७ में कहा था कि हमको उनकी जरूरत पूरी करनी है और जंगलों की रक्षा भी करनी है। इन दोनों के बीच का फार्मूला निकालना पड़ेगा जिससे वहां असन्तोष न फैलने पाये। और जंगल भी सुरक्षित रहे।

इस प्रकार दो, तीन प्रश्न मैंने सामने रखे हैं, जल्दी से जल्दी डिमार्केशन दुरुस्ती किस प्रकार से होंगी, किस तरह से जल्दी हकूक तय होंगे क्योंकि बिल के मुताबिक बहुत समय लगेगा, जैसे एक मामला यहां पर आया, पांच साल तक लखनऊ में पड़ा रहा। पांच साल तक वहां

[श्रीकृष्णसिंह]

के लोग रुकने वाले नहीं हैं। वहां असंतोष हो जायगा। जंगल कट जायेगा। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें। वहां जो उचित व्यवस्था समझी जाय वह की जाय।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मुझे एक निवेदन करना था। अभी इस पर जनरल डिस्कशन चल रहा है। पांच बजे तक इसके खण्डों पर भी विचार करना है और पारित भी करना है, इस दृष्टि से विचार किया जाय तो ठीक है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अभी चेयर से सूचना मिली थी कि आज जब तक सदन चलेगा तब तक साधारण बहस होगी।

श्री बनारसीदास—

सब लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि आज सदन खत्म हो जाय ताकि लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में जाने का अवसर मिले। इसलिये दरख्वास्त है कि आज यह बिल पारित कर दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

क्या समय निर्धारण का कोई प्रस्ताव है ?

श्री बनारसीदास—

साढ़े तीन बजे तक इस पर जनरल डिस्कशन हो उसके बाद क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन करके पांच बजे तक पारित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

तो यह तय हुआ कि साढ़े तीन बजे क्लाज वाइज लेंगे, साढ़े तीन बजे तक जनरल डिस्कशन होगा।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव मंजूर करना चाहिये। माननीय वन मंत्री ने जो भाषण इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय किया उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है। वन के महत्व के बारे में जो उन्होंने तर्क दिया, वे तर्क वाक अकाट्य हैं और वन की महत्ता को सिद्ध करने वाले हैं। किन्तु अफसोस तो श्रीमन्, यह है कि इस सरकार की कथनी और करनी में सर्वदा अन्तर रहा है। एक तरफ मैं देखता हूं वन महोत्सव मनाये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पेड़ लगाने की बात कही जाती है और दूसरी ओर मैं कष्ट के साथ देखता हूं कि वन काटे जा रहे हैं और मैदानी इलाके में जो पेड़ हैं—बड़े बड़े आम और महुवे के वह सभी काटे जा रहे हैं। आपका कानून अपनी जगह पर है, वन के काटने पर प्रतिबन्ध है, लेकिन व्यवहार में काटने पर कहीं भी प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है। मैं यह अनुभव करता हूं कि विचार की ईमानदारी का अभाव है। यही कारण है कि जो विचार सरकार प्रगट करती है, उस पर अमल नहीं कर पाती या अपने अधिकारियों को अमल कराने के लिये मजबूर नहीं कर पाती। आज हमारे प्रदेश में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विवरण दिया काफी वन कटे हैं और सरकार की देखरेख में भी वन काटे गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या मैं इस अवसर पर अब आश्वस्त हो सकता हूं कि अब भविष्य में वन नहीं काटे जायंगे या वन न काटने का जो कानून है उस पर ईमानदारी से अमल होगा ? मुझे कष्ट इसलिये होता है, जब मैं देखता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह के विभाग में वही है जो माननीय जगमोहन सिंह नेगी के और माननीय हरगोविन्द सिंह के विभाग में है। हमारे जगमोहन सिंह नेगी ने यहां कहा कि चोर बाजारी करने वालों को कोड़े लगाये जाएंगे और एक अवसर पर यहां तक कह डाला कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जायगा, लेकिन नित्य खुले रूप में चोरबाजारी हो रही है। आज ही उल्लेख आया कि शाहजहांपुर के व्यापारियों द्वारा दुश्मनों के देश चीन में चावल चोरी से पहुंचा दिया गया। कोई आपके कानून की पाबन्दी नहीं है। उसी तरह हरगोविन्दसिंह खूब अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन खुद वे जौनपुर में अशान्ति मचाये हुए हैं, खुद उनकी पार्टी कांग्रेस के लोग उनके कारनामों से तड़प रहे हैं।

लेकिन माननीय चौधरी चरण सिंह के विभाग में भी कानून का अमल न हो, इस देश में और वन बढ़ाने का जो संकल्प है, उस पर माननीय चरण सिंह का कोई प्रभाव न हो, तो मैं नहीं समझता कि माननीय चरण सिंह को इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक है। मैं समझता हूं वह ऐसे मंत्रिमंडल से अलग जाकर इस प्रदेश की ज्यादा सेवा कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय चौधरी साहब ऐसा अनुभव करते हैं कि वह सशक्त नहीं है या उनका मंत्रिमंडल ऐसा ढुलमुलयकीन है एक वह फैसला नहीं कर सकता और फैसले के ऊपर अड़ नहीं सकता, तो उसमें उनको कतई नहीं रहना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि इस सरकार की मंत्रिपरिषद् में चौधरी साहब ऐसे मंत्री हैं, जो प्रदेश के देहात के रहने वाले लोगों के शुभेच्छु माने जाते हैं। मैं खुद ऐसा अनुभव करता हूं। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि चौधरी साहब देहात के लोगों का खयाल रखते हैं, उनके दुखों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन वे जितने प्रयत्न करते हैं मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि वे सब निष्फल हो जाते हैं। उन्होंने पटवारियों को हटाया, हम लोग भी कहते हैं कि वे बड़े घूसखोर हैं, लेकिन जो लेखपाल लोग आये उनकी फीस बड़े डाक्टरों की तरह से बढ़ गयी।

श्री अधिष्ठाता—

आप ५ मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री मनेजरसिंह—

हमारे समय में से क्यों कटौती करते हैं, हम आप चाहेंगे तो अपने संशोधन वापस ले लेंगे। खैर, आपने बेदखली वाला कानून भी चलाया। मौके पर मैजिस्ट्रेट जाय और जिसका असल कब्जा हो खेत पर, उसका कब्जा वहीं इबराज किया जाय, किसानों के हक में यह बात थी, लेकिन उस कानून में भी बहुत से शिकमीदार बेदखल हो गये। अब जो संशोधन विधेयक आपने रखा है उससे भी गरीबों का सफाया हो जायगा।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

सफाया नहीं होगा।

श्री मनेजरसिंह—

आप तो विधायक अब बन गये हैं, लेकिन आपके भाईबन्द जो मिर्जापुर के जंगलों में वनवासी गरीब थारू आदि रहते हैं उनका सफाया हो जायगा।

श्री रामप्यारे—

गरीबी का सफाया होगा, गरीबों का नहीं।

श्री मैनेजरसिंह—

गरीबी का सफाया हो जाय तो खुशी होगी, लेकिन गरीब का सफाया हो जाय तो मुझको कष्ट होगा। आपको खुशी हो सकती है क्योंकि आपकी गरीबी मिट गयी है। तो आपकी गरीबी मिट जाय और गरीब का सफाया हो जाय, यह अनुचित बात है। मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब के संशोधन विधेयक में औचित्य है, लेकिन व्यवहार में इसके द्वारा बड़ा खराब असर पड़ेगा और बनवासी गोंडा, झांसी और मिर्जापुर जिलों में बसे हुए हैं जो बहुत सी जमीनें तोड़ करके आबाद हो गये हैं उनके जीवन यापन की सुविधा समाप्त हो जायगी और इस संशोधन विधेयक के बाद वह सब बेदखल कर दिये जायेंगे। माननीय श्रीकृष्ण सिंह जी ने कहा कि जो स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी गयी और उसके बाद जो स्वत्व किसानों ने कायम किये उनपर भी अब इस विधेयक से कुठाराघात होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें यदि वे प्रवर समिति में इसको भेजने के लिये राजी नहीं हैं जिससे जो उन लोगों ने टेहरी गढ़वाल में लड़कर अपने स्वत्वों को कायम किया है उनकी रक्षा हो सके। माननीय त्रेपनसिंह जी उनके लिये लड़े लेकिन आज उनका क्या हाल है? क्या वे हिम्मत करेंगे कि इस सरकार के खिलाफ जन आन्दोलन खड़ा करें? लेकिन अब उनमें वह शक्ति नहीं है।

श्री चरणसिंह—

यह सरकार त्रेपनसिंह जी की है, अपनी ही सरकार के खिलाफ वे क्यों लड़ेंगे?

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय श्रीकृष्ण सिंह जी की भी तो सरकार है, आप उनकी बात मान लीजिये, मैं अपना भाषण बन्द कर देता हूं।

श्री रामप्यारे—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं वह इसलिये कि जो तरकी वाले देश हैं वहां पर पहाड़ों में ७ प्रतिशत और मैदान में २० प्रतिशत जंगलों का होना अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहां इससे कम हैं और बहुत कम क्षेत्र में जंगल हैं। इस पर भी जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है उसके लिये जंगल का होना और भी जरूरी है।

मैनेजर सिंह जी ने कहा कि इस संशोधन से जंगल के पास जो क्षेत्र हैं उनके किसानों का काफी नुकसान होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात जरूर है किन्तु यदि आप जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं तो कुछ भावना की बात हो सकती है जिसको तब्दील करने की आवश्यकता होगी। मेरा क्षेत्र भी आदिवासियों का है। हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं और उनका आर्थिक ढांचा सारा का सारा जंगल पर ही निर्भर करता है। लोगों को जलाने के लिये, झोपड़ी के लिये, मकान के लिये लकड़ी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से यह जरूर है कि कोई नियम जंगल का जरूर होना चाहिये जिससे जंगल की रक्षा हो सके। उसके लिये कोई नियम बनाने जरूरी हैं। मैंने स्वयं देखा है कि जमींदारी व्यवस्था के अन्तर्गत जो जंगल थे वे सब जंगल साफ हो गये हैं। मुझे अपना अनुभव है कि बड़हर क्षेत्र में करोड़ों की संपत्ति के जंगल थे, लेकिन आज जमींदारों ने उनका सफाया कर दिया है। वहां पर कोई किसी प्रकार की उन लोगों को सुविधा नहीं दी गई। यदि हम उन लोगों की सुख सुविधा का खयाल करना चाहते हैं तो हमारे जंगलों की रक्षा होनी चाहिये और न उनकी रक्षा करना जरूरी है। मैं आपको बतलाऊं कि हमारे क्षेत्र में बांस के जंगल थे और बहुत तादाद में बांस पैदा होता था, लेकिन इधर वे सब साफ कर दिये गये हैं। आज जनता वन विभाग के अधिकारियों से कहती है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पर बांस पैदा होने लग जाय। मेरा निवेदन यह है कि यह बात ध्यान देने के योग्य है कि जो स्थानीय आदमी हैं जंगल के पास जो रहते हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान सरकार को होना चाहिये। हल के लिये, मकान बनाने के लिये, झोपड़ी डालने के लिये और जानवरों के घास

के लिये जरूर उनको मुफ्त लकड़ी मिलनी चाहिये। अगर वहां पर आप सख्ती करेंगे तो भ्रष्टाचार को बल मिलेगा। मैनेजरसिंह जी ने कहा कि यह भ्रष्टाचार आपके विभाग में नहीं होना चाहिये। आखिर वन विभाग के आदमी भी तो समाज के ही आदमी हैं। हमारे यहां यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि इसको जितना भी हो सके मिनिमाइज किया जाय। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार है। जब तक नैतिक स्तर ऊंचा हमारे देश में नहीं होगा उस समय तक यह भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक जंगल की रक्षा की बात है...

श्री मैनेजरसिंह—

मैंने यह कहा था कि चौधरी साहब के विभाग में और हरगोविन्द सिंह जी के विभाग में अन्तर होना चाहिये।

श्री रामप्यारे—

जंगल विभाग के अधिकारियों को जंगल की रक्षा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जंगल विभाग की लड़ाई के समय में, संकटकाल में बहुत जरूरी सामान के लिये आवश्यकता रहती है। किसान और जो भी उसके पास में रहने वाले हैं उनको भी लकड़ी की जरूरत पड़ती रहती है। हर शख्स अपनी झोपड़ी के लिये लकड़ी चाहता है, लेकिन लकड़ी काटने पर उन पर मुकदमा चल जाता है। वे कहते हैं कि पेड़ काटना जुर्म है। ऐसी दशा में कुछ ऐसा कार्य किया जाय जिससे विभाग के भीतर भ्रष्टाचार में कमी हो सके। बुंदेलखंड में जंगल की बहुत बड़ी जमीन है। पिछले वर्ष बजट के समय माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि आदिवासियों ने जो जमीन पर कब्जा कर रखा है उसके लिये एक अफसर नियुक्त करेंगे। लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। दूसरे, वहां व्यक्तिगत खेतों में बहुत से जंगल हैं जिनको ठेकेदार वहां के आदिवासियों को एक रुपये की जगह दो आना देकर लिखवा लेते हैं और जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि कानून संभव हो तो इस तरह की व्यवस्था करें कि वे पेड़ जो आदिवासियों के खेतों में हैं न कटने पावें अथवा उनके डी० एफ० ओ० आदि इसकी जांच कर लिया करें कि उन आदिवासियों को उनका उचित दाम मिल गया है।

इसके अलावा पेड़ की पत्ती से भी वहां पर लाखों रुपये की आमदनी होती है। वे तमाम पेड़ किसानों के खेतों में ही हैं और उनका भी वे नाश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी पत्तियों और पेड़ों की रक्षा का भी इन्तजाम करे। कम से कम सरकार उनको अपने हाथ में ले ताकि जो गरीबों का वे शोषण कर रहे हैं वह रुक सके। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री भगवान सहाय—

अधिष्ठाता महोदय,...

श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक समाधान चाहता हूं। क्या स्पीकर, उपाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता महोदय हम ४३० मेम्बरों का ज्ञान रखते हैं? आज आज सदस्य को साल में एक बार भी बोलने का समय नहीं मिल पाता जब कि कोई सदस्य ऐसे हैं जो कि ३६५ दिन में १००० बार बोलते हैं। तो पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव होकर आने पर हमको बोलने का समय भी न मिले, यह क्या व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता—

आप रक्षपाल जी से इसको समझ लीजियेगा।

*श्री भगवानसहाय—

माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको बधाई देता हूं। एक तो एक हकतलफी हो रही थी कि फारेस्ट के केसेज बहुत दिनों से पड़े हुए थे और वह डिसाइड नहीं हो रहे थे। दूसरे उसूलन यह भी एक गलत बात थी कि जिस केस में सरकार खुद एक पार्टी हो और वह खुद ही उस केस की सुनवाई करे। इसे मंत्री जी ने ठीक किया है और इसलिये वे मुबारकबादी के पात्र हैं। इस मामले में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है और वह यह कि उन्होंने १७.५ में ५ साल की मियाद रखी है। मेरा खयाल ऐसा है कि कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो पांच साल से ज्यादा के हैं। मैं मंत्री जी से आपके द्वारा इस बात की दरख्वास्त करूंगा वे इस मियाद को इतनी बढ़ा दें कि जो पुराने केसेज हैं वे भी इसके दायरे में आ जायं।

दूसरे मैं मंत्री जी को खास तौर पर इसके लिये मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने जंगल तोड़ लिये हैं पुराने कायदे के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत जुर्माना या सजा मिल जाती थी, लेकिन जो तोड़ी हुई जमीन थी वह उनसे नहीं निकाली जा सकती थी। अब जो मंत्री जी ने उस जमीन को वापस लेने का प्राविजन किया है वह उसके लिये मुबारकबाद के पात्र हैं और यह उसूलन भी ठीक है।

हमारे एक वो पहाड़ के भाई बोले हैं और बोलने वाले भी हैं। उनका यह नजरिया है कि इस बिल के जरिये उनका हक मारा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज हमको यह तय करना है कि आया हमको प्रदेश के अन्दर फारेस्ट वेल्थ रखनी है या नहीं, और खास तौर से पहाड़ों के अन्दर रखनी है या नहीं। पहाड़ों में फारेस्ट न रहें तो सिल्टिंग होगी और उससे देश का नुकसान होगा। यह ठीक है कि जो जंगलों के इलाके में रहने वाले आदमी थे उनके कुछ अधिकार थे, लेकिन आज अगर हम उनके अधिकार उनको देते हैं तो यह निश्चय है कि हम फारेस्ट की सुरक्षा जैसी करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पायेंगे और उसका लाजमी नतीजा है कि सिल्टिंग बढ़ेगी। इसलिये हमको इसके लिये कोई न कोई आल्टरनेट तरीका सोचना होगा। इससे सिल्टिंग होगा और जलवायु की प्राब्लम्स बहुत सी पैदा होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेशर में न आवें और जंगलों की सुरक्षा करें।

एक बात और कहनी है कि अगर मुनासिब समझें और तार लगायें तो जो लाइन ले जा रहे हैं वह तार ऐसा हो कि वास्तव में सुरक्षा हो सके।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के जरिये जंगलों के संरक्षण के लिए और बढ़ाने के लिए नये उपाय इस बिल के जरिये से इस आवरणीय सदन में रखे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में वन की महत्ता और जो वहां अन्य कठिनाइयां हो सकती हैं उनकी ओर सदन का ध्यान दिलाया। मैं मंत्री जी की उन बातों से सहमत हूं जिनके जरिये से फारेस्ट बढ़ें, उनका संरक्षण हो और उन्नति, सुधार और बढ़ोत्तरी की जा सके।

कुमायूं और उत्तराखंड में जहां काफी जंगल हैं और दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं वहां हम देखते हैं कि कृषि में खामियां पैदा हो रही हैं। प्रदेश औद्योगीकरण में पिछड़ा हुआ है उसका कारण यह भी है कि हमारे यहां प्लेंस में जंगलों का अभाव है। उधर मुझे लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जंगल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ साल पूर्व हमारे सारे उत्तराखंड कुमायूं डिवीजन से कोई लकड़ी बाहर नहीं जा सकती थी जो इंडस्ट्री के काम में आती हो, लेकिन अब मुझे सूचना है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३० साल के लिए स्टार पेपर मिल के लिए लकड़ी वहां से दी जा रही है और निकट भविष्य में फोर्थ प्लान के अन्दर एक और इंडस्ट्री पेपर की लगायी जायगी जिसमें कुमायूं और उत्तराखंड का क्षेत्र लकड़ी सप्लाई कर सकेगा।

मंत्री जी ने कृषि से सम्बन्धित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। जिन स्रोतों से पानी निकलता था उनमें जंगलों के अभाव से और इनडिस्क्रीमिनेट कटाव की वजह से पानी सूखने लगा और कम हो गया। यह चिन्ता का विषय है। इसलिए बिल के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं, बल्कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। दो चार बातें मंत्री जी के सामने में निवेदन करना चाहता हूं।

इस बिल में बंजर भूमि की कहीं पर भी परिभाषा नहीं की गयी है। उसका स्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण होना चाहिए। बहुत से गांवों में बाउंडरी की काफी भूमि है और आबादी कम है तो बीच में ऐसी काफी जमीन है जहां खेती नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की भूमि भी मुझे शक है, इस बिल के मातहत बंजरभूमि में शामिल हो जायगी और वह रिजर्व्ड फारेस्ट हो जायगा। दूसरी आशंका मुझे यह है कि कुमायूं में इस प्रकार की भूमि के लिये जो कि बंजर है या वेस्ट लैण्ड है, पहले ही से एक १९४८ का ऐक्ट बना हुआ है जिसके अनुसार हर साल ५ नाली जमीन कोई भी काश्तकार कैसरे हिन्द की जमीन में बढ़ा सकता है इस तरह से ५ साल में २५ नाली तक की लिमिट रख दी गयी है। तो एक तरफ आप रिजर्वेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हक भी दे रहे हैं कि कोई भी काश्तकार ५ साल में २५ नाली तक अपनी भूमि बढ़ा सकता है। मैं समझता हूं कि एक तरह से यह ओवरलैपिंग हो रहा है, इस पर अवश्य विचार करें।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि वहां आपके रिजर्व्ड फारेस्ट हैं वहां आबादी बिल्कुल किनारे-किनारे है। ऐसे स्थानों पर चरागाह तथा आने जाने के लिये रास्ते का प्राबलम आयेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार के चरागाह और रास्ते बदस्तूर रहेंगे। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूं कि बहुत सी जगहों पर रेकार्ड आफ राइट लिखा हुआ नहीं है, वह कहीं पर दर्ज नहीं है, तो उसके लिये हमारे सामने आगे चल कर परेशानी आयेगी। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को माना है कि इस प्रकार के जो झगड़े होंगे या जो उलझनें या आपत्तियां होंगी, उनके लिये ५ साल का समय उन्होंने रखा है। इसके लिये उनको मैं बधाई तो देता ही हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं ५ साल की टाइम लिमिट कर देने से सम्भव हो सकता है कि आपकी निगाह उधर न जाय। बजाय ५ साल के अगर सरकार यह कर दे कि फ्राम टाइम टु टाइम गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो ज्यादा सहूलियत हो सकती है और जनता को ज्यादा फायदा हो सकता है। हो सकता है कि ५ साल के अन्दर ऐसी कोई व्यवस्था न हो या इस प्रकार के अधिकारी या शासन या जो मंत्री हैं वे ५ साल तक न रहें और व्यवस्था बदले तो लोगों पर मुसीबत आने लगे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप यहां ५ साल के बदले फ्राम टाइम टु टाइम यानी समय समय पर कर दें तो हमारी समस्या हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस पर वे अवश्य गौर करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रक्षपाल सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जिस तरह से माननीय कृष्ण सिंह जी ने टेहरी की बात कही, उसी तरह से हमारे जिले में भी चकिया इलाका महाराजा बनारस का था और जब वह इस स्टेट में विलीन हुआ तो सारा जंगल गवर्नमेंट का हो गया। वहां पर जो दिक्कतें हैं उनके सम्बन्ध में आये दिन मैं सवालों के जरिये माननीय मंत्री का ध्यान दिलाता रहा हूं, लेकिन आज भी बहुत सी दिक्कतें हैं और उनका समाधान इस विधेयक से नहीं होता। हमारे यहां गवर्नमेंट के दो तीन नोटिफिकेशन हुए। एक तो पहली जुलाई, १९५० को हुआ जिसके अन्तर्गत महाराजा के संरक्षण में जो इलाके थे वे प्रभावित हुए। दूसरा नोटिफिकेशन पहली जुलाई, १९५३ का हुआ जिसके अन्तर्गत

[श्री ऊबल]

चकिया के वे गांव जो काशी नरेश के मुकर्ररवार थे इससे प्रभावित हुए। तीसरा नोटिफिकेशन १६ फरवरी, १९५२ को हुआ। इसके अन्तर्गत फारेस्ट एरिया घोषित करने की बात थी। जगह-जगह पत्थर गाड़े जाने लगे। लेकिन इससे कोई बात साफ नहीं हुई कि कौन सा प्लाट वन विभाग में रखा जायगा और कौन सा प्लाट रिजर्व्ड एरिया घोषित होगा। कोई कागज पत्र भी तैयार नहीं किया गया कि हम फलां एरिया को रिजर्व्ड एरिया घोषित कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि आज वहां पर ऐसी जमीनें हैं कि जिनको किसान जोतता है वे रिजर्व्ड एरिया के अन्तर्गत आ गयी हैं। आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक भी पेड़ मौजूद नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी कहेंगे तो मैं उसकी लिस्ट तक लाकर दे सकता हूं। वहां पर किनारे-किनारे वन विभाग ने पत्थर तक गाड़ दिये हैं और लोगों के निकलने तक के लिये जमीन नहीं छोड़ी है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि ऐसी जगह पर हम जमीन छोड़ देंगे .....।

श्री चरणसिंह—

मैंने जो आफर दिया है वह केवल टेहरी के लिये दिया है और जगह के लिये नहीं। आपके यहां की तो रिजर्वेशन की प्रोसीडिंग्स बहुत तफसील में चल रही हैं। वह आफर केवल टेहरी के लिये है।

श्री ऊबल—

जो प्रोसीडिंग्स श्रीमन्, चल रही हैं उनमें बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके किनारे की भूमि रिजर्वेशन एरिया घोषित कर दी है और वहां पत्थर गाड़ दिये हैं और लोगों के निकलने तक की जगह नहीं छोड़ी है। जो नोटिफिकेशन आपका हुआ है उसमें आपने बाह्य सीमा तो दिखा दी है किन्तु कितना रकबा आपने लिया है उसकी सफाई उसमें नहीं की गयी है। इसलिये इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

श्रीमन्, १९५२ ई० की एक राजाज्ञा के अनुसार रेवेन्यू ग्रामों में किसी प्रकार दस्तन्दाजी करने की नियमित मनाही की गई है और उसमें यहां तक निर्धारित किया गया है कि महाराज के मुकर्ररवारों की भूमि रिजर्व फारेस्ट में न ली जाय और इस नियम का गम्भीर उल्लंघन किया गया है। जहां कहीं टुकड़े के रूप में कृषि योग्य भूमि पड़ी हो उसे रिजर्व क्षेत्र में न लिया जाय और यदि प्राप्त करना अनिवार्य हो तो संधि द्वारा अथवा एक्वायर करके भूमि प्राप्त की जाय। ऐसी आपकी राजाज्ञा है सन् १९५२ की, मगर उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। आज नोटिफिकेशन तो कर दिया जाता है, मगर गांव में उसका प्रसार नहीं होता है। आज गांवों में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लोगों ने अपना क्लेम नहीं किया है। हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर लोगों को सीरदारी हक प्राप्त हो गये हैं, उस भूमि तक को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां अपने पत्थर गाड़ दिये हैं। चकिया क्षेत्र में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना क्लेम नहीं किया है। उनकी हजारों एकड़ जमीन आज परती पड़ी हुई है। वह झगड़े के कारण बेकार पड़ी हुई है, जब कि उसमें हजारों मन अनाज पैदा किया जा सकता है। बहुत से लोगों ने क्लेम किये, लेकिन अपनी गरीबी के कारण उसकी अपील नहीं कर सके। इसलिये ऐसे केसेज पर भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये। मेरे यहां एक किसान है, उसकी जमीन प्लान्टेशन के लिये ले ली गयी, मगर बदले में उसे आज तक जमीन नहीं दी गयी, और वह उस जमीन का लगान भी बराबर दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

*श्री रामभजन (जिला खीरी)--

मैं माननीय मंत्री जी को संशोधन विधेयक के लिये धन्यवाद व बधाई देता हूं, लेकिन साथ-साथ यह बात भी पेश करना चाहता हूं जिससे हमारे जिले का सम्बन्ध है। हमारे जिले खीरी में भी फारेस्ट हैं। वे अवध फारेस्ट के नाम से मशहूर हैं और कुछ प्राइवेट जंगल भी थे और इस तरह की भूमि भी थी जो जमींदारी अबालिशन के बाद वन विभाग में निहित हुई है। उसके बारे में विशेष तौर से बात करनी है। अगर कोई अवध फारेस्ट है या रिजर्व फारेस्ट है उसके बारे में नहीं कहना है। मुझे जमींदारी अबालिशन के बाद जो बंजर जमीन दरियाओं के किनारे की वन विभाग में निहित हुई है, उन्हीं के बारे में कहना है। वह कहना यह है कि हमारे जिले में इस तरह के बहुत से गांव हैं जो गैरआबाद थे और खास तौर पर वे गोमती के किनारे हैं उनकी बंजर जमीन वन विभाग में निहित हो गई। यह मानी हुई बात है और मंत्री महोदय खुद स्वीकार करते हैं कि जमींदार अपने जमाने में जमीनों का इन्दराज ठीक तरह से नहीं करते थे। उसके कई एक ड्राइव भी चले, लेकिन उस के बारे में कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से काश्तकार थे जो बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल से यहां तक कि पचास साल से जमीन पर काबिज हैं और बराबर जमीन को जोतते रहे हैं, लेकिन उनका नाम पटवारी के कागजात में इन्दराज नहीं था। इसलिये वह भूमि वन विभाग में निहित हो गई है और उन काश्तकारों पर मुसीबतों के बादल टूटे। इस तरह की और भी जमीन गोमती के किनारे हैं, गोमती का किनारा गायों के चराने के लिये है और वहां पर जंगल नहीं हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सी जमीन वन विभाग में निहित हो गई है। इसके अलावा वन विभाग के लोग ऐसे कुछ लोगों को ठेका दे देते हैं, जैसा कि मेरी तहसील मोहम्मदी में हर साल २००-२५० का ठेका हो जाता है, जो आतंकवादी होते हैं, वे ही ठेका ले लेते हैं और उसके बाद में जहां-जहां गांव हैं वहां पर गुंडों को अपनी तरफ से ठेका दे देते हैं और वे ही गुंडे उन काश्तकारों को इतना आतंकित और परेशान करते हैं जिसकी कोई इम्तहा नहीं। जिस वक्त ठेका दिया जाता है उस वक्त उनके पट्टे में इस तरह की शर्तें होती हैं कि गोमती के किनारे जितने भी काश्तकार हैं और गांव हैं उनको वही सहूलियतें हासिल होंगी। कहने का मंशा रह है कि उन सहूलियतों के बावजूद भी वे उनको उन सहूलियतों से वंचित कर देते हैं और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करते हैं जितने कि जमींदारों के जमाने में भी नहीं थे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव समाज की वे जमीनें जो वन विभाग में निहित हो गई हैं और जिस पर काश्तकार बीस बीस और पच्चीस-पच्चीस साल से काबिज है उन पर अच्छी तरह से इन्क्वायरी करवा करके उनका ही कब्जा रहने दिया जाय और खासकर ऐसी स्थिति में जहां पर वन लगाने की व्यवस्था भी नहीं है और वन लगाये भी नहीं जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वन की उपयोगिता है लेकिन जो वन हैं वहीं पर उनकी सुरक्षा होनी चाहिये और जहां पर वन लगाने की गुंजायश है वहीं पर उनको बढ़ावा देना चाहिये लेकिन जहां पर वन लगाने की व्यवस्था २०-२५ साल तक नहीं हो सकती वहां पर काश्तकारों को उनके हकूक से महरूम कर दिया जाय तो काश्तकारों की माली हालत गिराने वाली बात ही नहीं, बल्कि देश के सामने जो खाद्य संकट की समस्या है उसका हम अच्छी तरह से समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये जैसा कि गवर्नमेंट इस बात के लिये जोर देती है कि गल्ले की पैदावार बढ़े और हमारा देश अपनी पैदावार के द्वारा आत्मनिर्भर हो और खास कर जब कि हमारे देश के अन्दर युद्ध संचालन है और पता नहीं युद्ध कब तक रहेगा और युद्ध जो लम्बे समय तक के लिए चलने वाला है इसमें अमेरिका आदि देशों से जो गल्ले की सप्लाई हमको होती थी, वह भी शायद नहीं हो सकेगी। इसलिए ऐसे मौके पर सरकार को खास तौर से ऐसी जमीन जहां पर कि जंगल लगाने की कोई गुंजाईश नहीं है वहां पर काश्तकारों को खेती की सुविधायें देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में बहुत सी जमीन बंजर पड़ी है जो खेती के काम में नहीं आ रही है, वहां पर वन लगाये जायं और हम तो चाहते हैं कि जो चीज भी की जाय वह असली तौर पर की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामभजन]

केवल जमीन के वन विभाग में निहित हो जाने से ही हमारा प्रदेश हरा भरा नहीं हो जायगा। जब तक कि उस तरह की कार्यवाही नहीं होगी, तब तक प्रदेश हरा भरा नहीं होगा। प्रदेश में बहुत सी सड़कें हैं, जिला परिषद् की और पी० डब्ल्यू० डी० की, जैसे हमारे जिले खीरी में बरवर जहानी खेड़ा रोड और जंगबहादुरगंज पसगवां रोड, इनके किनारे वन विभाग दरख्त लगवा सकता है और वह अगर फलदार दरख्त हों तो ज्यादा कामयाबी हो सकती है।

*श्री गिरवरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं आउट आफ सबजेक्ट यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां इस तरह से इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के खिलाफ भी बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तो सत्यानाश कर डाला है, वहां उसके साथ-साथ सरकार को धन्यवाद भी देते जाते। इसके सम्बन्ध में म निवेदन करूंगा कि रूलिंग पार्टी ऐसे सेठ लोगों के पैसे से चुनकर आती है कि जिसकी वजह से वह उन सेठ लोगों का ही विकास करती है और गरीब आदमियों का कोई ध्यान नहीं रखती। यह हुकूमत आने से पहले देश के अन्दर बहुत काफी बागात थे, लेकिन जमींदारी खात्मे के बाद जमींदारों ने अपने तमाम पेड़ काट डाले और २५ परसेंट पेड़ उत्तर प्रदेश के कट गये। इसके बाद सरकार आयी। उसने सजेशन मांगे। वे पढ़े लिखे लोगों ने सजेशन दिया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क और रेलवे के किनारे फलदार वृक्ष लगाये जायं। ४० करोड़ आदमियों के लिए ४० करोड़ आम के पेड़ होने चाहिए। आम के पेड़, शहतूत के पेड़, पपीते के पेड़, केले इत्यादि के पेड़ लगाये जा सकते थे। लेकिन १५ वर्षों में सरकार ने कोई पेड़ लगाया भी होगा तो उसका केवल गड्ढा भर खोद करके छोड़ दिया होगा और उसका पैसा यार लोगों ने हड़प कर लिया होगा। सरकार क्या आज की हालत में अपनी सरकारी मशीनरी को अपने इंजीनियरों को और पी० डब्लू० डी० के लोगों को यह आदेश देगी कि वह तमाम जगह सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगायें? आप देखें आम का एक-एक पेड़ सौ-सौ मन फल दे सकता है, लेकिन इस गरानी के समय में हमारे देश में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मगर फिर भी सरकार को धन्यवाद ये लोग देते हैं। सरकार की तरफ से वन महोत्सव एक चला था। हमने देखा अनेकों गड्ढे खोद दिये गये लेकिन एक भी पेड़ कहीं नजर नहीं आता। ब्लाक के जरिये पेड़ लगवाने की कोशिश की गई लेकिन एक भी पेड़ नहीं लगा। इसके बाद चकबन्दी का कानून सरकार ने बनाया कि सब खेत इकट्ठे कर देंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि ऐटा में चकबन्दी आयी तो अलीगंज तहसील के सब पेड़ लोगों ने काटने शुरू कर दिये। सरकार ने सौ-सौ रुपये के पेड़ की कीमत ३३ रुपये लगायी....

श्री चरणसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि इसमें चकबन्दी कहां से आ गई?

श्री गिरवरप्रसाद—

इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के माने यही नहीं हैं कि रिजर्व जंगल हों। बंजर जमीनों में जो पेड़ लगाये जाते हैं और सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाये जाते हैं, उसके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या किया है, उसके ऊपर भी हमको विचार करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस नेक सरकार ने अभी तक कोई फलदार वृक्ष लगाने की योजना बनायी? क्या इस ऐक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावीजन किया? क्या आपने इस प्रकार का प्रावीजन किया कि जिस किसान के पास २० बीघा जमीन है वह कम से कम ३ बीघा में पेड़ लगाये? हो सकता है मैं गलती पर हूं लेकिन कुछ दिनों पहले जनता जानती भी नहीं थी कि फारेस्ट ऐक्ट किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को नीम का पेड़ काटने पर भी फारेस्ट ऐक्ट के मातहत पकड़ लिया जाता था और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह दिया जाता था कि उसने फलदार वृक्ष को काटा है। मैंने ऐसे बहुत से केस किये हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कानून में इस प्रकार की बात अवश्य रखे कि किसान अपनी जमीन के इतने हिस्से में अवश्य ही बाग लगाये।

*श्री रक्षपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। कुछ लोगों ने खास कर विरोधी दल के सदस्यों ने तो मेरा समर्थन ही किया और उसके साथ ही साथ कांग्रेसी सदस्यों ने भी सरकार का समर्थन करके अपने-अपने क्षेत्रों के कष्टों को बताया और एक प्रकार से मेरी बात का ही समर्थन किया। उन सबकी बातों को सुनने के बाद मैं इस निश्चित मत पर पहुंचा हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिये। मैठाणी जी ने बताया कि कर देने के बाद भी सरकार द्वारा पशुओं के चरने के लिये दिक्कत पैदा की जाती है। उन्होंने डिमार्केशन के प्रश्न को भी गम्भीर समस्या बतायी। इन सब समस्याओं के हल के लिये इसको प्रवर समिति में अवश्य जाना चाहिये।

मिर्जापुर के माननीय सदस्य ने बताया कि जिन वनवासियों ने जमीनों को जोत लिया है, उनके अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। अन्य कांग्रेस सदस्यों ने भी इसी प्रकार की भावनायें प्रकट कीं। उदल जी ने भी वाराणसी में भूमिहीनों की समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। इन सब लोगों के मन की इच्छा एक ही मालूम हुई कि ऐसी जमीन जो तोड़ ली गयी है खेती करने के लिये, उसको लेने का प्रयत्न अनुचित है। वन बढ़ाने के लिये जमीन लेने की बात कही जाती है, लेकिन समाज के अन्दर एक वर्ग ऐसा है जिसको सरकार जमीन नहीं दे पायी है। सरकार कहती थी कि जमीन जोतने वाले को दी जायगी, लेकिन वह चीज केवल कागज पर रह गयी है, वह अधिकार इस बिल के जरिये से छीना जा रहा है। इस अधिकार के ले लेने से बड़ी भारी उथल-पुथल होगी। जंगल सभी बढ़ाना चाहते हैं। जहां पर जंगल लगाये जा सकते हैं, पहाड़ों पर जिन स्थानों में जंगल नहीं है, और जहां जंगल बढ़ाये जा सकते हैं उन स्थानों में जंगल लगाये जायं, लेकिन सारा क्षेत्र जंगल घोषित करना बिलकुल गलती होगी। वहां यह होगा कि जो गांव के रहने वाले किसान हैं वह जंगल में जानवर चरायेंगे और वहां के जो सम्बन्धित अधिकारी होंगे उनके घूस लेने का अधिकार क्षेत्र और बढ़ जायगा और अधिकारियों को उनको यातनायें पहुंचाने का अवसर अधिक हो जायगा। इस तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को फिर प्रेस करता हूं।

श्री चरणसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र की तकरीर अभी सुन रहा था और शुरू में भी मैंने उनका भाषण सुना तो मैं यह विचार कर रहा था कि हम लोगों को जनतंत्र में इस बात की आदत डालना चाहिये कि गलत-सलत कुछ भी कहा जाय उसके लिये उफ न की जाय। मैंने इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश की और खामोश बैठा उनकी बात सुनता रहा। चाहे किसी बात का बिल से वास्ता हो या न हो लेकिन जो कुछ मन में वह कहने के लिये सोच कर आये थे, वह सब उन्होंने कह डाला और मुझे सब सुनना पड़ा। जितनी बातें उन्होंने कहीं उनका इस विधेयक से क्या ताल्लुक था? कहां भ्रष्टाचार होगा, लेखपालों से भ्रष्टाचार हो गया, चकबन्दी से भ्रष्टाचार हो गया, सब जगह उनको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दिया, जैसे सावन में किसी की आंख खराब हो जाय तो उसे हरा ही हरा दिखाई देता है। भ्रष्टाचार की बात है कि आदमियों को ही तो अधिकार दिये जायंगे। समाज में व्यवस्था करने के लिये राज्य कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं और उनकी ड्यूटीज और कर्तव्य होते हैं और जिस राज्य कर्मचारी से हम काम लेंगे उसको अधिकार भी देने होंगे और अगर उनका दुरुपयोग होगा तो वह भ्रष्टाचार भी होगा और वह अधिकारी भ्रष्टाचारी कहा जायगा। अगर आप याद रखेंगे तो भ्रष्टाचार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

होगा, कानून बनेंगे तो भ्रष्टाचार भी होगा। क्या भ्रष्टाचार की वजह से थाने न बनाये जायं, कानून न बनाये जायं क्योंकि भ्रष्टाचार होगा ? अगर भ्रष्टाचार होगा तो कोई फारेस्ट ऐक्ट ही न बनाया जाय। अगर कोई ऐसा समय आ जाय कि कानून की जरूरत न हो, राज्य कर्मचारियोंकी जरूरत न हो तो बड़ी अच्छी बात है जैसे कि हम सुनते आये हैं कि सतयुग हो जाय तब बात दूसरी है। लेकिन अगर आज हमें व्यवस्था रखनी है तो उसके लिये आदमी और अधिकारी रखने होंगे, अगर आदमी गलती करेंगे तो गवर्नमेंट मौजूद है, नोटिस में चीज आयेगी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसलिये हर चीज में भ्रष्टाचार की बात कह दी और विरोध कर दिया या कोई सुझाव दे दिया यह कोई उनके कर्तव्य का पालन नहीं है।

उनके हिसाब से किसी भी विधेयक में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गरीब भूमिहीन का नाम ले दो, खाद्य समस्या की बात कह दो, बात लगे न लगे अपनी बात कुछ न कुछ कह दो कम से कम सुनने वाला तो मरेगा। जो भाषण हुआ उसका इस विधेयक से क्या वास्ता था ? मैंने पहले ही कहा था कि जमीन सरकार की है और अगर किसी आदमी ने उस पर जबरदस्ती खेती २-४ साल से कर ली है तो वह बहुत बड़ा क्षेत्र एक राज्य कर्मचारी का होता है, वहां छोटे क्षेत्र नहीं होते, जैसे एक आदमी अपने खेत पर हर वक्त डन्डा लिये बैठा रहता है उस तरह से राज्य कर्मचारी सारी सरकारी सम्पदा पर नियन्त्रण नहीं कर सकता। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया तो उसको हमें निकालना ही होगा और अधिकार देने ही होंगे। यह इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेट फारेस्ट पर रिजर्वेशन नहीं है। उसमें यह साबित होता कि जमीन तो सरकार की है उसने जबरदस्ती खेती कर ली है उसको लेते हैं तो गरीबों के साथ क्या ज्यादती होगी ? जैसे जिसकी जमीन थी वह लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के बाद ही यू० पी० में इस तरह सब किसानों को दे दी गयी है कि विदेशी लोग तक आकर कहते हैं कि अगर कहीं वाकई में जमींदारी खत्म हुई है तो वह केवल उत्तर प्रदेश में हुई है, आप कहें तो मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूं। माननीय मैनेजर सिंह चले गये, कहते थे कि सब बेदखल हो गये, कहां बेदखल हो गये ? कहने लगे पटवारी गये लेखपाल आ गये। लेकिन वह नहीं जानते कि पटवारी को दस गुने अधिकार थे और लेखपाल को पटवारी से केवल १ बटा १० अधिकार हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के जरिये माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमको सेवा करना है और अगर वे स्वयं ईमानदार नहीं हैं, वे स्वयं अच्छे नहीं हैं तो कितने ही अच्छे राज्य कर्मचारी हों, उनको लालच होगा, बेईमानी करने का। हमने सभापति को अधिकार दे दिया कि वह खर्चा का एक्स्ट्रैक्ट दिला सकता है। तो किसने गारन्टी दी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा ? हम एक तरफ ऐक्शन लेते हैं तो दूसरी तरफ माननीय सदस्य आकर सिफारिश करने लगते हैं। तब भ्रष्टाचार है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन इसके बहुत से कारण हैं और इसको मिटाने की जिम्मेदारी हम सबकी बराबर है। जितनी हमारी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी और पढ़े-लिखे आदमियों की भी है। हर चीज में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहने से तो कोई हल होने वाला नहीं है और न किसी चीज का वह जवाब ही है। इस में मैंने मान लिया कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने १० साल के लिए लगान पर भूमि दी तो अब अगर उसका रिजर्वेशन करना चाहते हैं या नया प्लान्टेशन करना चाहते हैं तो वह कहेंगे कि यह तो कल्टिवेशन की है। यह बंजर जमीन नहीं है। पट्टे पर दे रहे हैं। जब चाहे छुड़ा सकते हैं। क्या जवाब दिया इस पर आप ने ?

कहा गया है कि खाद्य समस्या यहां की खराब हो जायगी। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि यहां की खाद्य समस्या रकबे के बढ़ाने से हल नहीं होगी। बहुत फैक्टर्स हैं, लेकिन रकबा भी एक है। एक या २ लाख एकड़ घट जाय या बढ़ जाय कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। १९६३-६४ में ११६ लाख टन गल्ला पैदा हुआ था जब कि १९६४-६५ में वह १९१ लाख हुआ। अगर फारेस्ट की जमीन है, या जो कब्जा हमने दे दिया है उस पर रिजर्वेशन का प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं तो उस को अगर हमने नहीं निकाला तो समस्या हल नहीं होगी माननीय सदस्यों के भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो मैं उन को समझा नहीं पाया हूं या माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है। पढ़ा तो अवश्य होगा, इसलिए मैं समझता

हूं कि म इसको समझा ही नहीं पाया हूं। मैं समझ रहा था कि मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था और माननीय सदस्यों को तसल्ली हो गयी होगी। श्री कृष्ण सिंह जी ने कहा कि रिजर्वेशन में देर लगेगी तो हमने बीच का रास्ता निकाला है जिस में पब्लिक और प्राइवेट इन्टरेस्ट्स का समन्वय हो जाय। कहा गया कि ५ साल नाकाफी है। ५ साल तो इसलिए रक्खा है कि जो अरेंजमेंट्स आज हैं, अगर उन में कोई खराबी हो तो ५ साल बाद किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण हो सकेगा। क्या मतलब हुआ यह कि साहब आज पता नहीं पड़ा। यहां किसी सेक्रेटरी या मिनिस्टर की बात नहीं है, सवाल कानून का है। आज अगर अख्तियार मिल रहा है ऐसा कि जो अरेंजमेंट्स में अगर रिव्हीजन की आवश्यकता है तो ५ सालकी मियाद रखी गयी है उसको टिल परपीचुइटी कैसे रखा जा सकता है? इस तरह से तो कभी कोई चीज फाइनलाइज नहीं हो सकती है। उस के लिए मैं समझता हूं कि ५ साल की मुद्दत बहुत काफी है। मेरा ऐसा खयाल है कि शायद हम ने गलती की जो तराई में जंगल काटकर, लखीमपुर तथा पीलीभीत में जो जमीन खराब पड़ी था, कुछ जगह अच्छे फारेस्ट्स भी थे, कुछ जगह रद्दी किस्म का फारेस्ट था, उसको काट कर लोगों को बसा दिया। करोड़ों रुपया खर्च हुआ और फी आदमी ११,००० रु० सेटिल्मेंट पर खर्च हुआ। अगर इतना रुपया खर्च करके फैक्टरी कायम कर देते तो काफी लोगों को रोजगार मिल जाता और यह जंगल भी बच जाते। २ हजार एकड़ के जंगल को काटकर अगर २०० आदमियों को बसा दिया तो जितना २०० आदमियों को रोजगार मिला, मेरा अपना खयाल है कि २,००० एकड़ में अच्छा जंगल हो तो १,००० आदमियों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए इस से मसला हल नहीं होता, प्रोबलम और पैदा होती है, गरीबी हमारी दूर नहीं होती। मैं अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि खेती पर काम करने वाले लोगों की तादाद घटानी है। हम सब सोचते हैं कि हाय खेती, हाय काश्तकारी। नहीं, दिल पर पत्थर रखकर जो कोई नया आदमी जमीन खेती के लिये मांगे आप उन को नामंजूर कर दो। कोशिश हमारी यह होनी चाहिए गैर जरायती रोजगार यहां बढ़े। जो इकोनोमिक फैक्टर्स हैं वह बतलाते हैं कि खेती पर से लोगों को जो आज खेती कर रहे हैं, हटाया जाय बजाय इस के कि नये लोगों को खेती पर बसाया जाय। मान लिया कि हमने ही जमीन दी और आदमी उस पर काश्त कर रहा है, अब हम उस जमीन को रिजर्व करना चाहते हैं। नहीं कर सकते। इसीलिए यह बिल है। राय सिक्खों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है वे हमारे लिये प्रोब्लम हैं। अब अगर आप लोगों के अनुसार उनको निकालें, तो खाद्य समस्या बिगड़ जायगी। अगर कल को कोई कब्जा कर ले तो क्या होगा? क्या इस तरह से और लोगों को नियन्त्रण नहीं मिलता जबरदस्ती कब्जा करने का? माननीय ऊदल जी ने कहा बहुत दिनों से लोग खेती कर रहे हैं। मैं मानता हूं, क्या ताल्लुक हुआ?

श्री ऊदल—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि वह सीरदार या भूमिधर हैं जिनको आप के अधिकारियों ने रिजर्व फारेस्ट में ले लिया है। मैंने ट्रेसपासर की बात नहीं कही।

श्री चरणसिंह—

अच्छी बात है, आप ने नहीं कहा। किसी और माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से लोग जमींदारों के जमाने से काफी अर्से से खेती कर रहे हैं और वे निकाले जा रहे हैं। मान लिया सही बात है तो क्या ताल्लुक हुआ? कानून ऐसा बना दे जो कोई मित्र यह कहे कि ५० साल से जो आदमी खेती कर रहा है, जैसा वह कहे उसकी बात मान ली जाय। तो आज जो मेरे दोस्त बात कह रहे हैं उसको ठीक मान ली जाय कि वह सही कह रहे हैं, लेकिन जब यह कानून बन रहा है और जितने भी आ कर क्लेम करने लग जायं, उनकी बात फिर ठीक मान लेना चाहिए? वे झूठ कहें तो भी उनकी बात मान लेनी चाहिए? तो कहने मात्र से बात नहीं मानी जा सकती। लिहाजा कुछ सबूत देना चाहिए। उसके लिए जुडिशियल आफिसर मुकर्रर किया है, उसके सामने सबूत दिया जाय और कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। यह कोई डिक्टेटरशिप थोड़े ही है, न किसी मिनिस्टर की जायदाद है। हम तो केवल ट्रस्टी

[श्री चरणसिंह]

हैं। डेमोक्रेसी में इन्तजाम चलेगा, कायदे कानून के मातहत। कोई कहता है कि हमारे पास जमीन इतने दिन से है तो साबित करे। डेमोक्रेसी में एक तरीका है जुडीशियल प्रोसीडिंग्स का उसे मान लिया गया है। माननीय ऊबल जी ने खुद कहा और दरख्वास्तें भी दिलवायीं। उन्होंने खुद माना है कि ८० फी सदी बातें उन की मान ली गयीं। २० फी सदी की बात नहीं मानी गयी। तो क्या मैंने यह कहा कि माननीय ऊबल जी के किसान आकर कहें तो खारिज कर दो? लिहाजा कोई बात हो सोच कर कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र चले गये। मेरे मित्र सुझाव तो दे देते हैं, लेकिन जवाब सुनने के वक्त चले जाते हैं। खैर, मेरे अन्य मित्र उनके पास पहुंचा देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

तो यह साधारण शिष्टाचार है।

श्री चरणसिंह—

उन्होंने कहा कि जंगलों के लिए, पेड़ों के लिए, आपने क्या किया? बहुत कुछ किया इस गवर्नमेंट ने। जमींदारी एबालिशन ऐन्ड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट के रूल २८९ से २९१ तक आप देखें। जो आदमी टिम्बर ट्रीज लगाये उसकी तीन साल के बाद मालगुजारी माफ हो जायगी। फ्रूट ट्रीज लगायेगा वह मालगुजारी देता रहेगा, क्योंकि उस से आमदनी होती है। अच्छे फलदार वृक्षों से खेती से ज्यादा आमदनी होती है। टिम्बर ट्रीज में महुआ, देशी आम, जामुन के पेड़ों को भी रखा गया है, उन पर से मालगुजारी माफ हो जायगी। इस से ज्यादा आप क्या चाहते हैं? एक मित्र ने कहा कि कानून बना दीजिये कि एक चौथाई जमीन में हर एक आदमी को पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसको जरा वह अपनी पार्टी में ही पास करवा कर देखें। वह गालिबन जनसंघ पार्टी के थे। रोज वे लोग हमारे सोशल वर्कर्स से देहातों में कहते हैं कि गवर्नमेंट चरागाह नहीं छोड़ती है। जो जमीन चरागाह हो सकती है वही काबिले काश्त है और जो ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स हैं वह चरागाह नहीं कहे जा सकते। अच्छी जमीन होती तो ऐसी हालत में चरागाह कहां से आयें? इस तरीके से यह भी इम्प्रैक्टिकेबिल बात है। एक चौथाई जमीन में बाग लगाया जाय यह बात अमल में नहीं आ सकती है। इसलिए ऐसी बात कहनी चाहिए जो अमल में आ सके। यह नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट की हर बात में नुक्सा निकाला जाय। आम तौर पर मेरा यह इम्प्रेशन रहा कि माननीय मित्रों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक मास में प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधायक, नवाबजादा सैयद जुल्फिकार अली खां द्वारा सुरक्षा कोष में धन देने के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मैं दो सूचनायें माननीय सदन के सदस्यों को देना चाहता हूं। एक सूचना है जिसमें नवाबजादा सैयद जुल्फिकार अली खां साहब ने माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा है "मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी होऊंगा यदि आप मुझे अपना वेतन अपनी सेवायें स्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। मेरा वेतन जब तक पाकिस्तानी आक्रमण मेरी मातृभूमि पर है आप जिस रूप में चाहें उपयोग कर सकते हैं। जैसा आप उचित समझें।"

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन-कार्य-क्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

दूसरी सूचना है जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि आज हम उठ रहे हैं और २० तारीख को फिर मिलेंगे। आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट का एक चुनाव होना था, उसका कार्य-क्रम इस प्रकार है:—

नाम वापस लेने की तिथि:—२० सितम्बर, १९६५ को शाम को ५ बजे तक कर दी गयी है। चुनाव २२ सितम्बर को कर दिया गया है।

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ (क्रमागत)

खण्ड २ तथा ३

२—इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट संख्या १६, १९२७ की धारा ३ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"(३) राज्य सरकार किसी ऐसी वन भूमि या बंजर भूमि को या किसी खाता अथवा गांव आबादी में तत्समय सम्मिलित भूमि से भिन्न किसी ऐसी अन्य भूमि को जो सरकार की सम्पत्ति हो अथवा जिस पर सरकार का स्वामित्व अधिकार हो, या जिसकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उस उपज के किसी भाग की हकदार सरकार हो, आगे दी गयी रीति से रक्षित वन बना सकती है।

वन रक्षित करने की शक्ति।

स्पष्टीकरण—'पद खाता' का वह अर्थ होगा जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में 'पद खाता "Holding"' के लिए दिया गया हो, और पद "गांव आबादी" का वह अर्थ होगा जो संयुक्त प्रांत का गांव आबादी ऐक्ट, सन् १९४७ ई० में इसके लिए दिया गया हो।

उ० प्र० ऐक्ट संख्या १७, १९३९ उ० प्र० ऐक्ट संख्या ३, १९४८

धारा ५ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

वन अधिकार की प्रोद्भूति पर रोक

"५—धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दिये जाने के पश्चात् ऐसी विज्ञप्ति में समाविष्ट भूमि में या उस पर कोई अधिकार उत्तराधिकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिस में विज्ञप्ति जारी करते समय ऐसा करने का अधिकार निहित किया गया था, किसी लिखित अनुदान या संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अर्जित नहीं किया जायगा, और सिवाय राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुकूल ऐसी भूमि में कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए न तो कोई नया वनोन्मूलन किया जायगा और न वहां का कोई वृक्ष गिराया जायगा, न उसका धिरान किया जायगा, न उसे छाँटा जायगा, न रस निकालने के लिए उसमें छेद किया जायगा, न उसे जलाया जायगा, न उसकी छाल या पत्तियां उतारी जायंगी। न अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाया जायगा और न ही वहां से वन उपज को हटाया जायगा।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ तथा ५

धारा ११ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(४) उपधारा (३) के उपबन्ध उस दशा में भी लागू होंगे जब वन बन्दोबस्त अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में दिये गये किसी आदेश के परिणाम स्वरूप किसी भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करे।"

धारा १७ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

५—मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा ११, धारा १२, धारा १५, या धारा १६, के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील।

"१७—कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया हो, या कोई वन अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेषरूप से प्राधिकृत अन्य व्यक्ति, वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसे दावे पर धारा ११, धारा १२, धारा १५ या धारा १६ के अधीन दिये गये आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर उस आदेश के विरुद्ध जिला जज को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और इस अध्याय की अनुवर्ती धाराओं में "जिला जज" का तात्पर्य उस जिले के जिला जज से है, जिसमें भूमि स्थित हो, और इसके अन्तर्गत वह अपर जिला जज भी है जिसे जिला जज द्वारा अपील संक्रमित की जाय।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६ व ७

६—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा १८ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"१८(१)—धारा १७ के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका के रूप में दी जायगी, और वह वन बन्दोबस्त अधिकारी को दी जा सकेगी, जो उसकी सुनवाई के लिए उसे जिला जज को अविलम्ब भेज देगा।

धारा १७ के अधीन अपील

(२) जिला जज, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है अथवा उसमें परिष्कार कर सकता है या वाद को ऐसे निदेशों के साथ जो वह उचित समझे वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(३) अपील के विचाराधीन रहने की अवधि में जिला जज, पर्याप्त कारण होने पर, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, रोक सकता है और कोई प्रासंगिक या आनुषंगिक आदेश दे सकता है।

(४) अपील में दिया गया आदेश धारा २२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।"

७—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा १९ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

"१९—राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई दावा किया हो, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अपील के दौरान में वन बन्दोबस्त अधिकारी या जिला जज के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने, वकालत करने और कोई कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।"

वकील

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ और ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८–१६

८—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

धारा २० का संशोधन

"(बी) यदि कोई ऐसे दावे किये गये हैं, तो जबकि ऐसे दावों पर दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा १७ के अधीन सीमित

अवधि समाप्त हो गयी हो, और यदि ऐसी अवधि के भीतर कोई अपीलें प्रस्तुत की गयी हों, तो वे सभी अपीलें जिला जज द्वारा निपटा दी गयी हों; और"

नयी धारा २०-क का रखा जाना।

९—मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय, अर्थात् ।—

ऐक्ट संख्या ५९, १९४९ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५०

कतिपय वन भूमि या बंजर भूमि रक्षित वन समझी जायगी

"२०-(क) (१) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में, जिसमें मर्ज्ड स्टेट (लाज) ऐक्ट, १९४९ या १९५० ई० का उत्तर प्रदेश विलीन रियासतों का (विधियों को लागू करने का) अधिनियम भी सम्मिलित है, या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन रियासत की कोई वन भूमि या बंजर भूमि, जो विलयन के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे उक्त दिनांक कहा गया है) ठीक पूर्व :—

(क) उक्त राज्य में प्रवृत्त किसी भी विधायन के अधीन रक्षित वन समझी जाती थी।

(ख) उक्त राज्य के शासक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (जिसमें कोई विधायन, नियम विनियम, आदेश विज्ञप्ति, रूढ़ि या प्रथा जो विधि के समान प्रभावी हो, सम्मिलित है) के अधीन रक्षित वन के रूप में मानी जानी थी या घोषित की गयी थी; या

(ग) जिसके सम्बन्ध में शासक के अधिकार के अधीन रखे गये और कार्यान्वित किसी प्रशासकीय प्रतिवेदन में या किसी कार्य-योजना अथवा रजिस्टर के अनुसार रक्षित भूमि के रूप में कार्यवाही की गयी थी,

तो वह उक्त दिनांक से ठीक पूर्व यदि कोई अधिकार या रियायतें किसी व्यक्ति की पक्ष में प्रवृत्त हो उनके अधीन रहते हुए वन समझी जायंगी और उक्त दिनांक से बराबर रक्षित वन बनी रही समझी जायेंगी।

स्पष्टीकरण १—राज्य सरकार अथवा तदर्थ प्राधिकृत किसी भी अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कोई प्रतिवेदन, कार्य योजना अथवा रजिस्टर शासक के अधिकार से रखा गया था और उस पर कार्यवाही की गयी थी, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसे इस प्रकार रखा गया था और उस पर कार्य-वाही की गयी थी।

स्पष्टीकरण २—इस उपधारा में उल्लिखित किसी अधिकार अथवा रियायत के विद्यमान होने अथवा उसके विचार अथवा सीमा के संबंध में कोई प्रश्न उठने पर उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के उपरान्त, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, होगा, जो अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण ३—कार्य योजना के अन्तर्गत कोई नक्शा (प्लान), योजना, परि-योजना (प्रोजेक्ट) मानचित्र, रेखाचित्र (ड्राइंग) तथा अभिन्यास है जो वन सम्बन्धी कार्य और प्रबन्ध करने के दौरान में कार्य संचालन के लिए तैयार किये गये हों।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि में या उस पर, उक्त, दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तराधिकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा या किसी

ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा करने का अधिकार निहित है, किसी लिखित अनुदान या संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय कोई भी अधिकार अर्जित हुआ नहीं समझा जायगा और कृषि या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस समय से किया गया कोई भी नया वनोन्मूलन (शासक द्वारा स्वीकृत और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त रियायतों के अनुसार या उक्त दिनांक से राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार किये गये वनोन्मूलन को छोड़कर) वैध नहीं माना जायगा और न वैध समझा जायगा, चाहे इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई भी बात क्यों न हो।

(३) राज्य सरकार धारा २२ में उल्लिखित प्रकार के किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ का प्रारम्भ होने के पांच वर्ष के भीतर कर सकेगी और कोई भी प्रासंगिक या आनुषंगिक आदेश जारी कर सकेगी जिसके अन्तर्गत इस आशय का निवेश भी हो सकता है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में निर्दिष्ट की भी कार्यवाही की जाय।

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि के सम्बन्ध में धारा २१ और २६ में—

(क) धारा २३ के अभिदेश उपधारा (२) के अभिदेश समझे जायेंगे, और

(ख) धारा १४ या धारा १५ के अधीन स्वीकृत, अभिलिखित या जारी रक्खे गये अधिकारों के अभिदेश, उपधारा (१) में उल्लिखित तदनुरूप विधायन, विधि, या लेख्य में अथवा उसके अधीन स्वीकृत, अभिलिखित या जारी रक्खे गये चारागाह या वन उपज के अधिकारों के अभिदेश समझे जायेंगे।

(५). उपधारा (१) में उल्लिखित किसी भूमि पर अनधिकृत दखल या अतिचार करने के सम्बन्ध में बेदखली करने, अतिक्रमण हटाने या हानि की पूर्ति कराने के लिये, अथवा किसी वन उपज जिसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध हुआ हो अथवा किसी वन विषयक अपराध करने में प्रयुक्त किसी औजार, नावें, छकड़े या ढोरों का अभिग्रहण, समापहरण, निस्तारण या (उसका मूल्य लेकर या बिना मूल्य लिये) सम्मोचन के लिये, की गयी या की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा की किसी बात में, इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व अपराध नहीं था, किसी भी, व्यक्ति को सिद्ध दोष करने का प्राधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा।

धारा २२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन।

१०—मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात—

धारा १५ या धारा १८ के अधीन किये गये प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति

"२२—राज्य सरकार धारा १५ के अधीन या धारा १८ के अधीन अपील पर किये गये किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा २० के अधीन किसी विज्ञप्ति के प्रकाशन से पांच साल के अन्दर कर सकेगी और धारा १५ या धारा १८ के अधीन दिये गये किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिये विखण्डित या संशोधित कर सकेगी, और निदेश दे सकेगी कि धारा १५ में उल्लिखित कोई भी कार्यवाही ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के बदले में की जाय, या धारा १२ के अधीन स्वीकृत अधिकारों का धारा १६ के अधीन संराशिकरण किया जाये।"

धारा २६ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २६ की उपधारा (१) में खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(ए) धारा ५ द्वारा प्रतिषिद्ध नया वनोन्मूलन अथवा कोई अन्य कार्य करता है, या"

धारा २७-क का बढ़ाया जाना।

१२—मूल अधिनियम के अध्याय २ में धारा २७ के पश्चात् नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

आदेशों आदि की अन्तिमता

"२७-क—एतत्पूर्व की गयी व्यवस्था के सिवाय, इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य, दिये गये किसी आदेश या जारी किये गये किसी प्रमाण-पत्र पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा ४१ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ४१ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

"(२-ए)—राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तें जो विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाय, किसी वन अधिकारी को, जो अरण्यपाल (कंजरवेटर) से नीचे के पद का न हो, उपधारा (२) के खण्ड (सी) के अधीन शुल्क नियत करने का अधिकार दे सकती है।

(२-बी)—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अरण्यपाल द्वारा बनाया गया अभिप्रेत कोई नियम जिसमें उपधारा (२) के खण्ड (बी) में उल्लिखित पास के सम्बन्ध में शुल्क नियत किया गया हो, उपधारा (२-ए) के अधीन प्रतिनिहित अधिकार के अन्तर्गत बनाया गया समझा जायेगा, मानो उपधारा (२-ए) के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों, और वह अरण्यपाल तदधीन यथाविधि प्राधिकृत रहा हो, और उसे वैध समझा जायगा तथा सदैव से वैध होगा, और तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जबतक कि यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी यथाविधि प्राधिकृत अरण्यपाल द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित न कर दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को धारा ४२ के अधीन अभियोजित करने या दण्ड देने का प्राधिकार देना नहीं समझा जायगा।"

नयी धारा ६१-क का बढ़ाया जाना।

१४—मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय अपराधों के लिए दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संक्षिप्तः बेदखल करना

"६१-क-(१) जब कोई न्यायालय धारा २६ की उपधारा (१) के खण्ड (ए), खण्ड (डी) या खण्ड (एच) या धारा ३३ की उपधारा (१) के खण्ड (सी) या खण्ड (एच) के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराये तो वह निर्णय देते समय उस व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि से बेदखल कर दिये जाने का निदेश दे सकता है जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो।

(२) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय अपने अधीनस्त न्यायालय द्वारा उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी आदेश को, उस समय तक के लिए स्थगित करने का निदेश दे सकता है जब तक कि वह पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा विचाराधीन रहे और ऐसे आदेश में परिष्कार अथवा परिवर्तन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।"

धारा ७८ का प्रतिस्थापन

१५—मूल अधिनियम की धारा ७८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

नियमों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध।

"७८(१) इस अधिनियम के अधीन सभी नियम गजट में विज्ञप्ति करके बनाये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे जो एक सत्र में या दो अथवा अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बन्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अपीलों, पुनरीक्षणों आदि के संबंध में संक्रमणकालीन उपबन्ध

१६—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये किसी दावे के विरुद्ध अपीलों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १७ तथा १८ के उपबन्धों द्वारा शासित होगी।

(२) मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, को धारा १७ के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कोई अपील उसके द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला जज को संक्रमित कर दी जायगी और वह एतत्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा १८ के अधीन ऐसे जज द्वारा निपटाई जायगी।

(३) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो निर्दिष्ट किये जायें, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, उपधारा (५) तथा (६) में अभिदिष्ट याचिकाओं का निर्माण करने के लिए एक या अधिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है।

(४) न्यायाधिकरण में एक दीवानी न्यायाधिकारी होगा जो जिला जज के पद से नीचे का न होगा।

स्पष्टीकरण—पद जिला जज के अन्तर्गत अपर जिला जज भी है।

(५) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पांच वर्ष के भीतर किसी भी समय राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत की गयी कोई ऐसी याचिका, जो मूल अधिनियम की जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन दी जानी अभिप्रेत हो चाहे वह ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को राज्य सरकार के पास विचाराधीन हो या उसके द्वारा ऐसे दिनांक के पूर्व उक्त उपधारा के अधीन निर्णीत की जानी अभिप्रेत हो, राज्य सरकार द्वारा, क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की

जायगी, और वह न्यायाधिकरण, पक्षों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें परिष्कार कर सकता है, अथवा बाद को ऐसे निदेशों के साथ जो वह उचित समझे वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात से राज्य सरकार के लिए किसी वन अधिकारी द्वारा दी गयी किसी याचिका को जिसे राज्य सरकार चलाना उचित न समझती हो न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करना आवश्यक नहीं समझा जायगा ।

(६) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तीन महीने के भीतर किसी समय मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन दिये गये अपीलीय अधिकारी के किसी निर्णय से क्षुब्ध कोई पक्ष, जब तक कि उसने राज्य सरकार को पुनरीक्षण के लिए ऐसी याचिका पहिले ही प्रस्तुत न कर दी हो जो मूल अधिनियम की, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन दी जानी अभिप्रेत हो, उक्त प्रारम्भ के दिनांक के तीन महीने के भीतर उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए न्यायाधिकरण को याचिका प्रस्तुत कर सकता है, और तदुपरान्त न्यायाधिकरण याचिका का निपटारा कर सकता है मानों वह उसे उपधारा (५) के अधीन अभिदिष्ट की गयी हो ।

(७) एतत्द्वारा संशोधित मूल अधियिम की धारा २२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा ।

(८) एतद्द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ११ और २२ में अपील पर दिये गये आदेशों के अभिदेशों के संबंध में यह समझा जायगा कि उनमें इस धारा के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों के अभिदेश भी सम्मिलित है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ से १६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है ।)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ का आगे दिये हुए प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने जिले, गोंडा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि वहां वन विभाग की कितनी हालत खराब है। इस विभाग में सेटिलमेन्ट केसेज को तय करने के लिये अधिकारी मुकर्रर किये गये। उन्होंने सरकार का सात लाख रुपया खर्च किया। किन्तु एक इंच का भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। यह शायद मंत्री महोदय खुद जानते हैं। मैं उनसे मिला भी था और प्रार्थना भी की थी। सेटिलमेन्ट केसेज पड़े हुए हैं और काश्तकार परेशान हैं। उन्होंने शायद किसी अधिकारी को नियुक्त भी किया लेकिन मालूम नहीं कि क्या हुआ। आज तक कोई सेटिलमेन्ट आफिसर नहीं गया। लेघेना प्रांट के कुछ काश्तकारों ने पट्टा लिया, रुपया दिया, बेचारे छः साल तक लड़ते रहे, आज भी उनका लगान वसूल किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के यहां अपील भी की, कि अगर सरकार हमारी जमीन लेना चाहती है तो हमको जंगल के अन्दर जो महुवे के दरख्त लगे हुए हैं, वही जमीन दे दी जाय। लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। वहां स्टैन्डर्ड फारेस्ट हैं, जंगलों के बीच में खेत भी हैं। सरकार का मंशा भी है कि जो जंगल के बीच में जमीन है उसको लेकर स्टैंडर्ड फारेस्ट को एक कर दिया जाय। प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं लेकिन सेटिलमेन्ट आफिसर की गलती की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही से सारे काश्तकार बार-दस पंदरह पंदरह बार फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। हां, जो पैसा खर्च कर देता है उसको फौरन परमिट मिल जाता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री रत्नपालसिंह—

श्रीमन्, यह किसी भी सदस्य की इच्छा नहीं है कि सरकार को बेदखल करने या अपनी स्कीम चालू करने का अधिकार नहीं होना चाहिये परन्तु यह बात अवश्य है कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। जंगल लगाने की घोषणा कर दी गयी, काश्तकारों ने खेती करना बन्द कर दिया और बाद में जंगल नहीं लगाया गया।

दूसरी बात यह है कि कम से कम जन संघ यह नहीं कहता कि एक चौथाई जमीन पर बगीचा लगाने का अधिकार दे देना चाहिये। परन्तु एक बात कहूंगा कि जो नियम बनाएं उनमें जरूर प्राविधान होना चाहिये ताकि डिमार्केशन और जंगल में चराई आदि की कठिनाइयां दूर हो जायं।

श्री ऊबल—

मैंने २ –३ सवाल माननीय मंत्री जी के सामने उठाये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार तो नहीं है। कहीं पर कोई गलती इस तरह की नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी ने एक दरख्वास्त के सिलसिले में मुझे बुलाया और मैंने उनको अपनी बात बताई। विजयपुर बिजौड़ा के किसानों की जमीन जंगल विभाग ने रिजर्व कर ली जो उनके हक की थी। उन्होंने क्लेम किया और अपीलें कीं। अन्त में मामला कोर्ट में गया और जंगल विभाग ५६ में हार भी गया। किन्तु पिछले साल नवम्बर, ६४ में जब मैं उस क्षेत्र में गया तो मैंने देखा है कि वहां से अब तक वन विभाग ने अपने पत्थर नहीं हटाये हैं। मैंने जब प्रश्न पूछा तो मंत्री जी ने बताया कि गलती से ऐसा हो गया है लेकिन अब वन विभाग को आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने पत्थर हटा लें, तब जाकर इस वर्ष पत्थर हटाये गये हैं। तो मैं मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

जी से चाहूंगा कि वे अपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने अदालत के हुक्म को नहीं माना। ५६ में फैसला हो जाने के बाद भी ८–९ वर्ष तक वह उस पर अपना अधिकार बनाये रखे और पत्थर गाड़े रहे।

इसी प्रकार से अन्य बहुत से गांव हैं। वहां पर न्यायालय का फैसला हो जाने के बाद इस जनतंत्रीय सरकार ने अपने हस्तक्षेप को नहीं हटाया। उन गांवों की एक बड़ी लिस्ट है जहां से पत्थर नहीं हटाये गये। जैमोहिनी, पोस्ता, मधुपुर, औराही, मरवुआ, तेन्दुक, लाहसनिया, बसौली, हनुमानपुर, ठटवा, बरबसपुर, सनेनवार, देवदत्तपुर, पचखेड़िया, भटवाडीह, चकरघट्टा गंगापुर, खटखरिया नर्वदापुर, काशीपुर, सुखदेवपुर, शिवपुर, गहिगा, होरिला, हथिनी, पठौचि, चिकनी, विजयपुर, बिजौरा, लोआरी खुर्द, सेहुवान, सरहुरिया, डकही, रामपुर, चिकनवा आदि।

दूसरा सवाल मैंने यह कि या कि जिन लोगों ने अपना क्लेम नहीं किया, जो नोटीफिकेशन हुआ वह गांव गांव में पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से उसका टाइम बीत गया और सैकड़ों हजारों लोगों की जमीनें जो लोग सीरदार और भूमिधर थे, उनके हाथ से निकल गयीं। जिनकी जमीनों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन रिजर्व बनाकर आपने उन पर पत्थर गाड़ दिये और उनकी जमीनें ले ली गयीं। कहीं आपके वन विभाग की भूमि को जिन्होंने जबरदस्ती जोत लिया हो, उसको आप खुशी से ले लें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां पर जमीन से किसानों का ताल्लुक है, जिसके वह भूमिधर और सीरदार हैं और रेवेन्यू भी सरकार को देते हैं किन्तु उन्होंने क्लेम किसी वजह से नहीं किया न जानकारी की वजह से या और कोई वजह से। क्योंकि गजट तो सारे लोग पढ़ते नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिये। आप अपने यहां से कोई बड़े अधिकारी को भेज दीजिये, मैं सारी स्थिति वहां पर स्पष्ट कर दूंगा। उनको एक मौका मिलना चाहिये जो लगान देते हैं। दूसरी बात मैंने यह निवेदन किया कि जहां पत्थर आज भी गड़े हुए हैं, लेकिन वे लोग जीत गये हैं उन्हें आप हटा लें। चकिया ग्राम समाज ने भी क्लेम दाखिल किया है जब चकिया ग्राम समाज बना उसके २४ ग्रामों ने क्लेम दाखिल किया और वहां के लोग अब भी अपील लड़ रहे हैं। डिमारकेशन में आपने उनकी जमीनें ले लीं। आपने ले लीं यह बहुत अच्छा किया लेकिन कम से कम उनके निकलने बैठने के लिये उनके मवेशियों के निकलने बैठने भर की जगह आपको अवश्य छोड़ देनी चाहिये। यह बातें बड़ी मेरे लिये तकलीफ तलब हैं। मैं चाहता हूं आप इन प्रश्नों पर विचार करें और यदि आप उनको कुछ राहत दे सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री प्रेमसिंह—

मान्यवर, मुझे बहुत दुख है कि मेरे इलाके में इतनी बुरी हालत गवर्नमेन्ट ने की है शायद उतनी किसी के इलाके में नहीं है। कहा गया कि जमीन तो गवर्नमेन्ट की है। जमीन तो जमींदारों की थी गवर्नमेन्ट ने कब्जा कर लिया, यह सही है या वह सही है। आपकी स्पीच में मेरे भाषण का कोई जिक्र नहीं है।

श्री चरणसिंह—

रिप वान विंकिल का लेखक जब २२ साल बाद एशिया लौटकर आया तो दुनिया उसने उलटी पायी, उसी तरह से आज भी मेरे दोस्त ५२ से पहले की बात कह रहे हैं। जमीन आज जमींदारों की नहीं गवर्नमेन्ट की है।

श्री प्रेमसिंह—

आप चाहें जो कहें, मैं कुछ नहीं कहता मगर अगर कहीं पांसा घूमा तो आप भी देखेंगे कि क्या होगा। मेरे दिल में चौधरी साहब के लिये बड़ा उन्स है लेकिन वे थोड़े थोड़े वक्त के लिये सब विभागों को देखा करें तो हमारी गवर्नमेन्ट में जान आ जाय और विभागों में से करप्शन खत्म हो जाय। यह विधेयक जो कौंसिल से पास होकर आया है मैं उस प्रस्ताव

का घोर विरोध करता हूं। हमारी कांस्टीट्यूंसी निशानगाड़ा में खास तौर पर और आम तौर पर हमारे जिले बहराइच में जिसके लिये मैं दूसरे जन्म तक रोता रहूंगा उसमें जो हमारे काम करते रहे और जमीन आबाद कर रहे हैं वह दुखी है कि शायद मेहनत करने के बाद यह जमीन गवर्नमेन्ट ले ले। लीजिये खुशी से लेकिन होना तो यह चाहिये कि वह गरीब उससे कुछ आनन्द उठावे लेकिन होता क्या है एक पिलर यहां, दूसरा उधर, तीसरा इधर। जहां देखिये गरीब जनता रो रही है और अगर चौधरी साहब के रहते यह कानून ठीक नहीं हुआ तो हमारी बदकिस्मती। जिनके लिये तीन साल से मैं यहां भी रो रहा हूं और पता नहीं अगले साल तक एलेक्शन में आउट भी कर दिया जाऊं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों का खयाल करते उनकी हालत को सुधारें।

श्री चरणसिंह—

मेरे मित्र प्रेम सिंह, एक इधर, दो उधर और तीन इधर कह रहे थे तो मुझे ताज्जुब हो रहा था। उनकी स्पीच में गरीब भी आ गया, जमींदार का भी जिक्र आ गया।

श्री प्रेमसिंह—

हम नेक नजर रखते हैं तो भी बदनाम होते हैं और वे कत्ल भी करते हैं तो शिकवा नहीं होता।

श्री चरणसिंह—

अब मैं माननीय ऊदल जी की दो तीन बातों का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पता नहीं चला कि नोटीफिकेशन कब हुआ। कानून यह है कि गजट में नोटीफिकेशन किया जायगा तो यह कयास किया जायगा कि लोगों को मालूम हो गया। दूसरे यह कि फारेस्ट सेटिलमेन्ट का ऐसा काम है कि इतने लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि गांव गांव में डंका अपने आप बज जाता है। आफिसरान मौके पर गये और दो आदमियों ने एतराज कर दिया तो यह नहीं कहा जायगा कि बाकी गांव वालों को सूचना नहीं थी।

श्री ऊदल—

कानून की तो बात मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा था कि उनको इत्तिला नहीं हुई।

श्री चरणसिंह—

और तीसरी बात यह है कि बनारस स्टेट के कभी २५, कभी तीन और कभी दो लोग मेरे पास आये। एक दफा बलदेवसिंह जी भी हो आये हैं। वह देख आये हैं। देख आये हैं और उन्होंने बतलाया भी। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग साफ नहीं था। लिहाजा इसी बीच में वहां के पब्लिक वर्कर, जो जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने ८-१० सफे की शिकायत लिखकर दी कि यह शिकायत और वह शिकायत। फिर मैंने अगस्त में दो दिन मुकर्रर किये २९, ३० तारीख को केवल इस बात के लिये कि उनकी शिकायतों को सुना जाय। फारेस्ट सैटिलमेन्ट अफसर को बुलाया। डी० एफ० ओ० को बुलाया और जिन साहब ने शिकायत की थी उनको भी बुलाया। उस इलाके के जो एम० एल० ए० थे उनको भी बुलाया। जो शिकायत थी उनको एक एक करके लिया गया। जो शिकायत उन्होंने लिखकर भेजी थी उनको एक-एक करके देखा। मुझे यह कहते हुए खुशी होगी कि हम यहां पर अक्सर क्रिटिसिज्म करते हैं अफसरों का कि यह नहीं किया और वह नहीं किया लेकिन उन फारेस्ट सेटिलमेन्ट अफसर से जो सवाल उठाये गये उनका सही जवाब दिया। उन गांवों के बारे में उतना हमारे एम० एल० ए० को भी मालूम नहीं था जितना उस अफसर को मालूम था। उनको वहां की गांव की हालत उनसे कम मालूम नहीं थी। बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया था। एक दो बात और उठी तो मैंने उनको कह दिया कि यह और कर देना। तो उनकी तसल्ली हुई और एम० एल० ए० साहब को भी तसल्ली हुई। उसी इलाके की बात ऊदल साहब से भी हुई। इनको वहां के ८०

[श्री चरणसिंह]

फीसदी लोग मिले जिसकी यह बात कह रहे थे। शायद एक शख्स के बारे में इन्होंने कहा जिसका नाम कुम्भकरण था। फिर बाद में इन्होंने खुद माना कि शायद वह इनके भाई थे जिनकी बाबत वह बात थी। इसके बाद यहां पर आज ऊदल साहब ने बड़ा सुन्दर व्याख्यान दे डाला। अब मैं क्या बतलाऊं सिवाय इसके कि इन्होंने बहुत दिनों से तकरीर नहीं की थी तो आज उनको मौका मिल गया और समझा कि बहुत अच्छा मौका है।

गोंडा की बात की गई कि वहां पर अभी तक फारेस्ट सेटिलमेन्ट अफसर की नियुक्ति नहीं हुई। इसमें एक बड़ी भारी समस्या है। गोंडा में जितने भी हमारे जंगल हैं उनमें फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का इन्तजाम सुचारु रूप से नहीं है। उसकी वजह यह है कि जमींदारों के जो फारेस्ट आये वह इतने बिखरे हुए हैं कि वे लम्बी कतार में हैं। एक खेत किसान का है तो एक खेत जंगल का है। इतने बिखरे हुए हैं कि हमारे किसानों की शिकायत भी बहुत है कि जंगल के जानवर आ जाते हैं। कटाव भी बहुत हुआ। सजा भी हमने राज्य कर्मचारियों को दी। इस सिलसिले में हमने ईस्टर्न सर्किल के चटर्जी बड़े अच्छे अफसर हैं उनको बुलाया था और उनसे बात हुई। यहां पर हैडक्वार्टर पर और भी लोग थे उनसे भी बात हुई। तो उन अफसरों से मैंने यह कहा कि ऐसी जमीन जो जंगल विभाग के पास आ गई हो चाहे उसमें जंगल खड़े हो या नहीं, या बिखरी हुई वह जमीन हो और जिसका इन्तजाम करने में कठिनाई हो रही हो तो वह सारी जमीन गांव समाज को दे दी जाय। तो वह कलेक्टर से मिलकर उस जमीन की तफसील कंजरवेटर के जरिये से यहां पर भेजेंगे। तब हम नोटिफिकेशन करेंगे कि रेविन्यू डिपार्टमेन्ट वह जमीन गांव समाज को दे दे। उसके बाद सेटिलमेन्ट आफिसर मौके पर जायगा, तब सेटिलमेन्ट का काम शुरू होगा। हम छोटे-छोटे रकबों को गांव पंचायत को दे देना चाहते हैं, इसलिये उन्होंने जो यह शिकायत भेजी है कि देर हो गयी तो उसका जस्टिफिकेशन यह है कि वह काम ही ऐसा है, उसमें किसको छोड़ा जाय किस को न छोड़ा जाय उसका एरिया निकालने में देर हो रही है। आशा है जल्दी यह काम हो जायगा।

प्रेम सिंह जी ने कहा कि क्या फायदा हो रहा है, हमारी जमीन और जंगल आपने ले लिये, तो मैं क्या अर्ज करूं। फायदा तो होगा, जंगलों की रक्षा हो जायगी। उन्हें आज यह चीज न दिखाई देती हो लेकिन अगर फारेस्ट का इन्तजाम अच्छा है तो फायदा तो यहीं के लोगों का होना है। मुझे खुशी होगी अगर कोई साहब कहें कि फलां जगह बेईमानी और खराबी हो रही है। यह आसान नहीं है इसको रोकना लेकिन जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेम सिंह ने कई बातें मुझसे कहीं हैं। अगर कहा है तो कार्यवाही हुई है या नहीं?

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्रों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस मुहकमे के काम में आप लोग दिलचस्पी लेंगे।

एक सदस्य—

दरिया से बहुत सी जमीन कट रही है और वन विभाग की जमीनें वहां हैं। तो जिनकी जमीनें बिलकुल नहीं रही है उन्हें वन विभाग इजाजत देगा कि फारेस्ट की जमीन उन्हें मिले अगर वह उस पर खेती करना चाहें जिससे उनकी रोजी चल सके?

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि जब काश्तकारों का अदालत से फैसला हो चुका है कि यह उन्हीं की काश्त की जमीन है तो सरकार को उनका सेटिलमेन्ट करने या उनको जमीन देने में क्या कठिनाई है? हमारे यहां एस० डी० एम० और सेटिलमेन्ट आफिसर के यहां से बहुत से फैसले हो चुके हैं कि ये जमीन काश्तकार की है और जंगल से निकाल देनी चाहिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री चरणसिंह—

फारेस्ट सेटिलमेन्ट के जरिये से फैसला हो चुका, अगर फायनल हो गया है तो काश्तकार उस जमीन को जोते बोये और अगर फायनल नहीं हुआ तो न जोते, मैं क्या बताऊं इसमें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और सोमवार, २० सितम्बर, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २९ मिनट पर २० सितम्बर, १९६५ को ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१३ सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर]

शाहाजहांपुर जिले से नवम्बर १९६४ से जुलाई १९६५ तक बाहर चावल भेजे जाने की तालिका

क्रम-संख्या	गन्तव्य स्थान का नाम	लेवी देने के बाद चावल निर्यात किए जाने की मात्रा (संख्या क्वींटल में)
१	२	३
१	बलिया	४४७.६२
२	लखनऊ	२५५६.७०
३	हरदोई	३३९.००
४	रसरा	१,१५७.१०
५	लखीमपुर खीरी	८१९.८०
६	कोटद्वारा	२६,२४४.६२
७	मुरादाबाद	८२५.८०
८	प्रतापगढ़	१५०.००
९	रामपुर	२६२.६५
१०	अमरोहा	२२५.१५
११	महोली	१५०.००
१२	हलवीर	१४७.००
१३	रामनगर	९८३.६४
१४	चिलविला	४४८.००
१५	टांडा	११४.००
१६	बिल्वरा रोड	१,४६७.२५
१७	नजीबाबाद	४७७.००
१८	गोला गोकरन नाथ	७४.४०
१९	बड़हलगंज	४५०.१५
२०	दुर्गाघाट	१,४१९.८५
२१	आजमगढ़	४४८.६५
२२	सहारनपुर	८७४.००
२३	सहजनवा	१,३०७.४५
२४	मनीपुर	१२०.००

१	२	३
२५	बिलरायनगंज	७५.००
२६	गोरखपुर	७,५८८.०५
२७	रामकोला	३३७.२०
२८	मुरैयां	११४.००
२९	देहरादून	४५०.००
३०	चोहरपुर	२३८ ००
३१	जलालपुर	२१०.००
३२	बिसवां	२२५.९९
३३	देवरिया सदर	२,३८३.२२
३४	गौरीबाजार	८८८.००
३५	बिजनौर	३०४.००
३६	मथुरा	१.५०
३७	जौनपुर	३२२.००
३८	बस्ती	४७८.०२
३९	मनूर	१४३.४५
४०	फैजाबाद	१,६७५.८०
४१	भदोई	१५१.००
४२	खलीलाबाद	४,८२२.५०
४३	अकबरपुर	७६.००
४४	गोंडा	२३२.०७
४५	किछा	७६.००
४६	पडरौना	४३४.१३
४७	चंदौसी	१५१.००
४८	गोला (गोरखपुर)	७६.००
४९	चौरी चौरा	१५४.८५
५०	मुजफ्फरनगर	६८५.००
५१	सीतापुर	२८९.५०
५२	लहरपुर (सीतापुर)	२५.००
५३	खतौली	७५.००
५४	तिलहर	७५.००
५५	मधुवा (आजमगढ़)	१५२.००
५६	हलद्वानी	८,७५५.६०

१	२					३
५७	आगरा	..	..	..	..	११५.००
५८	इलाहाबाद	..	..	..	..	२.००
५९	देवप्रयाग	..	..	..	..	७४.६०
६०	गाजियाबाद	..	..	..	..	२२८.००
६१	गोपीगंज	..	..	..	..	३७९.८९
६२	गुर सराय	..	..	..	..	१३१.७४
६३	हाता कान्त	..	..	..	..	८१.८८
६४	हापुड़	..	..	..	..	१८०.००
६५	सुल्तानपुर	..	..	..	..	२२५.००
६६	सैयदपुर भीतरी		..	..	..	२२०.००
६७	शाहगंज	..	..	..	..	७६.००
६८	वाराणसी	..	..	..	..	१५२.००
६९	केराकत	..	..	..	..	३३३.००
७०	पिथौरागढ़	..	..	..	..	५९६.१६
७१	रानीखेत	..	..	..	..	६९२.९८
७२	बागेश्वर	..	..	..	..	८२०.६४
७३	अल्मोड़ा	..	..	..	..	८२२.३७
७४	टनकपुर	..	..	..	..	२२३.२०
७५	ऋषीकेश	..	..	..	..	२२८.००
				योग	..	७९,२५८.९३

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर]

क्रम-संख्या	जिले का नाम		विधान मण्डल के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का कोटा अथवा परमिट दिया गया
१	जौनपुर ..	..	नहीं
२	लखनऊ	..	"
३	बाराबंकी	..	"
४	अलीगढ़	..	"
५	फैजाबाद	..	"
६	फर्रुखाबाद	..	"
७	पीलीभीत	..	"
८	गोरखपुर	..	"
९	बांदा ..	..	"
१०	देवरिया	..	"
११	उन्नाव ..	..	"
१२	बिजनौर	..	"
१३	लखीमपुर खीरी	..	"
१४	हरदोई ..	..	श्री मोहन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा को ईंट के भट्ठे का लाइसेन्स कोयला नियन्त्रण आदेश, १९४५ लागू होने के बाद दिया गया।
१५	नैनीताल	..	किसी को कोटा आदि नहीं दिया गया।
१६	आजमगढ़	..	" "
१७	सीतापुर	..	श्री बंजू राम को कोयले का डिपो १९५५-५६ में दिया गया था। १४-८-६१ से २२-५-६४ तक २७ गाड़ियां कोयले की मिलीं।
१८	झांसी ..	..	नहीं दिया गया।
१९	रायबरेली	..	" "
२०	मुरादाबाद	..	श्री रामगुलाम एम० एल० सी० को कोल डिपो १९५५-५६ में दिया गया। श्री जगदीश प्रसाद एम० एल० ए० को कोल डिपो १९५३-५४ में दिया गया। कोटा नियम एवं क्रमानुसार पा रहे हैं।

१	२		३
२१	इटावा ..	..	श्री होतीलाल अग्रवाल, एम० एल० ए० को एक ईंट भट्ठे का लाइसेन्स १९५८ में दिया गया उस समय से ३०-४-६४ तक कोयले का नियन्त्रण रहा है और ७३ ३।४ वैगन कोयला दिया गया।
२२	देहरादून	..	नहीं दिया गया।
२३	वाराणसी	..	" "
२४	बुलन्दशहर	..	श्री जसराम सिंह, एम० एल० ए० को एक लाइसेन्स भट्ठों ब श्रेणी का १७-५-६१ को दिया गया।
२५	जालौन ..	..	नहीं दिया गया।
२६	सहारनपुर	..	"
२७	बरेली ..	..	"
२८	मेरठ ..	..	"
२९	हमीरपुर	..	"
३०	रामपुर ..	..	श्री कल्याण राय, एम० एल० ए० को भट्ठे का लाइसेन्स ३०-१-५९ को दिया गया।
३१	शाहजहांपुर	..	श्री राम मूर्ति अंचल, एम० एल० ए० अपने निर्वाचन से पहले से वहां के भट्ठे का कार्य कर रहे हैं।
३२	मिरजापुर		नहीं दिया गया।
३३	फतेहपुर	..	"
३४	बहराइच ..	..	"
३५	टेहरी-गढ़वाल	..	"
३६	इलाहाबाद	..	"
३७	बलिया ..	..	"
३८	कानपुर ..	..	"
३९	एटा ..	..	"
४०	मैनपुरी ..	..	(१) श्री बलबीर सिंह, एम० एल० ए० को दिनांक ५-१०-६३ को भट्ठे का लाइसेन्स दिया गया। इनको अब तक तीन वैगन कोयला मिल चुका है। (२) श्री बृजेश्वर सहाय, एम० एल० ए० को एक भट्ठे का लाइसेन्स दिया गया जो फर्म बृजेश्वर सहाय एंड सन्स के नाम है। यह लाइसेन्स ३०-१२-६२ को जारी किया गया और अब तक १ वैगन कोयला मिल चुका है।

१	२		३
४१	गाजीपुर	..	किसी को नहीं दिया गया है।
४२	गढ़वाल	..	"
४३	उत्तर काशी	..	"
४४	मथुरा ..	..	"
४५	गोंडा ..	..	किसी को नहीं दिया गया है।
४६	चमोली ..	..	"
४७	प्रतापगढ़	..	"
४८	पिथौरागढ़	..	"
४९	मुजफ्फरनगर	..	श्री मदन मोहन, एम० एल० सी० को एक भट्टे का लाइसेन्स १९४८ में दिया गया।
५०	आगरा ..	..	किसी को नहीं दिया गया।
५१	सुलतानपुर	..	"
५२	बदायूं ..	..	"
५३	बस्ती ..	..	"

नत्थी 'ग,

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२३ पर]

१९६३–६४ तथा १९६४–६५ में कुल ५४१ बोरा सीमेंट ग्राम दहगवां को दी गई उसमें से जो सीमेंट निम्नलिखित व्यक्तियों को दी गई उसकी मात्रा प्रत्येक के नाम के सामने दी हुई है—

१—सर्वश्री गणेशीलाल	२० बोरा
२—,, बांके लाल	कुछ नहीं
३—,, अशर्फीलाल	३० बोरा
४—,, गिरेन्द्र पाल	कुछ नहीं
५—,, बृजपाल	कुछ नहीं
६—,, श्री अशर्फी लाल के सुपुत्र	कुछ नहीं

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

क्रम-संख्या	ग्राम जिसमें १९६२ में भूमि अर्जित की गई और मुआवजा दे दिया गया	दरें प्रति वर्ग गज		
		पहली पट्टी	दूसरी पट्टी	तीसरी पट्टी
१	२	३	४	५
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
१	साहिबाबाद	२.४८	१.२४	०.६२
२	टरगल	०.६६	०.३३	०.१७
३	जगौला	१.६८	०.८४	०.४२
४	धूकना	१.७६	०.८८	०.४४
५	अरथला	२.०८	१.०४	०.५२
६	सिहानी	२.००	१.००	०.५०
७	सद्दीकनगर	१.४०	०.७०	०.३५
८	करहेड़ा	१.६८	०.८४	०.४२
९	नासरपुर	१.९२	०.९६	०.४८
१०	जटवाडाकलां	१.९२	०.९६	०.४८
११	रजापुर	१.९२	०.९६	०.४८

टिप्पणी—पहली पट्टी मौजूदा सड़क से १०० गज दूरी तक आने वाली भूमि के लिए दूसरी पट्टी मौजूदा सड़क से १०० गज तथा २०० गज के बीच में आने वाली भूमि के लिए तथा तीसरी पट्टी मौजूदा सड़क से १०० गज बाद आने वाली भूमि के लिए बनाई गई है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

बांदा नगर की जल सप्लाई बन्द रहने की सूची

वाटर वर्क्स के बन्द होने की तिथि	बन्द होने का कारण
(१) २५-९-६४ से २७-९-६४ ..	केन नदी में बाढ़ आ जाने के कारण पम्पिंग स्टेशन को हानि पहुंची जिससे वाटर वर्क्स बन्द रहा।
(२) १-१०-६४ से १२-१०-६४ ..	केन नदी में ४० फुट पानी बढ़ गया जिसके फलस्वरूप विशेष मात्रा में सिल्ट इकट्ठी हो गई जिसने इनटेक पाइप के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर दिया और जल वितरण कार्य बन्द रहा।
(३) ३१-१२-६४ शाम से ३-१-६५ सुबह तक।	छावी तालाब के पास राइजिंग मेन का बैन्ड का जोड़ खुल गया था।
(४) २४-१-६५ सुबह की सप्लाई नहीं हुई।	रात को बिजली लाइन बिगड़ी रही।
(५) १०-३-६५ .. .. (६) २-४-६५	राइजिंग मेन के पाइप का जोड़ खुल गया था।
(७) २०-४-६५ सुबह की सप्लाई नहीं हुई।	रात को बिजली बन्द रही।
(८) १५-५-६५ शाम की सप्लाई नहीं हुई।	निमनी नाला के पास राइजिंग मेन की पाइप की मरम्मत हुई।
(९) १९-६-६५ से २५-६-६५ ..	निमनी नाले में बाढ़ आ जाने के कारण राइजिंग मेन अपने स्थान से १९-६-६५ को हट गया था जो कि दिन और रात कठिन परिश्रम के बाद २५-६-६५ को ठीक किया जा सका।
(१०) ११-७-६५ की रात को .. (११) १२-७-६५ की सुबह को .. (१२) १७-७-६५ को	जल विद्युत् (हाईडिल) विभाग से बिजली खराब हो जाने के कारण जल सप्लाई बन्द रही।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर)

गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत सादात, मनिहारी तथा जखनिया विकास खण्डों के न्याय पंचायतों की सरकारी गल्ले की दूकानों का विवरण

क्रम-संख्या	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	न्याय पंचायत जहां दूकानें चल रही हैं	न्याय पंचायत जहां दूकानें नहीं हैं	दूकानें न होने का कारण
१	सादात	१३	११	१—सादात	दूकानदार ने अगस्त, १९६४ में त्याग-पत्र दे दिया था।
२	जखनिया	१२	११	२—मिर्जापुर १—किशुनपुरा	दूकान चलाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया।
३	मनिहारी	१४	१०	१—युसुफपुर २—भवौरा ३—गुरैनी	
				४—भौंधिया	सम्बन्धित यूनिटों की संख्या कम होने के कारण उनको दौलतनगर की न्याय पंचायत की दूकान से लगा दिया गया।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२७ पर)

जिला परिषद्, उन्नाव द्वारा वर्ष १९६४–६५ में और १९६५–६६ में ३० जून, १९६५ तक सीमेंट वितरण की सूची।

क्रम-संख्या	सीमेंट पाने वाले का नाम	संख्या	कार्य
१	२	३	४
		बोरी	
१	प्रधान, द्वन्वपुर	५०	प्रा० पा० भवन निर्माण हेतु
२	प्रधान, बक्सर	२५	,,
३	प्रधान, कालूखेड़ा	३०	,,
४	प्रधान, मंझिगंवां	२५	,,
५	प्रधान, सवाइन	२५	,,
६	प्रधान, परिहर	१०	,,
७	प्रधान, नरायनपुर	२०	,,
८	प्रधान, सिकन्दरपुर ..	२५	,,
९	प्रधान, नवाबगंज	३०	,,
१०	प्रधान, मरौवा	२०	,,
११	प्रधान, बौनामऊ	१०	,,
१२	प्रधान, स० शि० बेरठी ..	१५	मरम्मत पा० भवन हेतु
१३	प्रधान, सरायमंगली ..	३०	निर्माण हेतु
१४	कार्यालय शिक्षा विभाग ..	२	मरम्मत हेतु
१५	श्री छोटे लाल सफीपुर ..	२५	निर्माण कन्या पाठशाला
१६	प्रधान हाजीपुर गोशा ..	२०	प्रा० पा० भवन निर्माण हेतु
१७	प्रधान, ऊचगांवकिला ..	५	शिक्षा भवन मरम्मत हेतु
१८	प्रधान, प्रिंसिपल अचलगंज ..	१०	निर्माण हेतु
१९	प्रधान, गंजमुरादाबाद ..	५०	,,
२०	प्रधान, टिकाना	८	,,
२१	प्रधान, खेवरई	८	,,
२२	प्रधान, राजेपुर	२०	,,
२३	प्रधान, नाथीखेड़ा	२५	,,
२४	प्रधान, रानीपुर	२५	,,
२५	प्रधान अ० पतौलादासी ..	५	पा० मरम्मत हेतु

क्रम-संख्या	सीमेंट पाने वाले का नाम	संख्या	कार्य
१	२	३	४
		बोरी	
२६	डाक्टर पुरवा	३	पा० मरम्मत हेतु
२७	प्रधान, जगत नगर ..	२०	निर्माण प्रा० पा० भवन
२८	प्रधान, दूबेपुर	२५	,,
२९	प्रधान, गौराकलां	१०	,,
३०	प्रधान, रामपुर	२०	,,
३१	त्रिपुरारपुर	३०	,,
३२	प्रधान, हसनखेड़ा ..	२०	,,
३३	प्रधान, मलयपुर	१५	नि० प्रा० पा०
३४	प्रधान, जनसार	५०	,,
३५	उदय भानु पंसारी	५०	,,
३६	प्रधान पतेउलावासी ..	२५	,,
३७	प्रधान, हमीरपुर	३०	,,
३८	प्रधान, गोबरहा	२०	,,
३९	प्रधान, अकवारा	१५	,,
४०	प्रधान, भगवन्तनगर ..	१५	मरम्मतर हेतु
४१	प्रधान चमरौली	२५	निर्माण व मरम्मत
४२	श्री कृष्ण गुप्ता सुपासी ..	२०	प्रा० पा०
४३	रमेश्वरसिंह सहरावा ..	१९	,,
४४	प्रधानाचार्य (अचलगंज) ..	२०	निर्माण जू० हा०
४५	प्रधान, पनहन	४०	मरम्मत हेतु
४६	प्रधान, ओरहर	४०	निर्माण प्रा० पा०
४७	प्रधान, कटरा	१५	,,
४८	प्रधान, चकलवंसी	१५	,,
४९	प्रधान, बुन्दपुर	२५	,,
५०	प्रधान, पिड़री	२५	,,
५१	प्रधान, हिस्यामपुर	२०	,,
५२	प्रधान, कल्यानी	२०	,,
५३	प्रधान, निम्बई	२०	,,
५४	प्रधान, संहरांवा	११	,,
५५	प्रधान, महरानोखेड़ा ..	५०	,,
५६	प्रधान, रुजिहई	३०	,,
५७	प्रधान, पियारेपुर	१०	,,
५८	प्रधानरामकुमार जू० हा० भुभुआर ..	५०	,,

क्रम-संख्या	सीमेंट पाने वाले का नाम	संख्या	कार्य
१	२	३	४
		बोरी	
५९	प्रधान, क्वारीगांव ..	१५	निर्माण प्रा० पा०
६०	प्रधान, ओसियां	३०	,,
६१	प्रधान, हिलौली	३०	,,
६२	प्रधान, हरदो	२०	,,
६३	प्रधान, असरेंदा	५०	,,
६४	प्रधान, चमियानी	३०	,,
६५	प्रधान, मुस्तफाबाद ..	१५	निर्माण प्राइमरी पाठशाला
६६	प्रधान, डुड़िया सुनार ..	५०	,,
६७	प्रधान, अटवा	३०	,,
६८	प्रधान, हिस्यामपुर	२५	,,
६९	प्रधान, बजारा	१२	,,
७०	प्रधान, अतहा	३०	,,
७१	प्रधान, टिकरीगनेस	२५	,,
७२	प्रधान, अचदगंज ..	३०	,,
७३	प्रधान, गोवापट्टी	३०	,,
७४	प्रधान, बिछिया (पाउण्ड) ..	३०	पाउण्ड निर्माण हेतु
७५	प्रधान, बड़ोरा	७	प्राइमरी पाठशाला मरम्मत हेतु
७६	प्रधान, गयाप्रसाद ठेकेदार ..	२५	पुलिया निर्माण हेतु
७७	श्रीकृष्ण गुप्ता सुपासी ..	१०	प्रा० पा० निर्माण हेतु
	सम्पूर्ण योग ..	१,८१५	

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२८ पर)

अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से मिट्टी का तेल चोरी होने की कोई सूचना थाना जी० आर० पी० इलाहाबाद में अंकित नहीं है।

बल्कि दिनांक ३०-७-६५ को करीब १२.४५ बजे द्वारा श्री बी० एन० कपूर गुड्स इन्सपेक्टर, इलाहाबाद की तहरीरी सूचना पर कि वैगन नम्बर डब्ल्यू० आर० ४०९४० जिसमें मिट्टी का तेल भरा था जो बजबज से लालगंज के लिए बुक हुआ था, इलाहाबाद मालगोदाम में उपरोक्त वैगन से मेसर्स कैसरवानी ऐंड कम्पनी इलाहाबाद के एजेन्ट रेलवे के कर्मचारियों की सहयोग से करीबन आधा तेल अपनी तेल की टंकी में निकाल लिए थे, जिसका मुकदमा अपराध संख्या ३७८ धारा ४२०/३७९/१०९/४६७/४६८/४७१/३४ ता० हि० थाना जी० आर० पी० इलाहाबाद में कायम होकर थानाध्यक्ष अपने कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर उक्त वैगन को सील कर दिया। मुलजिमान नहीं मिले।

घटना के सम्बन्ध में मुलजिमान नागेश्वर प्रसाद व टी० एन० सी० प्रेमनाथ व टी० एन० सी० श्री आर० पी० शरन गिरफ्तार करके जेल रवाना किए गए हैं। तथा प्यारेलाल जो नौकर उक्त कम्पनी का टी० एन० सी० श्री एस० एम० ए० आर० जैदी, अदालत में हाजिर हो गए हैं। एस० आ० जी० आर० पी० उसकी विवेचना कर रहे हैं।

M.C./65/ALD dated July 30, 1965 11.30 hrs. GRP ALLD C/S.I. R.P.F. SS ALD HINC ALS D.C.S. ALD C.C.S BSB Sub-Tank WR 40940 Ex. Budge Budge to Lalganj, Inv. 3 of July 23, 1965 kerosene oil in favour of Messrs. Sada Nand Lal.

The above tank has been placed by the yard staff on A.H.B. IV on the sump of Messrs. I. B. P. Co., and the Tank placement memo was sent to goods shed at 10.30 hrs. on which stock clerk Sri N. S. Pandey went to see the placement and found the Tank being decanted by removing the seals by Messrs Keshwarwani & Co., Agent of the above firm as this was a wrong placement. I sent my A. C. I. Sri Ram Labhaya who noticed some thing and brought original packet labels, which was tied up in the North side packet of the Tank. This wrong placement has been done deliberately by the yard staff with the connivance of the party Messrs. Kesharwani & Co. G.R.P. and R.P.F. to take over the Tank in custody and should be sealed after taking its dip and for missing goods take up with the party who has decanted it in his sump. S. I. R.P.F. to depute sanik to protect against its further pilferage and S. S. G. R. P. S. I. R. P. F. are requested to witness the same by first means. Officers to take up the matter to catch hold the culprit. (Sd.) Goods Inspector, Northern Railway, Allahabad.
N.B.—Yard staff should not despatch the tank till they have the instructions from the G.P.R. and R.P.F., ALD. Sd. (Illegibile) Goods Inspector, Northern Railway, Allahabad.

नोट :—मैं C रामायणसिंह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त नकल रिपोर्ट शब्द ब शब्द की गयी।

C. रामायण सिंह
३०-७-६५

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४२ एल० ए०—१९६५—८६२।